



सत्यमेव जयते

**वर्ष 2018-19 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित
CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH
AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2018-2019**



**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation**

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2018-2019**



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Balance Sheet.....	1
2.	Schedules forming the part of Balance Sheet.....	3
3.	Consolidated Income & Expenditure Account.....	15
4.	Schedules forming the part of Income & Expenditure Account.....	18
5.	Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account)	24
6.	Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account)	25
7.	Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account)	26
8.	Schedule forming part of the Accounts.....	27
9.	Audit Report.....	40
10.	Audit Certificate.....	47
11.	Management Letter.....	50

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2019			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C			
Memebtrs Operative A/c	1	64402064,19,430.79	50070923,69,582.36
Memebtrs Inoperative A/c	2	163836,65,325.00	5465786,67,858.45
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	37418,90,992.53	34444,58,771.67
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	2659015,63,838.12	2700683,12,307.99
Investment Fluctuation Account		27007,98,358.13	27007,98,358.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	6792031,17,662.55	5557180,20,715.25
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		74081374,55,607.12	63856026,27,593.85
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	45435817,10,682.08	39311304,38,910.28
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	126533,19,353.50	49135,98,188.96
SUB -TOTAL - PENSION FUND		45562350,30,035.58	39360440,37,099.24
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	2721802,34,626.98	2402923,24,184.92
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	1664,03,853.74	1613,24,235.68
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		2723466,38,480.72	2404536,48,420.60
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	2411515,82,327.64	2228472,51,258.00
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	27441,16,520.00	22991,52,655.91
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	88725,41,897.04	88725,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	149011,94,336.62	107769,45,963.80
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	849693,46,174.62	668899,82,403.82
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	34229,67,098.18	33586,15,490.05
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3560617,48,354.11	3150444,89,668.62
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	313262,67,220.65	290638,78,672.78
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	5900,34,526.48	4932,31,588.47
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		319163,01,747.13	295571,10,261.25
GRAND TOTAL		126246971,74,224.70	109067019,13,043.60

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2019			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
ASSETS			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	72343421,52,194.79	62451465,10,480.52
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	1737953,03,412.32	1404561,17,113.33
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		74081374,55,607.11	63856026,27,593.85
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	43776254,33,646.33	37767437,18,923.40
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	1786095,96,389.25	1593003,18,175.84
SUB -TOTAL - PENSION FUND		45562350,30,035.58	39360440,37,099.24
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	22	2675496,66,933.53	2359154,14,156.47
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	47969,71,547.19	45382,34,264.13
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		2723466,38,480.72	2404536,48,420.60
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
FIXED ASSETS	24	46138,84,118.11	40836,52,051.42
CAPITAL WORK IN PROGRESS		78417,45,235.40	1744,85,209.40
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	25	2349619,35,438.53	2181085,09,245.10
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTEMENTS	26	171374,94,479.57	156280,13,290.03
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMNETS	27	830595,00,428.24	655094,88,346.93
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	84471,88,654.26	115403,41,525.74
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3560617,48,354.11	3150444,89,668.62
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	29	303323,14,301.48	281394,12,147.16
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	15839,87,445.65	14176,98,114.09
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		319163,01,747.13	295571,10,261.25
GRAND TOTAL		126246971,74,224.70	109067019,13,043.60

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
SCHEDULE No. 1			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C			
	Opening Balance	50070923,69,582.36	43111525,20,655.86
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	10512632,67,725.65	9322341,68,766.00
2.	Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	17426,80,704.40	12329,52,212.33
3	Interest credited to members Account	4197114,01,073.10	3400134,18,257.00
4	Tranferred from Inoperative A/c during the year	5291979,90,114.45	0.00
5	Other Receipts	611035,71,489.66	497458,40,181.42
6	Past Accumulations (A/c No. 1)	50365,60,852.17	12201,82,789.14
	Total	70751478,41,541.79	56355990,82,861.75
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	3524353,35,985.24	3470063,68,335.61
2.	Premia paid on members life insurance policy	1690,82,467.00	1405,92,640.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	2341686,27,767.00	1223522,33,580.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	278182,50,370.00	1318301,69,148.00
5.	Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	203501,25,521.76	271773,49,575.78
	Total	6349414,22,111.00	6285067,13,279.39
	Balance as on 31st March	64402064,19,430.79	50070923,69,582.36
SCHEDULE No. 2			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C			
	Opening Balance	5465786,67,858.45	4509341,44,840.45
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	278182,50,370.00	1318301,69,148.00
2	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	5743969,18,228.45	5827643,13,988.45
Less :			
1	Amount transferred to Operative Memebres A/c during the year	5291979,90,114.45	0.00
2	Payment made during the year to memebres on settlement	288152,62,789.00	361856,46,130.00
	Total	5580132,52,903.45	361856,46,130.00
	Balance as on 31st March	163836,65,325.00	5465786,67,858.45
SCHEDULE No. 3			
Special Reserve Fund :			
	Balance as per last Balance Sheet	34444,58,771.67	31732,55,700.95
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	2979,45,683.75	2713,13,362.43
	Total	37424,04,455.42	34445,69,063.38
Less :			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	4,19,569.89	1,10,291.71
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	93,893.00	0.00
	Total	5,13,462.89	1,10,291.71
	Balance as on 31st March	37418,90,992.53	34444,58,771.67

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
SCHEDULE No. 4			
Interest A/c - EPF Contribution Fund			
	Opening Balance	2700683,12,307.99	2055302,52,035.90
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	-41667,48,469.87	645380,60,272.09
	Balance as on 31st March	2659015,63,838.12	2700683,12,307.99
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	2527,68,603.00	2083,99,123.00
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	-4164,55,986.26	9624,54,812.81
b	Irregular payments	736,47,819.06	588,22,330.22
c	Over Payments	310,11,924.01	635,12,425.91
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1213,13,339.00	1213,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	13975,48,338.09	14085,57,910.55
c	Excess credits in EPF investment A/c	0.00	-63,66,142.99
d	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	44,06,975.00	50,52,729.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	147309,77,810.39	105411,88,059.74
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	90583,57,996.54	47372,44,211.19
4	Others	0.00	0.00
	Total	252535,76,818.83	181001,78,798.43
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2018-19	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	1179064,40,843.72	774544,41,916.82
	Total	6539495,40,843.72	5376178,41,916.82
	Balance as on 31st March	6792031,17,662.55	5557180,20,715.25
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	39311304,38,910.28	33684531,58,636.61
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	6124512,71,771.80	5626772,80,273.67
	Balance as on 31st March	45435817,10,682.08	39311304,38,910.28
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	3201,74,397.63	3284,22,195.63
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	17049,41,109.84	20574,24,477.84
3.	Excess credits in EPS Investment A/c	0.00	-26,39,271.78
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	35259,53,055.44	0.00
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	4076,86,505.59	25303,90,787.27
6	Amount payable to EP Fund (PMRPY)	66899,25,339.00	0.00
7	Others (Excess credit of PMRPY)	46,38,946.00	0.00
	Balance as on 31st March :	126533,19,353.50	49135,98,188.96

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
SCHEDULE No. 8			
EDLI Contribution Fund			
Opening Balance		2402923,24,184.92	2093593,99,381.99
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	318879,10,442.06	309329,24,802.93
Balance as on 31st March		2721802,34,626.98	2402923,24,184.92
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
Sundry Credits :			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	393,06,658.99	386,63,800.59
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	964,43,612.21	960,91,369.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4.	Excess credits in EDLI Investment A/c	0.00	-40,84,516.66
5.	Amount payable to EDLI Adm. A/c	293,09,520.99	293,09,520.99
6.	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Balance with SBI	0.00	0.00
7.	Others	0.00	0.00
Balance as on 31st March		1664,03,853.74	1613,24,235.68
Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 10			
EPF - ADMINISTRATION FUND			
Opening Balance		2228472,51,258.00	2080235,07,055.80
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	1587,53,398.72	1,33,032.56
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	178543,43,209.95	148507,04,285.56
3.	Others	0.00	0.00
Total		2408603,47,866.66	2228743,44,373.93
Less			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	-2912,34,460.98	270,93,115.93
2.	Excess of Expenditure over Income during the year transferred	0.00	0.00
3.	Others	0.00	0.00
Total		-2912,34,460.98	270,93,115.93
Balance as on 31st March		2411515,82,327.64	2228472,51,258.00

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	22991,52,655.91	16951,95,614.33
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	9112,46,152.40	10053,69,310.25
2	Interest accrued but not due on Investments	3891,17,335.37	3954,83,108.36
3	Interest due but not received on Investments	4,36,500.00	0.00
4	Interest on S.B. Account	27,804.00	46,380.00
5	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	35999,80,447.68	30960,94,412.94
Less :			
1.	Interest credited to members account	8523,58,445.00	7816,42,811.00
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	35,05,482.68	152,98,946.03
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	8558,63,927.68	7969,41,757.03
	Balance as on 31st March	27441,16,520.00	22991,52,655.91
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	88725,41,897.04	88725,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	88725,41,897.04	88725,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	105940,10,172.08	101051,00,974.93
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	34387,22,930.00	34852,41,039.15
2.	Interest credited to member's account	8523,58,445.00	7816,42,811.00
3.	Other receipts	0.00	0.00
	Total	148850,91,547.08	143719,84,825.08
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	23554,52,494.00	22484,18,940.00
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	2958,81,646.00	2725,68,410.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	12174,57,277.00	12569,87,303.00
	Total	38687,91,417.00	37779,74,653.00
	Balance as on 31st March	110163,00,130.08	105940,10,172.08
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	1829,35,791.72	1334,84,226.87
Add :	Amount transferred out to the Regions	12174,57,277.00	12569,87,303.00
	Total	14003,93,068.72	13904,71,529.87
Less :	Amount received from other Regions	11617,44,879.00	12075,35,738.15
	Balance as on 31st March	2386,48,189.72	1829,35,791.72
C. Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c			
		36462,46,016.82	
	Total (A+B+C)	149011,94,336.62	107769,45,963.80

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	668899,82,403.82	448024,38,855.29
Add :			
1.	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	125100,00,000.00	172880,02,352.03
2.	Interest realised on S.B. Account	18,19,318.00	24,63,652.00
3.	Interest realised on Securities during the year	38012,91,508.59	35523,57,767.41
4.	Interest accrued but not due on Investments	17939,21,876.80	13780,72,390.63
5.	Interest due but not received on Investments	13,96,800.00	0.00
6.	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
7.	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	51395,63,061.98	49479,21,454.51
	Total	901379,74,969.19	719712,56,471.87
Less :			
1.	Payment made by the Regions	51395,63,061.98	49479,21,454.51
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	290,65,732.59	1333,52,613.54
3.	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	51686,28,794.57	50812,74,068.05
	Balance as on 31st March	849693,46,174.62	668899,82,403.82
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I - CURRENT LIABILITIES			
1.	New Pension Scheme Contribution Payable	397,04,592.01	382,50,373.51
2.	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	0.00
3.	Security Deposit Refundable	182,77,807.39	182,91,614.39
4.	Group Insurance Scheme (New)	40,62,348.22	29,41,384.22
5.	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a.	Suspense Account (Admn. Fund)	2657,65,643.18	2057,71,343.07
	B. Central :		
a.	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	321,85,494.88	321,85,494.88
b.	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c.	Amount payable to EPF Contribution A/c	713,37,470.56	713,37,470.56
6.	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	2803,65,422.03	2932,55,710.19
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	213,59,978.44	63,69,620.44
	PDNASS	31,35,008.00	39,55,628.19
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7.	Propotionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	15005,08,876.45	13342,24,451.05
8.	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	0.00	-5,12,594.54
	Total	22375,32,421.16	20069,00,275.96

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	11854,34,677.02	13517,15,214.09
	Total	11854,34,677.02	13517,15,214.09
	Balance as on 31st March	34229,67,098.18	33586,15,490.05
EDLI Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	290638,78,672.78	267107,88,240.48
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	22623,88,547.87	23530,90,432.30
	Balance as on 31st March	313262,67,220.65	290638,78,672.78
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	136,76,317.41	138,14,386.11
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges - Central)	483,77,675.89	483,75,930.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,77,681.00	6,15,488.74
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	5273,02,852.18	4304,25,782.73
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	5900,34,526.48	4932,31,588.47
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 18			
Employees' Provident Fund -Investments		72343421,52,194.79	62451465,10,480.52

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	18412,03,034.43	2022,38,782.43
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	15625,18,760.51	7682,20,289.41
3	Interest on EPF Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	1548826,78,859.65	1369486,47,290.60
	Interest due but not received on Investments	2469,97,761.50	26,48,918.43
	Interest accrued on FDRs	67,92,461.02	88,26,086.95
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	10730,98,402.14	8776,07,376.04
b	Irregular Payments	736,47,819.06	588,22,330.22
c	Over Payments	310,11,924.01	635,12,425.91
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	4080,96,451.70	4080,96,451.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	3805,15,879.55	3198,32,570.55
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	1365,82,585.29	367,26,624.29
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	713,37,470.56	713,37,470.56
6	Amount receivable from EPS Fund (PMRPY)	66899,25,339.00	0.00
7	Amount receivable from Govt. (PMRPY)	30612,07,405.00	0.00
8	Others	0.00	0.00
	Total	1704656,14,153.42	1397665,16,617.09
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	6896,00,496.24	6892,48,681.24
Add :	Amount paid to Members during the year	53,91,649.00	3,51,815.00
Less :	Amount received from Employers	(26346,97,113.66)	0.00
	Total	33296,89,258.90	6896,00,496.24
	Balance as on 31st March	1737953,03,412.32	1404561,17,113.33
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 20			
Employees' Pension Fund -Investments		43776254,33,646.33	37767437,18,923.40

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00	40809,27,535.17
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance with SBI Mumbai	5803,49,894.09	3367,00,057.00
b	Sundry Debits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	13686,34,041.32	12953,66,387.37
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	695,28,578.98	1074,15,950.98
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	2017,63,057.60	2017,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa	2049,18,000.20	578,92,982.20
c	Remittance in Transit	6290,05,444.68	6290,05,444.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	688134,85,845.19	606512,94,608.83
	Interest due but not received on Investments	805,88,310.40	5,08,204.40
	Interest accrued on FDRs	49,36,245.67	64,14,130.43
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	155056,37,921.02	166376,07,826.00
	Interest receivable under Minimum Pension scheme	30425,94,724.10	22062,86,163.18
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	881081,54,326.00	730891,35,828.00
f	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1786095,96,389.25	1593003,18,175.84
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
SCHEDULE No. 22			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		2675496,66,933.53	2359154,14,156.47
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	1325,94,304.54	2583,19,928.46
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	107,83,501.80	366,34,563.22
3.	Balance with SBI	480,54,421.66	111,36,485.36
b	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 21 to 25	974,96,579.96	974,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	1149,57,113.86	1049,75,206.01
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	165,96,337.50	165,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	129,32,466.14	129,32,466.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable	0.00	
	Interest accrued but not due on Investments	37116,94,451.93	33492,15,180.81
	Interest due but not received on Investments	26,19,000.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	64,411.27	92,565.03
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	6486,46,734.38	6503,02,727.49
e	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	47969,71,547.19	45382,34,264.13

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 24			
FIXED ASSETS		46138,84,118.11	40836,52,051.42
SCHEDULE No. 25			
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
Special Deposit Account		2328619,35,438.53	2160085,09,245.10
FDRs		21000,00,000.00	21000,00,000.00
Balance as on 31st March		2349619,35,438.53	2181085,09,245.10
SCHEDULE No. 26			
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		171374,94,479.57	156280,13,290.03
SCHEDULE No. 27			
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		830595,00,428.24	655094,88,346.93
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
1	Amount in Transit :		
a	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	518,03,113.18	518,03,113.18
b	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	122,68,499.25	122,68,499.25
	Total	640,71,612.43	640,71,612.43
2	Cash Book Balance		
(A)	State Bank of India :		
a	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)	0.00	0.00
b	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)	3420,16,676.37	3076,33,433.43
c	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	76,39,584.82	5,895.82
d	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	937,07,057.88	5,492.88
e	Head Office	0.00	0.00
f	PDNASS	0.00	0.00
g	EPF Appellate Tribunal	3491,15,160.57	224,48,715.62
	Total	7924,78,479.64	3300,93,537.75
(B)	Reserve Bank of India :		
a	S.P.F. Investment Account	1,95,740.42	72,93,151.88
b	Pension-cum-Gratuity Investment A/c	211,16,906.19	22,00,473.33
	Total	213,12,646.61	94,93,625.21
(C)	Imprest Account	61,895.40	67,289.70
3	Sundry Debits :		
	Suspense Account (Unclassified) :		
a.	Suspense Account (Admn. Fund)	2386,68,019.07	2276,32,264.88
4	Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :		
a	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa	204,38,794.97	204,38,794.97
b	Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)	1,78,339.00	1,78,339.00
c	Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)	0.00	0.00
	Total	206,17,133.97	206,17,133.97

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
5	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	39,20,756.99	75,67,525.04
b	House Building advance	1569,05,301.39	605,46,599.39
c	Fan advance	70,369.80	74,744.80
d	Warm Clothing advance	1,234.75	1,234.75
e	Festival advance	21,12,135.30	21,39,814.30
f	Natural Calamity advance	1,60,603.45	1,87,607.45
g	Advance of Pay	7,98,943.00	24,90,794.00
h	Advance of DA/TA	176,76,409.54	180,54,433.54
i	Food grain advance	1,216.75	1,216.75
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	1,61,805.00	2,18,574.00
k	Computer Advance	299,30,024.55	300,41,430.55
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	58,52,530.32	57,01,620.12
	TOTAL	2175,91,330.84	1270,25,594.69
6	Prepaid Expenditure	0	0.00
7	Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	11,98,370.00	710,42,345.00
8	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	3891,17,335.37	3954,83,108.36
	Interest due but not received on Investments	4,36,500.00	0.00
9	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	17939,21,876.80	13780,72,390.63
	Interest due but not received on Investments	13,96,800.00	0.00
10	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	312,58,226.20	305,54,082.20
12	Others (TDS refundable)	136,56,505.00	136,56,505.00
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	12074,40,467.92	88725,32,035.92
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	77,15,438.19	0.00
15	Amount receivable from SPF a/c	36462,46,016.82	0.00
	Balance as on 31st March	84471,88,654.26	115403,41,525.74

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 29			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Accounts	303323,14,301.48	281394,12,147.16
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
A Cash Book Balance :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B Remittance in Transit :			
1.	From A/c No. 22 to 24	154,34,043.77	154,32,020.07
C Sundry Debits :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	102,87,125.08	102,91,652.62
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	118,39,758.32	118,32,348.32
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice -versa	166,08,121.04	166,08,121.04
D Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable			
	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E Amount receivable from EDLI Contribution A/c			
	Excess Transfer of Propotionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central)	15005,08,876.45	13342,24,451.05
F Others			
		0.00	0.00
Balance as on 31st March		15839,87,445.65	14176,98,114.09

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2019			
		Amount-Rs.	
INCOME	Schedule	Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF- Contributions Fund			
Interest Income during the year	31	5281418,96,301.33	5233773,54,185.32
Other Income during the year	32	70261,45,693.08	69073,41,428.96
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		5351680,41,994.41	5302846,95,614.28
Employees' Pension Scheme, 1995			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Income from Pension Contribution	33	4666164,35,565.19	4237565,42,068.61
Interest Income during the year	34	3312730,67,861.34	3049087,27,602.03
Other Income	35	53264,37,635.93	46634,74,935.62
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		8032159,41,062.46	7333287,44,606.26
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Income from Contribution from employers		194256,29,631.90	173115,88,878.61
Interest Income during the year	36	200540,04,671.82	193496,70,024.03
Other Income	37	2757,51,938.78	2672,72,063.76
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		397553,86,242.50	369285,30,966.40
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF - Administration Fund			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	359294,94,988.93	386468,12,989.86
Interest income during the year	39	168583,11,681.43	155835,02,420.35
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		3541,15,574.60	3991,64,290.14
Other Income - Miscellaneous Receipts		1239,78,424.70	1376,53,599.45
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		532659,00,669.66	547671,33,299.80
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	4237,97,896.94	7235,28,926.31
Interest income during the year	41	21924,87,442.67	20287,58,630.28
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		3,27,025.94	8,362.00
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		26166,12,365.55	27522,95,918.59

			Amount-Rs.
EXPENDITURE	Schedule	Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
EPF- Contributions Fund			
Interest payment to the Members	42	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		21698,01,295.88	49598,20,184.15
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Interest accrued on SRF		2979,45,683.75	2713,13,362.43
Interest on overdraft paid to Banks		8239,43,484.65	3521,01,795.61
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		5393347,90,464.28	4657466,35,342.19
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		(41667,48,469.87)	645380,60,272.09
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	1884374,56,028.04	1659703,89,956.24
Commission to Banks for disbursement of pension		8710,61,705.75	5467,96,555.67
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		14462,60,318.87	23020,94,149.68
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		98,91,238.00	18321,83,671.00
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)		-	-
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		1907646,69,290.66	1706514,64,332.59
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		6124512,71,771.80	5626772,80,273.67
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Assurance Benefits paid		77769,46,115.50	57943,34,727.02
Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities)		900,38,359.28	2008,98,537.70
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		4,91,325.66	3,72,898.75
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		-	-
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		78674,75,800.44	59956,06,163.47

III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		318879,10,442.06	309329,24,802.93
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)			
A- Establishment Expenses			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		107486,62,476.92	113693,49,145.25
Allowances and Honorarium		28529,29,027.76	27338,87,816.64
Grants - Welfare Funds etc		805,54,999.00	672,23,157.00
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		176495,63,061.98	222359,23,806.54
S.P.F., D.L.I. Benefits		17,40,000.00	9,97,674.00
TA & LTC		3472,17,060.00	2711,69,882.00
TOTAL A		316806,66,625.66	366785,51,481.43
B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		2556,05,044.90	2699,90,596.09
Postage		831,93,025.00	830,14,109.00
Printing & Stationery		1292,31,092.39	1239,69,076.79
Rent, Rates & Taxes		2817,92,602.00	2591,96,336.95
Vehicle Running & Maintenance Expenses		123,69,812.00	146,05,693.00
Telephone, Internet & Communication Charges		522,90,355.00	550,12,842.00
Insurance Expenses		0.00	0.00
Water Charges		98,60,520.00	176,28,196.00
Staff Paid from contingencies		8577,09,238.00	7014,26,471.00
Advertisement & Publicity		126,38,410.00	235,48,529.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip.		4160,80,632.83	4496,30,704.22
Travelling Expenses		620,24,377.00	530,51,681.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		5335,52,967.76	7165,20,809.49
Bank Commission and T.T. Charges		5297,66,147.83	0.00
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		2113,35,121.88	1771,43,963.40
Net Depreciation on Fixed Assets		2838,19,436.46	2925,87,310.87
Loss/Gain on Liquidation of Assets		-3,77,949.00	5,51,214.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable		0.00	0.00
Total B		37308,90,834.05	32378,77,532.81
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		354115,57,459.71	399164,29,014.24
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		178543,43,209.95	148507,04,285.56
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Propotinate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		3541,15,574.60	3991,64,290.14
Other payment:			
Account No. 22		1,08,243.08	41,196.15
Account No. 24		-	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		3542,23,817.68	3992,05,486.29
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		22623,88,547.87	23530,90,432.30
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		6602891,65,501.81	6753520,60,066.55

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 31			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	3730053,17,437.60	3762940,83,355.27
2	Interest accrued but not due on Investments	1548826,78,859.65	1369486,47,290.60
3	Interest due but not received on Investments	2469,97,761.50	26,48,918.43
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	101183,32,562.60
5	Interest accrued on FDRs	67,92,461.02	88,26,086.95
6	Interest on Regional Savings Bank Account	1,09,781.56	48,15,971.47
7	Interest on Securities received from estts.	0.00	0.00
8	Interest from subscribers / members on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	0.00
Total		5281418,96,301.33	5233773,54,185.32
SCHEDULE No. 32			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	40307,07,849.34	39060,88,311.88
2	7Q Interest collected during the year	30076,38,070.74	29904,32,698.08
3	Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C)	-122,00,227.00	108,20,419.00
Total		70261,45,693.08	69073,41,428.96
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	4025974,17,067.19	3661823,32,452.61
2	Pension contribution received from Central Govt.	-240891,35,828.00	-155149,26,212.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt.	881081,54,326.00	730891,35,828.00
Total		4666164,35,565.19	4237565,42,068.61
SCHEDULE No. 34			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	1570479,71,122.86	1460989,37,809.41
2	Interest accrued but not due on Investments	688134,85,845.19	606512,94,608.83
3	Interest due but not received on Investments	805,88,310.40	5,08,204.40
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	49,36,245.67	64,14,130.43
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	890429,92,174.00	792569,92,174.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	155056,37,921.02	166376,07,826.00
8	Interest received under Minimum Pension scheme	-22062,86,163.18	0.00
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	30425,94,724.10	22062,86,163.18
10	Interest on Regional Savings Bank Account	-588,52,318.72	506,86,685.78
Total		3312730,67,861.34	3049087,27,602.03
SCHEDULE No. 35			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	21834,78,597.11	18618,76,382.14
2	7Q Interest collected during the year	17630,44,662.89	13601,18,354.76
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	13799,14,375.93	14414,80,198.72
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 11	0.00	0.00
Total		53264,37,635.93	46634,74,935.62

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
EDLI CONTRIBUTION FUND			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	82061,81,148.93	87380,39,564.28
2	Interest accrued but not due on Investments	37116,94,451.93	33492,15,180.81
3	Interest due but not received on Investments	26,19,000.00	0.00
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	64,411.27	92,565.03
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	74847,97,272.51	66113,59,030.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	6486,46,734.38	6503,02,727.49
8	Interest on Regional Savings Bank Account	1,652.80	6,60,956.42
Total		200540,04,671.82	193496,70,024.03
SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	1178,74,036.18	1108,37,510.44
2	7Q Interest collected during the year	770,99,798.60	895,97,005.32
3	Other receipts in A/c No. 21	807,78,104.00	668,37,548.00
4	Other receipts in A/c No. 25	0.00	0.00
Total		2757,51,938.78	2672,72,063.76
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	332499,07,142.18	359914,86,633.31
2	EPF Inspection Charges received during the year	21614,35,579.00	21484,32,147.00
3	Penal Damages collected during the year	2879,42,176.52	3190,67,416.18
4	7Q Interest collected during the year	2302,10,091.23	1878,26,793.37
Total		359294,94,988.93	386468,12,989.86
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on invest. during the year	168571,13,311.43	155102,30,298.26
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	11,98,370.00	710,42,345.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	0.00	22,29,777.09
Total		168583,11,681.43	155835,02,420.35
Less: Interest credited to Building Construction Fund		0.00	0.00
Total		168583,11,681.43	155835,02,420.35
EDLI ADMINISTRATION FUND			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	3445,20,032.27	6308,98,956.34
2	EDLI Inspection Charges received during the year	560,58,618.15	755,25,257.00
3	Penal Damages collected during the year	139,17,625.79	100,77,408.01
4	7Q Interest collected during the year	93,01,620.73	70,27,304.96
Total		4237,97,896.94	7235,28,926.31
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	21929,02,154.32	20283,24,925.86
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	-4,14,711.65	4,33,704.42
Total		21924,87,442.67	20287,58,630.28

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2018-19)	Previous Year (2017-18)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2018-19	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing memebrs / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	763640,57,507.51	698344,60,321.75
2	Life Assurance Benefits	0.00	0.00
3	Pension	1120733,98,520.53	961359,29,634.49
Total		1884374,56,028.04	1659703,89,956.24

U.S. Coast Guard Auxiliary

Amount in Rs.

SCHEDULE No. 18									
Employees' Provident Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	11910760.01,640.00	12098636.96,663.36	657666.60,000.00	18950.16,000.00	81836.39,000.00	-10004.97,175.16	12678359.92,622.18	12505540.38,640.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	15276753.89,382.22	12382188.42,625.16	1788910.00,000.00	-	1187817.62,086.50	-793.59,151.06	15719082.57,081.32	15855038.53,912.83
3	Private Securities	4701761.69,800.00	4703638.60,371.61	1183750.00,000.00	-	-	515.31,771.66	5324829.24,640.69	532421.1,38,000.00
4	State development Loans - SDL	20803055.96,500.00	20880841.38,160.31	6844871.70,000.00	12010.05,000.00	5613003.31,800.00	14193.92,695.71	27132497.40,429.35	27041635.13,300.00
5	State Govt Securities - STG	1306785.42,919.33	1318713.67,307.12	40000.00,000.00	918.02,551.00	618302.58,200.00	1449.09,175.67	1356653.24,906.48	1345625.65,524.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	5300097.01,849.60	5300097.01,849.60	-	10930.04,433.78	1845.11,774.67	-	5300097.01,849.60	5311027.06,283.38
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ETF	3126856.46,576.19	3126856.46,576.19	1847728.18,336.81	-	-	-	4974584.64,913.00	4974584.64,913.00
9	LMF	1073.63,747.00	1073.63,747.00	1647399.24,686.00	-	1652308.48,321.96	-	437.43,849.95	437.43,849.95
10	FDR	116000.00,000.00	116000.00,000.00	124359.49,282.00	-	116000.00,000.00	-	124359.49,282.00	124359.49,282.00
11	Amount Under-Reconciliation	-	-	-	-	-	-	-267479.47,359.78	-
	Total	62543144.12,414.34	62451465.10,480.52	14134685.22,304.81	42806.27,984.78	4219413.51,163.13	5359.77,316.82	72343421.52,194.79	72482659.73,705.16

SCHEDULE No. 20									
Employees' Pension Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	6236316.03,700.00	6190682.45,585.38	316514.60,000.00	-	100772.03,000.00	-946.59,303.33	6394079.68,642.32	6451058.60,700.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	6725731.11,304.32	6392713.95,834.08	833850.00,000.00	-	650198.70,000.00	-182.84,497.18	6860307.44,959.95	6910039.35,998.58
3	Private Securities	2098864.97,000.00	2099201.08,886.45	560500.00,000.00	-	265339.05,000.00	103.80,894.84	2394277.41,214.10	2394025.92,000.00
4	State development Loans - SDL	9153695.23,700.00	9193999.82,826.96	3315639.20,000.00	-	299121.45,000.00	5525.23,997.87	12207174.96,194.42	12170212.98,700.00
5	State Govt Securities - STG	567890.00,000.00	569258.48,902.62	-	-	1700.00,000.00	357.31,800.95	568901.17,099.68	568190.00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	140052.28,022.64	140052.28,022.64	-	-	-	-	140052.28,022.64	140052.28,022.64
7	Public Account	11390413.12,415.86	11390413.12,415.86	12837219.12,415.86	-	-	-	24227632.24,851.72	24227632.24,851.72
8	ETF	1366258.34,375.88	1366258.34,375.88	875073.07,753.12	-	-	-	2241331.42,129.00	2241331.42,129.00
9	LMF	13406.61,810.51	13406.61,810.51	782038.57,804.00	-	796309.59,976.81	-	1331.21,167.41	1331.21,167.41
10	FDR	84300.00,000.00	84300.00,000.00	90375.04,521.00	-	84300.00,000.00	-	90375.04,521.00	90375.04,521.00
11	Amount Under-Reconciliation	-	-	-	-	-	-	-1349208.55,136.91	-
	Total	37775927.72,329.21	37767437.18,923.40	19611209.62,493.98	-	2197740.22,976.81	4856.92,892.95	43776254.33,646.33	55192249.08,070.35

SCHEDULE No. 22									
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	310489.82,000.00	307503.16,975.87	16250.00,000.00	-	2126.05,000.00	-220.09,262.29	321159.44,977.12	324613.77,000.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	374682.55,521.90	371554.27,846.25	47400.00,000.00	-	29691.70,000.00	-20.23,631.86	389263.48,966.90	380381.41,445.71
3	Private Securities	109889.51,000.00	109978.89,819.97	27900.00,000.00	-	15549.17,000.00	15.19,273.52	122318.34,154.44	122240.34,000.00
4	State development Loans - SDL	500103.62,800.00	502631.09,471.91	166594.30,000.00	-	15101.81,800.00	277.61,180.55	653334.95,111.35	651596.11,000.00
5	State Govt Securities - STG	33770.00,000.00	34222.35,550.36	-	-	-	53.99,260.99	34168.36,289.38	33770.00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	249.76,309.05	249.76,309.05	-	-	-	-	249.76,309.05	249.76,309.05
7	Public Account	950372.73,824.14	950372.73,824.14	-	-	-	-	1031723.73,824.14	1031723.73,824.14
8	ETF	77355.12,204.60	77355.12,204.60	43346.09,902.40	-	39410.55,467.22	-	120701.22,107.00	120701.22,107.00
9	LMF	786.64,457.25	786.64,457.25	38584.68,719.00	-	-	-	71.19,669.82	71.19,669.82
10	FDR	1101.14,767.00	1101.14,767.00	-	-	-	-	1101.14,767.00	1101.14,767.00
11	Amount Under-Reconciliation	-	-	-	-	-	-	1405.00,757.33	-
	Total	2358800.92,883.94	2359154.14,156.47	421426.08,621.40	-	101879.29,267.22	106.46,800.91	2675496.66,933.53	2676448.70,122.72

SCHEDULE No. 26									
EPF Staff Provident Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	40484,81,000.00	40138,55,992.03	1699,20,000.00	744,65,000.00	-30,38,907.60	41067,65,305.49	41439,36,000.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	41884,66,968.61	41476,47,021.92	5300,00,000.00	7409,80,000.00	-5,20,092.16	39351,56,977.44	39544,05,280.83	
3	Private Securities	10700,64,000.00	10700,04,434.05	2800,00,000.00	1386,49,000.00	887.22	12113,70,234.84	12114,15,000.00	
4	State development Loans -SDL	46106,50,000.00	46236,63,010.43	15940,40,000.00	2620,50,000.00	34,37,850.22	59540,53,157.91	59426,40,000.00	
5	State Govt Securities -STG	2460,00,000.00	2494,69,109.92	-	-	4,11,011.18	2490,58,098.74	2460,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	8333,20,534.92	8333,20,534.92	-	-	-	8333,20,534.92	8333,20,534.92	
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	
8	ETF	5448,36,772.40	5448,36,772.40	1695,12,045.60	-	-	7143,48,818.80	7143,48,818.80	
9	LMF	-	-	1516,64,321.00	1426,60,264.92	-	92,72,177.00	92,72,177.00	
10	Amount Under-Reconciliation	-	1452,16,414.36	-	-	-	1241,49,174.43	1241,49,174.43	
	Total	155418,19,275.93	156280,13,290.03	28951,36,366.60	13588,04,264.92	2,90,748.96	171374,94,479.57	171794,66,985.98	

SCHEDULE No. 27									
EPF Staff Pension cum Gratuity Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	102194,81,200.00	101747,01,263.14	11391,20,000.00	1033,70,000.00	-58,85,160.19	111373,25,988.92	112552,31,200.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	171047,69,810.18	169593,65,185.79	30800,00,000.00	15564,90,000.00	-43,51,919.54	184858,72,101.92	185491,37,215.34	
3	Private Securities	41558,10,000.00	41617,13,635.01	19500,00,000.00	5851,60,000.00	5,56,011.81	55260,16,222.70	55206,50,000.00	
4	State development Loans -SDL	260768,10,000.00	262967,38,020.79	115594,00,000.00	4308,00,000.00	236,21,013.05	374127,04,778.99	372054,10,000.00	
5	State Govt Securities -STG	4830,00,000.00	5000,07,456.85	-	-	8,33,357.56	4991,74,099.29	4930,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	9179,27,326.87	9179,27,326.87	-	-	-	9179,27,326.87	9179,27,326.87	
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	
8	ETF	59056,16,548.40	59056,16,548.40	29582,94,932.60	-	-	88639,11,481.00	88639,11,481.00	
9	LMF	3032,38,618.76	3032,38,618.76	24767,37,360.00	27835,31,828.93	-	41,94,348.16	41,94,348.16	
10	Amount Under-Reconciliation	-	2901,80,291.32	-	-	-	2123,74,100.39	2123,74,100.39	
	Total	651766,53,504.21	655094,88,346.93	231635,52,292.60	54593,51,828.93	147,73,302.69	830595,00,428.24	830218,35,671.76	

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

(CONTRIBUTION ACCOUNT)

Previous year		Receipts		Amount		Previous year		Payments		Amount	
S. No.	P.	S. No.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	S. No.	P.	Rs.	P.
32588202,79,708.62	1.	Opening Balance as on 01-04-2018		37785391,92,149.44				1.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries :		
3661823,32,452.61	2.	(i) Contribution of Employers		4025974,17,067.19					(a) Amount of Employee's share with interest		0.00
511118,00,000.00		(ii) Contribution of Govt. 2018-2019*		490000,00,000.00			0.00		(b) Withdrawal/Retirement benefits		763640,57,507.51
		(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2017-2018							(c) Life Assurance benefits		0.00
0.00		Interest on the balance in the Public Account of Govt. of India							(d) Pension		1120733,98,520.53
792569,92,174.00	3.	Account of Govt. of India		1056806,00,000.00				2.	Amount paid as commission for disbursement of pension		8710,61,705.75
506,86,685.78	4.	Interest on Saving Bank Account		780,19,198.28			5467,96,555.67		Amount paid towards Pension Fund Admn. Expenses		0.00
1891050,90,525.40	5.	Interest received on Securities		2177061,88,066.52				3.			
32219,94,736.90	6.	Penal Damages		39465,23,260.00			0.00	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption		0.00
	7.	Other receipts :									
14414,80,198.72		(a) Regional Contribution A/c No. 10		13799,14,375.93			0.00	5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities		14462,60,318.87
0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00				6.	Other payments :		
									(a) Regional Contribution A/c No. 10		98,91,238.00
									(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00
								7.	Closing Balance as on 31-03-2019		43681631,84,826.70
39491906,56,482.03		TOTAL		45589278,54,117.36		39491906,56,482.03			TOTAL		45589278,54,117.36

*Including a sum of Rs. 10,00,00,00,000.00 received from MoLE against reimbursement of minimum pension of Rs. 1,000.00

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(SUNIL BARTHWAL)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976													
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19													
(CONTRIBUTION ACCOUNT)													
Previous year		S. No.	Receipt		Amount		Previous year		S. No.	Payment		Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.	Rs.	P.				Rs.	P.
2074763,81,918.07		1.	Opening Balance as on 01-04-2018		2362927,13,711.59		57943,34,727.02		1.	Assurance Benefits		77769,46,115.50	
173115,88,878.61		2.	Contribution of Employers		194256,29,631.90				2.	Amount refunded to employers on			
68459,59,030.00		3.	Interest on investment in Public Account of Govt. of India		81351,00,000.00		0.00			grant of exemption		0.00	
103864,57,028.20		4.	Interest on investment in securities		115554,88,894.77				3.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities		900,38,359.28	
6,60,956.42		5.	Interest on S.B. Accounts		1,652.80		2008,98,537.70		4.	Other payments in :			
2004,34,515.76		6.	Penal Damages & 7Q Intt.		1949,73,834.78					Account No. 21		4,91,325.66	
		7.	Other receipts in :				3,72,898.75			Account No. 25		0.00	
668,37,548.00			Account No. 21		807,78,104.00		0.00		5.	Closing Balance as on 31-03-2019		2678172,10,029.40	
0.00			Account No. 25		0.00		2362927,13,711.59						
2422883,19,875.06			TOTAL		2756846,85,829.84		2422883,19,875.06			TOTAL		2756846,85,829.84	

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHUAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976									
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19									
(ADMINISTRATION ACCOUNT)									
Previous year	S. No.	Receipt		Amount		Previous year		S. No.	Payment
		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
267107,88,240.48	1.	Opening Balance as on 01-04-2018		290638,78,672.78		3991,64,290.14		1	1% Proportionate expenditure on EPFO
6308,98,956.34	2.	Administrative Charges received from the employers		3445,20,032.27				2	Other payments in :
755,25,257.00	3	Inspection Charges received		560,58,618.15		41,196.15			Account No. 22
171,04,712.97	4	Penal Damages & 7Q Intt.		232,19,246.52					Account No. 24
20283,24,925.86	5	Interest received on Investment		21929,02,154.32		290638,78,672.78		3	Closing Balance as on 31-03-2019
4,33,704.42	6	Interest on Savings Bank A/c		-4,14,711.65					
0.00	7.	Other receipts in :		0.00					
8,362.00		Account No. 22		3,27,025.94					
0.00		Account No. 24		0.00					
294630,84,159.07		TOTAL		316804,91,038.33		294630,84,159.07		TOTAL	316804,91,038.33

Sd/-

(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2018-19

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Investments

- (A) The policy of Accounting of ETF investment has been proposed to Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investment is being shown at 'Cost Price'.
- (B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. Fixed Assets:

- 3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.
- 3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.
- 3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.
- 3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

- 4.1 *Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).*
- 4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and 10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

- 6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.
- 6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

- 7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
- 7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

- 8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.
- 8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".
- 8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

- 9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.
- 9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head "Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. Contingent Liabilities

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.1	Claims against the entity not acknowledged as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

2. Capital Commitments

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2018-19, on capital account and not provided for is Rs. 29,328.04 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 31,773.99 Lakh.

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts:

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period income for a sum of Rs. 50.73 Crore and expenditure for a sum of Rs. 66.40 Crore

III. Recovery of statutory dues:

1. Unrealisable category (Court Stay, winding up and BIFR cases) amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q shall be shown as scheme wise.

(Rs.In Lakh)

S. No.	Name of the scheme	Current year- Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs. in lakh)		Previous year- Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs in lakh)	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	2,49,990.71	2,11,906.81	2,19,543.43	1,81,360.06
2.	EPF Admn. Fund	17,330.32	19,860.62	15,454.59	17,861.75
3.	Employees' Pension Fund	1,24,859.71	98,926.44	1,08,850.06	82,231.21
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	12,334.89	9,339.26	9,686.75	7,707.78
5.	EDLI Admn. Fund	382.07	344.93	373.83	274.65
Total		4,04,897.70	3,40,378.06	3,53,908.66	2,89,435.45

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis.
3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund actuarial valuation report has been submitted for 31-03-2016 and 31-03-2017. These reports have yet not been accepted by Government. However, broad findings reported, are as under:

- i. An exercise as to collection of the full data for all the type of beneficiaries may be undertaken so as to have proper evaluation of the Scheme. In the current year an effort was made to collect the data and we have got hundred percent of the pensioners and beneficiaries data and higher numbers in respect of active members' data. However, information shared for active members is substantially large and compared to earlier data provision. The data in respect of other categories of members and balance data for active members should be corrected.
- ii. While submitting the data in electronic format column with "EPS Salary" and components for valuation of net obligations, we have considered the EPS salary given in the data as the salary eligible for benefits.
- iii. An endeavor may be made to have statistical cell in the EPFO so as to generate Scheme specific mortality, attrition and salary escalation etc.
- iv. Salary ceiling for EPS is not linked to the inflation movement and hence usually the benefits get eroded due to the inflation effects, but considering the fact the increase in wage ceiling which can have on the financial health of the Scheme, some alternative method to take care of inflation should be considered. Any, enhancement of salary ceiling for EPS may be done after looking at the effects on the funds. In our opinion in enhancement in salary ceiling if made then a revision in the Scheme will be required so as to give service credit at different level of salary ceiling.
- v. Having proper assets liabilities matching and investment of the money considering the cash flow will help in proper investment and earning of the funds. Investment Department may work closely with the benefits department to achieve the goal of higher earning. This can be possible, when the data required for cash flow projection is available.
- vi. Pension is a long term liabilities and the discount rates and earning rates are driven by the economic factors. It is unlikely that economic factors will remain statics for such a long terms. Considering the statics discount and earning rate would give a scenario of the liability based on current economic scenario. As the Scheme is an on- going one and benefit and contributions are defined, any variation in the actuarial parameters may be re-adjusted in annual valuations so as to have a perspective of the Scheme year on year.
- vii. Sensitivity analysis is recommended once the data is available do such analysis. Current data availability and purpose of valuation does not call for analysis as of now.

Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	Amount in Crore Rs.
(a) Present Value of all the benefits	7,37,700.57
(b) Present Value of contribution	4,03,756.28
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	3,33,944.29
Corpus as on 31-03-2017 (d)	3,18,412.38
Net Liability (in crore) (Actuarial Shortfall)	15,531.91

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund actuarial valuation was last made for the year/as on 01-09-2014 and broad findings reported are as under:

EDLI Scheme with the current benefits has no immediate problem of solvency, Fundamentals of the schemes are strong and it can sustain the benefits over a current cohort.

- i. The main reason behind the sustainability of the scheme is the availability of current corpus Rs.13,711 crores.
- ii. Annual valuation of the scheme is recommended.
- iii. It is also suggested that any alteration in the scheme in future should be done only after formal valuation.
- iv. Mortality experience of the scheme will be change over a period of time, and it may be advisable to create an experience mortality table for the scheme.

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

(A) Inoperative Accounts: The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs.1,638.37 Crore and No. of such accounts is 6,91,774 as on 31-03-2019

(B) Irregular payments, and Overpayments :

As on 31.03.2019, a sum of Rs. 7.36 crore and Rs. 3.10 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation-

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as Annexure 'A'

(B) Refund of TDS:

A sum of TDS of Rs. 8.37 crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Department during 1997-1998 to 2005-2006. The matter has been taken up with the Secretary MOL&E vide U.O. Note dated 20-06-2018 proposing therein that issue

may be taken up at level of Hon'ble Minister of Labour and Employment of the Government of India with Hon'ble Minister of Finance of the Government of India for issuing necessary directions to the Income Tax authorities for refund of Rs.8,36,98,105.70 alongwith interest at the earliest. Under Secretary to Govt. of India, MOL&E vide letter dated 16.07.18 has requested to furnish the information relating to Details of Tax Deductions and the amount of tax deducted date wise and tax wise certificate nos. and date of each certificate.

C) Difference between the figures of Investments:

The difference in the investment figures as shown in the Balance Sheet and in the holding figures held in the investment records is due to the fact that while the investment figures shown in the Balance Sheet are reflected at the cost price after amortisation, they are booked at the face value in the Investment records. The difference between the cost price after amortisation and the face value would, therefore, depend upon the extent of premium paid/discount availed and to the extent the same has already been amortized. As securities are regularly purchased, the calculation of amortization is a dynamic and ongoing process and is handled through dedicated software for computing the same.

(D) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2019 was Rs.85,363.29 Crore.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	96,24,54,812.81
Add: Amount remained unclassified during the year	1,44,57,60,838.48
Total	2,40,82,15,651.29
Less: Amount cleared during the year	2,82,46,71,637.55
Closing Balance	(-) 41,64,55,986.26

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	20,57,71,343.07
Add: Amount remained unclassified during the year	2,11,78,77,977.13
Total	2,32,36,49,320.20
Less: Amount cleared during the year	2,05,78,83,677.02
Closing Balance	26,57,65,643.18

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances	
Opening Balance	87,76,07,376.04
Add: Amount remained unclassified during the year	2,60,66,85,868.26
Total	3,48,42,93,244.30
Less: Amount cleared during the year	2,41,11,94,842.16
Closing Balance	1,07,30,98,402.14

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances	
Opening Balance	22,76,32,264.88
Add: Amount remained unclassified during the year	11,10,19,973.02
Total	33,86,52,237.90
Less: Amount cleared during the year	9,99,84,218.83
Closing Balance	23,86,68,019.07

PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employers responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO is directly reimbursed the deducted amount from the above mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018)

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY is shown as misc. income for accounting purpose, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are treated as advances in EPF Scheme and EPS for PMPRPY and PMRPY Schemes, respectively. The matter regarding amount of interest earned on Bank Account opened for grant received under PMPRPY Scheme is under consideration before the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi. After, finalization of the issue, the amount of such interest shall be treated as per decision taken by Govt. of India.

IX. Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.
- ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- iii. Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.
- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

X. Fixed Assets (Schedule No.24)

- (A) 'Other Fixed Assets' comprise the assets such as Powder Drilling Machine, Stabilizer, Fire extinguishers etc.
- (B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under:-

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Hyderabad	Sy No. 276/2 at Allwyn Colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016
2	Head Office	The built up office space of EPFO Head Office, 14-Bikhaji Cama Place, Hudco Vishala Building was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not registered in the name of EPFO. The Book value of this Building as on 31.03.2019 is Rs. 21,23,90,281/- only.

XI. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f. 1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total

emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuary has submitted its report in November 2015 and the total Projected Benefit Obligation (PBO) is tabulated below:

(Rs. in crores)

(i)	Pension	9,809.39
(ii)	Gratuity	750.27
(iii)	Total liabilities (i) + (ii)	10,559.66
(iv)	Available balance as on 31.03.2015	2,269.68
(v)	Deficit (iii) – (iv)	8,289.98
(vi)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund upto 31.03.2017	1,706.81
(vii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund between 01-04-2017 to 31-03-2018	1,728.80
(viii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund between 01-04-2018 to 31-03-2019	1,251.00
	Balance Deficit [(v) – (vii)]	3,603.37

The report of the actuary was accepted by the CBT, EPF and, thereafter, the surplus amount of administrative charges is being transferred in the Staff Pension-cum-Gratuity Fund to meet out the requirement of the Fund. An amount of Rs. 4,686.61 crore has been transferred in the Staff Pension-cum- Gratuity Fund.

- XII.** An amount of Rs. 3.90 crore is receivable from CBEC and CBDT (CBE: Rs. 1.87 crore and CBDT: Rs. 2.03 crore) for the period from September 2009 to September 2016 towards monthly electricity & water charges and maintenance of commonly shared services at HUDCO Vishala Building of EPFO. The matter has been taken up with the authorities of the electricity and water supply agencies for getting separate metre for EPFO. Till, then CBEC and CBDT have been asked to pay their share of dues to EPFO including previous dues.

XIII. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA& CAO, EPFO.

Sd/-
(Hemant Jain)
FA & CAO

Sd/-
(Sunil Barthwal)
Central P.F. Commissioner

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON 31st MARCH, 2019

S. No.	Name of establishment	Principal (Face Value of Security) in default	Interest due but not received (Amount in Rs.)	Present status
1.	M/s Pradesh Financial Corporation (Since 1st April, 2004)	Nil	6,49,29,863.02	Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018. Standard Chartered Bank, Custodian vide e-mail dated 07.09.2018 & RO, Lucknow vide e-mail dated 10.09.2018 has confirmed that Standard Chartered Bank (SCB) has received of Rs. 25 Crore pertaining to UPFC Securities. Apart from that UPFC has paid Rs.27,60,00,00,000/- only as claim for interest on 05.12.2018. In this connection, The Principal Secretary, Deptt. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow vide this Office letter dated 10.05.2019 has been requested to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount. Remarks – Rs.25,00,00,000/- as Principal amount has been received from UPSFC on 27-08-2018. Remarks – Rs.27,60,00,00,000/- as Interest amount has been received from UPSFC on 05.12.2018.
2.	M/s Pradeshiya Investment Corporation of UP Limited (UP PICUP) (Since July,	Nil	1,62,44,864.10	UP-PICUP had failed to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the interest amount. Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1759. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P.

2003)				No.1759), UP-PICUP has forwarded DD dated 26.10.2018 for Rs.2,38,07,502/- The Principal Secretary, Deptt. of Infrastructure & Industrial Development, State of UP, Civil Secretariat, Lucknow vide this Office letter dated 10.05.2019 has been informed that UP-PICUP has paid the interest amount Rs. 2,38,07,502.00 on 31.10.2018 and requested to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount. Remarks – Rs. 2,38,07,502/- as interest amount has been received from UP-PICUP on 31-10-2018.
3.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	Nil	2,18,26,722.23	EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. Lawyer requested EPFO to reconsider the decision. EPFO has written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017. Further matter has been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. Further, a reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, a copy of which has been endorsed to SCB, Custodian for necessary action.
4.	M/s P.S.I.D.C. (Since 2013- accrued interest on delayed maturity interest payments are pending since 2004)	74,00,000.00	1,00,24,233.68	A D.O letter was sent to Chairman, PSIDC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT,EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response was received, a D.O. was letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PSIDC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 15-03-2017, 13-07-2017, 05-02-2018 and 21-05-2019 and Principal Secretary of Finance, Govt. of Punjab on 05-02-2018 and 21-05-2019.

5.	HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since, 1996)	Nil	440,976.82	Recovery suits have been filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The case is still pending. Letter issued on 09-05-2013, 16-08-2014, 27-03-2015 and 05-05-2016 to advocate to furnish opinion on BIFR and to challenge the stay order and to intimate status report. Reminder has also been issued to RC, RO, Bangalore for furnishing the present status of case vide letter dated 29-05-2018 and 02-05-2019. A D.O letter was sent to Chairman, PFC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT, EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16-08-2016. As no response received, D.O. letter issued to Governor, RBI on 03-02-2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 & 4-12-2018, 08-05-2019 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018, endorsement letter dated 08-05-2019. A meeting was held in the office of PFC at Chandigarh on 27-05-2019 which was attended by representative of SCB, Custodian and official of EPFO, in which the claim of EPFO was strongly put forward. It was decided that PFC would schedule a Secretary level meeting and communicate about the same to all the bond holders. The response of PFC is still awaited. A D.O letter was sent to Chairman, IL&FS on 11-01-2019 to pay the defaulted amount. Further, the Chairman, IL&FS vide this Office reminder letter dated 31-01-2019 has again been requested to submit a detailed action plan on the subject matter at the earliest. Further, Director, SCB vide this Office letter dated 18-02-2019 has been requested to ensure the due payments on account of interest be paid in time to the Central Board, EPF and intimate the updated status to this Office immediately. An Intervention application has been filed before NCLAT on 8th February 2019 by Debenture Trustee on behalf of Debenture holders including EPFO. Custodian is regularly following it up with the Issuer citing EPFO's investments being workers' contributions. The claim form as asked by Claim Management Advisor in case of IL&FS has been duly submitted to the Debenture Trustee. Further, EPFO has directed its Portfolio Managers to submit a joint petition before the appropriate forum under IBC.
6.	M/s Punjab Financial Corporation (Since 2014)	42,20,000	6,12,711.97	
7.	M/s Infrastructure Leasing & Financial Service	Nil	21,79,59,000.00	

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organisation for the year ended 31 March 2019

SEPARATE AUDIT REPORT – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2019, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 21 Zonal offices (ZO) including 135 Regional offices (ROs), PDUNASS and EPF Appellate Tribunal of the Employees' Provident Fund Organization (New Delhi & Bengaluru). Out of these accounts of Head Office, 4 Zonal offices, PDUNASS, 12 Regional Offices were audited and comments have been suitably included in this report. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material	3. No Comments, being factual.

misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 4. Based on our audit, we report that: i. We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; ii. The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance subject to the observations in the report. iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books. iv We further report that:	4. No Comments, being factual.
A. Balance Sheet A.1 Assets Investments (Schedule 18, 20, 22, 26, 27) – Rs. 1197971.43 crore As per the Significant Accounting Policy No 2(B) the investment in the debt securities have been valued at amortised value. EPFO could not classify this amortised value of total	A. Balance Sheet A.1 Assets There is no difference in respect of face Value of Investments of EPFO which is dully reconciled. There is 'Amount under reconciliation' under amortized value, which will be reconciled as per the report of the committee already formed

investment shown in the Balance Sheet into the different types of investment it has made. In the column of 'amortised value' significant amount of Rs 116214 crore investment has been shown under reconciliation as on 31 March 2019, therefore the breakup of the amortised value as per type of investment has not been finalised. Due to significant amount under reconciliation the amortised value of investment shown in the accounts could not be verified by the audit. EPFO has assured that the reconciliation of the amortised value of investment will be completed by 30 September 2020 and reflected in the annual accounts of 2019-20.	for the purpose. All out efforts would be made to complete the exercise by 30th Sep. 2020.
A.2 Annual Valuation of Employees Pension Scheme As per paragraph 32 of Employees Pension Scheme, the Union Government is required to get annual valuation of Employees Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Though the result and impact of annual valuation of 2015-16 and 2016-17 have been disclosed in the Notes to the accounts but impact of Rs. 15531.91 crore of actuarial shortfall have not been accounted for in the books of accounts and valuation for the year 2017-18 and 2018-19 is yet to be done. In the absence of the non-accounts of impact of valuation of 2015 and 2016 in the books of accounts and concurrent valuation of the EPS, audit is unable to verify the correctness of the EPS. Ministry has stated that the timeframe to complete the process of valuation of EPS every year is under consideration of the Ministry in consultation with IFD, L&E, and EPFO and once the time frame is put in place the process of valuation of EPS will be streamlined and conducted on time. Reason for non approval/pendency of the valuation of EPS done not furnished.	A.2 Annual Valuation of Employees Pension Scheme The 20th & 21st Actuarial Valuation Reports of Employees Pension Fund as on 31.03.2016 and 31.03.2017, respectively, have been accepted by the Central Government. After approval of the Government, the Actuary has been appointed for the actuarial valuation as on 31.03.2018 and 31.03.2019 vide letter no. Pension-1/18(6)/18/22nd Valuation/11171 dated 11.02.2020.

B. Significant Accounting Policies (Schedule 44) B.1 Significant Accounting Policy No. 9.1 states that liabilities on account of Staff Pension-Cum-Gratuity Fund are accounted for on actuarial basis at the year end. The EPFO has not conducted actuarial valuation for above fund after Nov. 2015. During the year Rs. 1251 crore added in above fund and the deficit amounting to Rs. 3603.37 crore (refer Notes to Accounts on Staff Pension-Cum-Gratuity Fund) remained to be transferred in the above fund on the basis of valuation report in November 2015. The actuarial valuation 2017-18 and 2018-19 was not done as required as per their Significant Accounting policy No.9.1.	B. Significant Accounting Policies (Schedule 44) B.1 The amount provided for make up of shortfall in Gratuity cum Pension Fund is being treated as expenditure of current year as per SAP No.9.1. Actuarial valuation of staff Pension- Cum- gratuity fund as on 31.03.2019 is completed and report will be placed in upcoming CBT, EPF for approval. Accordingly, liability of the same will be provided in current year accounts.
B.2 Significant Accounting Policy No. 9.2 states that Leave encashment shall be treated as revenue expenditure of that year. This accounting policy is in contravention of paragraph 127 of AS-15 which provides that the provision for the leave encashment on retirement should be made on the basis of actuarial valuation.	B.2 This is as per accounting policy approved by CAG and finally accepted by CBT. The leave encashment expenses are being treated as revenue expenditure of that year as per approved 'Common Format of Accounts & its Schedules'. The Schedule 44:Significant Accounting Policies, (point 10.2) provide that 'Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year'
C. General Comments C.1 EPF Contribution Fund Member Account Members inoperative Account (Schedule 2) – Rs. 1638.37 crore During the audit of test checked Regional offices (RO Naroda, RO Salem and RO Coimbatore) Audit noticed that there were differences in inoperative account and various linking document made available for Audit. Therefore the correctness of these balances could not be verified. Similar difference in these balances	C. General Comments C.1 EPF Contribution Fund Member Account Members inoperative Account (Schedule 2) – Rs. 1638.37 crore The inoperative accounts of members are the part of members PF liabilities towards the EPFO. The Regional Office, has shown the payment of inoperative accounts in the payments to members accounts (operative) otherwise their Cash Book would not have reconciled. This is simply misclassification of

accounts within the members accounts. Therefore, there is no over statement of members accounts liabilities.

The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head Office level.

(ii) The inoperative accounts of members are the part of members PF liabilities towards the EPFO. The Regional Office, has shown the payment of inoperative accounts in the payments to members accounts (operative) otherwise their Cash Book would not have reconciled. This is simply misclassification of accounts within the members accounts. Therefore, there is no over statement of members accounts liabilities.

The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in

in other ROs could not be ruled out.

(Rs. in crore)

RO/ZO	Head of Accounts	Amount shown in inoperative accounts in accounts	Amount per report/linking documents/E DP	Difference
RO Naroda	Payment made from inoperative account	4.29	14.62	10.33
RO Salem	Payment made from inoperative account	Nil	43.05	43.05
RO Coimbatore	Amount transferred to inoperative account	Nil	687.97	687.97

(ii) Balance sheet item of "Claim settled/paid" in Regional offices were reflected "Nil" amount though there were instance of claim settled/paid during the year. Therefore "Nil" balance cannot be verified in audit. Though this was noticed by audit in Regional office Tirunelveli instance in other ROs cannot be ruled out.

(iii) Following difference were noticed in RO, Kandivali (East & West) as per balance sheet and amount shown in ledger.	(Amount in crore.) <table><tr><th>RO</th><th>Opening Balance as per Balance Sheet</th><th>Closing Balance as per Balance Sheet</th><th>Opening Balance as per ledger</th><th>Closing Balance as per ledger</th></tr><tr><td>Kandivali (East & West)</td><td>2415.08</td><td>1192.04</td><td>2316.96</td><td>1093.93</td></tr></table>				RO	Opening Balance as per Balance Sheet	Closing Balance as per Balance Sheet	Opening Balance as per ledger	Closing Balance as per ledger	Kandivali (East & West)	2415.08	1192.04	2316.96	1093.93	the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head Office level.
RO	Opening Balance as per Balance Sheet	Closing Balance as per Balance Sheet	Opening Balance as per ledger	Closing Balance as per ledger											
Kandivali (East & West)	2415.08	1192.04	2316.96	1093.93											
(iii) The inoperative accounts of members are the part of members PF liabilities towards the EPFO. The Regional Office, has shown the payment of inoperative accounts in the payments to members accounts (operative) otherwise their Cash Book would not have reconciled. This is simply misclassification of accounts within the members accounts. Therefore, there is no over statement of members accounts liabilities.															
The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. According to the amended definition, the difference amount of inoperative accounts has been transferred to operative accounts (Schedule I of Balance Sheet) during the accounting year 2018-19 at Head Office level.															
C.2 Investment Fluctuation Account (Schedule 4) - Rs. 270.08 crore The above amount of Rs. 270.08 crore under Investment Fluctuation account had not been operated since 2006-07. A decision on the continuation of this non-operational account and consequent necessary accounting adjustment in the accounts needs															
C.2 Investment Fluctuation Account (Schedule 4) - Rs. 270.08 crore Any premium paid/ discount received on purchase of securities was transferred to Investment Fluctuation account. With introduction of amortization policy, this practice was															

to be taken. This was pointed out in the last year report also but EPFO has not taken any action.. EPFO has stated that Agenda in this regard is being put up for consideration of Central Board of Trustees, EPF	dispensed with. The main amount of this account was transferred to Interest Account and balance of Rs. 270.08 crore was left. As pointed out by CAG the matter was taken up for consideration and a proposal to transfer the remaining amount of Rs. 270.08 crore to Interest Account was put before CBT,EPF which approved the proposal.																
C.3 Current Assets (Schedule 21, 23, 28 and 30) The above included Rs. 80.65 crore as remittances in transit under current Assets pertaining to the period prior to 2015-16 No action were taken in 2016-17 to 2017-18 and 2018-19, these items have not been accounted under final heads of accounts. Due to non-accountal in proper head of account by EPFO, correctness of the current assets could not be verified to that extent.	C.3 Current Assets (Schedule 21, 23, 28 and 30) The amount in transit are related to previous period. SBI and RBI has shown their inability to provide old records. However we are pursuing the matter with banks for the reconciliation of the same.																
D. Grants-in-aid The Employees' Provident Fund Organisation is mainly financed by receipts from the contributions and from the levy of administrative charges. No Grants-in-aid were received by the organisation from the Government of India during 2018-19. However, the Grants-in-aid have been received from the Central Government towards Minimum Pension of Rs. 1000 per month under EPS, 1995 and PMRPY Schemes. No grants received during the year under PMRPY Scheme. The head wise grant received is as under:	D. Grants-in-aid No Comments, being factual.																
(Rs. in crore)																	
<table><tr><th>Name of the Scheme</th><th>Opening Balance (Rs)</th><th>Received during the Year (Rs)</th><th>Expenditure during the year(Rs)</th></tr><tr><td>EPS</td><td>(-) 7309</td><td>4900</td><td>6402</td></tr><tr><td>PMRPY scheme</td><td>150</td><td>3501(including Rs 7.39 crore interest)</td><td>3570</td></tr><tr><td>PMRPY scheme</td><td>25</td><td>1 (interest only)</td><td>6</td></tr></table>	Name of the Scheme	Opening Balance (Rs)	Received during the Year (Rs)	Expenditure during the year(Rs)	EPS	(-) 7309	4900	6402	PMRPY scheme	150	3501(including Rs 7.39 crore interest)	3570	PMRPY scheme	25	1 (interest only)	6	
Name of the Scheme	Opening Balance (Rs)	Received during the Year (Rs)	Expenditure during the year(Rs)														
EPS	(-) 7309	4900	6402														
PMRPY scheme	150	3501(including Rs 7.39 crore interest)	3570														
PMRPY scheme	25	1 (interest only)	6														

E. Management Letter Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Central Provident Fund Commissioner, EPFO through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action. v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Notes on Accounts and Significant Accounting Policies, and subject to comment No. A.1 and A.2 of the report and other significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India: a. in so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation as at 31 March 2019; and b. in so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.	E. Management Letter Deficiencies pointed out by CAG have been noted and corrective actions are being taken separately.
---	--

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date : 06.08.2020

Sd/-
Principal Director of Audit
(Health, Welfare & Rural Development)

Annexure to the Separate Audit Report

Separate Audit Report (Annexure) – Observations	Comments of the Organisation
1. Adequacy of internal audit system - Internal audit of 130 units including EPFO Hqrs. were planned and conducted during 2018-19 by the audit wing of EPFO. - The follow up action on the outstanding objection was not effective as 16065 internal audit paras were outstanding as on 31.3.2019.	1. Adequacy of internal audit system - No Comments being factual. - Proper follow up actions have been taken and being monitored through E. Sameeksha. Efforts are being made to close these paras.
2. Adequacy of Internal control system. - EPFO did not follow the basic accounting principles and annual accounts were being prepared formula based in MS Excel Programme on single entry system resulting in negative entries in annual accounts. - Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Hqrs. - Sundry debits (Schedule 19) include cumulative balance of overpayments and irregular payments of Rs. 3.10 crore and Rs. 7.36 crore respectively as on 31st March 2019. Amount of irregular payment has increased by Rs.1.48 crore over a period of one year, which indicates a serious system lapse and lack of adequate internal control - Non-conducting the actuarial valuation of retirement benefit since 2015-16 - Improper accounting of advances to Employees by ROs resulting	2. Adequacy of Internal control system. - EPFO follows the accounting policies, principles and formats approved by Government of India, after consultation with CAG of India. Annual Accounts are prepared in common format (based on Double Entry System of Accounting) approved by CAG and notified by Govt. Of India. - Field units have been advised to maintain accounting ledgers from next Financial Year i.e.2020-21. - Overpayments and irregular payments are being monitored by a Overpayment Committee at at Zonal Office level and a dedicated section of Head Office. Apart from this several other measures such as concurrent audit of all the doubtful payments is being conducted to minimize such cases. - Actuarial valuation of staff Pension- Cum- gratuity fund as on 31.03.2019 is completed and report will be placed in upcoming CBT, EPF for approval.

in Minus balances of advances to Employees outstanding as on 31/3/2019 in many ROs. 3. System of physical verification of Assets - The physical verification of furniture & fixtures, computer accessories and vehicles of EPFO Hqrs. were conducted during 2018-19. - The physical verification of Fixed Assets of RO Jabalpur, RO Bhopal, RO Salem, RO Kanpur and RO Chandigarh has not been done for the year 2018-19.	- All the accounting units have been directed to reconcile the negative balances of Advances, although balances of advances in consolidated Balance Sheet are not showing any negative balances. 3. System of physical verification of Assets - No comments, being factual. - The committees have been constituted for regular physical verification of fixed assets in the respective offices. RO- Jabalpur, Bhopal, Salem, Kanpur and Chandigarh are being instructed to ensure the physical verification of Fixed Assets and Inventory on regular intervals.
4. System of physical verification of inventory - Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO Hqrs has been conducted on 3/09/2019 - Physical verification of inventories of RO Jabalpur, RO Bhopal and RO Kanpur had not been conducted during the year.	4. System of physical verification of inventory - No comments, being factual - RO- Jabalpur, Bhopal, Salem, Kanpur and Chandigarh are being instructed to ensure the physical verification of Inventory on regular intervals.
5. Regularity in payment of statutory dues. As per accounts, no payment over six month in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2019.	5. Regularity in payment of statutory dues. No comments, being factual

Annexure to Management Letter

1. Earmarked/Endowment Funds Staff Provident Fund (Schedule 13) - Rs.1490.12 crore EPFO had liability of Rs. 1764.53 crore for Staff Provident Fund Account {Staff Provident Fund Account (Schedule 13): Rs.1490.12 crore and Staff Provident Fund Interest Account (Schedule 11): Rs. 274.41 crore} against which the corresponding assets of Rs. 1754.74 crore had been shown in the accounts {Staff Provident Fund Investment (Schedule 26) : Rs. 1713.75 crore, SPF Amount in transit (Schedule 28): Rs. 1.23 crore , RBI S.P.F Investment Account (Schedule 28): Rs. 0.02 crore, Erroneous debit made to SPF account (Schedule 28): Rs. 0.02 crore, cash book balance (Schedule 28): Rs. 0.76 crore and Interest accrued but not due on investment: Rs. 38.96 crore}. The difference of Rs. 9.79 crore needs to be reconciled.	1. Earmarked/Endowment Funds Staff Provident Fund (Schedule-13) - Rs.1490.12 crore The difference in Assets & Liabilities of Staff Provident Fund Account is due to wrong calculation of amount payable from SPF Account to EPF Admn. Account. The difference of Rs. 7.75 crore (Rs. 9.79 crore shown in SAR's observation) will be adjusted in next financial year
2. Current Liabilities & Provisions (Schedule 15) -Rs. 342.29 crore Provision for other expense payable – Rs. 118.54 crore The above does not include the liabilities for expense due but not paid pertaining to the year 2018-19 amounting to Rs. 88.17 lakh {RO Delhi (East): Salary in respect of outsourced staff (skilled/unskilled/semi-skilled) for the month of March 2019: Rs. 10.36 lakh, RO Jabalpur AMC service charges for IT Hardware and Peripheral and Security Service: Rs. 3.52 lakh, RO Salem: Rs. 14.14 lakh, RO Trichy Rs. 26.53 lakh, RO Tirunelveli: Rs. 5.14 lakh and RO	2. Current Liabilities & Provisions (Schedule 15) -Rs. 342.29 crore Provision for other expense payable – Rs. 118.54 crore It is informed by the Regional Offices mentioned in observation that the referred expenses due but not paid during the year 2018-19 could not be processed by 15th April, 2019, being the closing date for the submission of Annual Accounts for the year 2018-19, by the Regional Offices to the respected Zonal Offices. In some cases, the bills of expenditures were received after 15th April,2019. All left out due but not paid expenses will be accounted for during the current financial year

Coimbatore: RS. 28.48 lakh} resulting in understatement of Current Liabilities and Provisions and overstatement of EPF Administration Fund by Rs. 88.17 lakh.	2019-20, i.e. the year of payment of these expenses.
3. Fixed Assets (Schedule 24) - Rs. 461.39 crore (i) The above does not include the capital expenditure of earlier years of Rs. 10.14 lakh in respect of RO Delhi (East) (D G Set of Rs. 801295, Staff Car of Rs. 134120, Bio-metric Rs. 78080). The same needs to be taken in the accounts as per the disclosed SAP.	3. Fixed Assets (Schedule 24) - Rs. 461.39 crore (i) As per approved accounting policy of Fixed Assets all assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item. The office has been advised to show the DG Set and Bio-Metric Machine items in the inventory of Fixed Assets during the current year i.e. 2019-20. The Staff Car pertaining to erstwhile EPF Appellate Tribunal, New Delhi was wrongly taken in the inventory of Regional Office, Delhi (East), although value of the same was not taken in the accounts. Regional Office, Delhi East, has been advised to remove the referred Staff Car from the inventory. (ii) The negative balance is being carried over from previous years, the same shall be rectified in current year i.e. 2019-20. (iii) Zonal Office, Ahmedabad is in process of completion of lease agreement with the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) in respect of land at Vatwa & Naroda. As soon as lease documents are received in respect of both the offices i.e. Vatwa & Naroda, the relevant amount will be shown as 'Fixed Assets' in the Balance Sheet.
(ii) Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS) Janakpuri (PDUNASS), Janakpuri, has depicted opening balance of fixed assets costing Rs. 51.32 lakh as a negative balance in the accounts of 2018-19, resulting in understatement of Fixed Assets in the consolidated accounts as well as Capital Fund by the like amount.	(iii) ZO, Ahmedabad paid an advance of Rs. 6.24 crore to Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) towards possession of the land at Vatwa & Naroda. The payments were made in August 2012 and the possession was obtained on 8.11.12 and 26.4.13 respectively. The amount should have been shown under Fixed Assets- Lease hold land, but it is being shown under Current Assets-Advances.

EPFO stated that Zonal Office, Ahmedabad is in process of completion of lease agreement with the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) in respect of land at Vatwa & Naroda. As soon as lease documents are received in respect of both the offices i.e. Vatwa & Naroda, the relevant amount will be shown as 'Fixed Assets' in the Balance Sheet	4. EPS Contribution Fund (Schedule 33)-Rs. 46661.64 crore EPFO received Grants-in-aid of Rs. 4900.00 crore (Rs. 3900.00 crore for 1.16% share for EPS-1995 and Rs. 1000.00 crore for Minimum pension Rs. 1000/-) from the Government during 2018-19 but in the above schedule Pension contribution received from Central Govt. was shown as Rs. (-) 2408.91 crore (difference of last year's receivable and grant received during the year) which is against the accrual system of accounting. As the Income & Expenditure accounts pertain to the year 2018-19 the Pension contribution received /receivable from the Central government for the year 2018-19 should be shown under this Schedule, the amount is not ascertainable.	4. EPS Contribution Fund (Schedule-33)-Rs. 46661.64 crore Although net effect of the account is same but for more clarity the account will be shown as per observation, in next financial year.
5. EPF- Administration Fund – (100 % expenditure of EPFO) Other Administrative expenses (Schedule 43) - Rs. 373.09 crore The above head of expenditure includes other charges (recurring/ non-recurring) amounting to Rs. 53.35 crore. The details and nature of this expenditure have not been specified in the notes to accounts neither does a significant accounting policy exists to specify the need for and accounting of this kind of expenditure.	5. EPF- Administration Fund – (100 % expenditure of EPFO) Other Administrative expenses (Schedule 43) - Rs. 373.09 crore Various heads of expenditure have been clubbed under the head, 'other charges (recurring/ non-recurring)' as per the approved common format of Annual Accounts. This is also justified as per 'materiality concept of accounting'. Same is under consideration for review.	5. EPF- Administration Fund – (100 % expenditure of EPFO) Other Administrative expenses (Schedule 43) - Rs. 373.09 crore Various heads of expenditure have been clubbed under the head, 'other charges (recurring/ non-recurring)' as per the approved common format of Annual Accounts. This is also justified as per 'materiality concept of accounting'. Same is under consideration for review.

6. Depreciation (i) Zonal Office, Ahmedabad has charged depreciation on the fixed assets of Rs. 11.16 lakh whereas as per the disclosed Significant Accounting Policy of charging depreciation on straight line method on the rates specified in the Companies Act 2003 it works out to Rs. 15.19 lakh resulting in understatement of Depreciation with consequent overstatement of EPF Administration Fund and Fixed Assets by Rs. 4.03 lakh. (ii) Zonal Office Ahmedabad has charged depreciation of Rs. 1.75 lakh on free hold land. EPFO replied that the leasehold land has been incorrectly shown under freehold land by Regional Office Surat (under ZO Ahmedabad) and this will be rectified in the accounts for the year 2019-20.	6. Depreciation (i) Noted and the difference shall be adjusted in current financial year i.e. 2019-20. (ii) This asset pertains to Regional Office Surat and was wrongly reflected as free hold land in place of lease hold land by the concerned office. The same will be corrected in current financial year i.e. 2019-20 (iii) The same will be incorporated in the current year Balance Sheet i.e. 2019-20 (iv) The Regional Office, Tirunelveli has informed that the corrective action is being taken in current year i.e. 2019-20 (v) The Regional Office, Tirunelveli has informed that the corrective action is being taken in current year i.e. 2019-20 (vi) The Regional Office, Tirunelveli has informed that the corrective action is being taken in current year i.e. 2019-20
(iii) Fixed Assets purchased by the Regional Office Salem had been included in the details furnished to the Zonal Office, however depreciation had been calculated only for the assets purchased during the year. The rates of depreciation adopted for calculation were also not disclosed. (iv) As per the Significant Accounting Policy disclosed by EPFO depreciation on Fixed Assets is being charged on straight line method on the rates specified in the Companies Act 2003. However the Regional Office Trichy and Regional Office Tirunelveli has adopted Written Down Value (WDV) method instead of SLM for calculating depreciation on fixed assets. (v) As per the Significant Accounting Policy disclosed by EPFO depreciation is being charged on Straight Line Method on the rates specified in the Companies Act 2003 However the Regional office has adopted Written Down Value (WDV) method instead of SLM for calculating depreciation on Fixed Assets.	

(vi) EPFO Head Quarters directed all Regional offices to follow Straight Line Method (SLM) at the rates specified under the Companies Act 2013 (as amended) and full rate of depreciation is provided on Fixed Assets which have been used for more than 180 days and half rate, if used upto 180 days. However the RO Tirunelveli has provided only on Cost/Valuation of the Fixed Assets at the beginning of the year and no depreciation was provided for additions to the Fixed Assets of Rs 35.45 lakh during the year resulting in understatement of Depreciation. In the absence of date of purchase Amount could not be quantified.																												
7. Significant Accounting Policies (Schedule 44) As per Accounting Policy No. 4.4 (Schedule 44) lump sum lease amount paid on lease hold land and building is amortised proportionately over the lease period of the holding. However this accounting policy is not being applied uniformly by all the Zonal offices of EPFO as detailed below:	7. Significant Accounting Policies (Schedule 44) Instructions have been issued to all the offices to follow the accounting policies regarding accounting treatment of lease hold land and building strictly.																											
<table><tr><th>Sr. No.</th><th>Zonal office where the leasehold land has been amortised</th><th>Zonal office where the leasehold land has not been amortised</th></tr><tr><td>1.</td><td>Hubli</td><td>Bengaluru</td></tr><tr><td>2.</td><td>Delhi & Uttarakhand</td><td>Coimbatore</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ahmedabad</td><td>Bhubneshwar</td></tr><tr><td>4.</td><td>Bhopal</td><td>Jaipur.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pune</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Kanpur</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Kolkata</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Head Office</td><td></td></tr></table> Details relating to leased assets such as period of lease, lease amount and effective date of lease etc. not provided to audit. Hence, audit is unable to verify the amortisation amount shown under the head fixed assets schedule and correctness of the calculation of depreciation charged during the year.	Sr. No.	Zonal office where the leasehold land has been amortised	Zonal office where the leasehold land has not been amortised	1.	Hubli	Bengaluru	2.	Delhi & Uttarakhand	Coimbatore	3.	Ahmedabad	Bhubneshwar	4.	Bhopal	Jaipur.	5.	Pune		6.	Kanpur		7.	Kolkata		8.	Head Office		
Sr. No.	Zonal office where the leasehold land has been amortised	Zonal office where the leasehold land has not been amortised																										
1.	Hubli	Bengaluru																										
2.	Delhi & Uttarakhand	Coimbatore																										
3.	Ahmedabad	Bhubneshwar																										
4.	Bhopal	Jaipur.																										
5.	Pune																											
6.	Kanpur																											
7.	Kolkata																											
8.	Head Office																											

8. Contingent Liabilities & Notes to Accounts (Schedule 45)

The demand for Goods & Service Tax (formerly Service Tax) for Rs. 1308.04 crore was disclosed under Schedule-45, Contingent Liability & Notes on Accounts, but the period from which it was outstanding was not mentioned in the Notes to Accounts.

8. Contingent Liabilities & Notes to Accounts (Schedule 45)

Noted for compliance in the next accounting year. However, the period wise details is given as under:-

Year	Amount (in Crore)
2009 - 10	174.75
2010 - 11	216.32
2011 - 12	273.05
2012 - 13	341.89
2013 - 14	302.01

9. The details of the bank balances of the units of EPFO were not furnished to audit by EPFO Hqrs. Being an important item of the Balance Sheet the details in respect of the bank accounts of its units along with the supporting document (Bank certificate in support of bank balances and Bank Reconciliation Statement) should be made available for verification at EPFO Hqrs.

9. All the details as asked for by the Audit Team were furnished to the concerned Audit Party who audited that particular accounting unit. Bank certificates of Head Office accounts were provided twice vide U.O. note dated 30-09-2019 and 04-10-2019.

10. The following balances were shown as negative balances under mentioned schedules of annual accounts of EPFO during 2018-19 which is against the generally accepted accounting principles:

Sl. No.	Head of Account	Schedule	Amount shown as negative (in crore)
1	Pension Contribution received from Central Govt.	33	2408.91
2	Interest received under minimum pension scheme	34	220.63
3	Suspense Account (Unclassified)(EPF)	05	41.65

In respect of Sl. No. 3 EPFO stated that some regional offices have inadvertently decreased suspense accounts in liability side in place of adding the same in suspense accounts of assets side. This has resulted in understatement of Assets & Liabilities of EPF by Rs. 41.65 crore.

10. The point wise reply is as under:-

Sl. No.	Head of Account	Sch	Reply
1	Pension Contribution received from Central Govt.	33	Pension contribution received during the year was less than receivable amount for the last year from Govt. Contribution of EPS.
2	Interest received under minimum pension scheme	34	Interest received on minimum pension scheme during the year was less than receivable amount for the last year.
6	Suspense Account (Unclassified)(EPF)	05	The amount of unclassified debits was erroneously shown in liability side by Zonal Office, Bhubaneswar and Banda. The same will be corrected after due reconciliation.

11. The grant of festival advance has been discontinued by the Government from Seventh Pay Commission (2016-17), however, festival advance of Rs. 21.12 lakh has been shown in the accounts as outstanding as on 31/3/2019. This needs to be reconciled.	(11) All the offices showing festival Advance balance have been instructed to reconcile the balances and reflect the correct amount in next accounting year, if any, with reason thereof.
12. Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security) Janakpuri, New Delhi (i) Opening balance of Suspense Account (Adm.) was shown in both Assets as well as Liabilities side of the Balance Sheet of PDUNASS with negative amount of Rs. (-) 3,37,161 and Rs. (-) 84,850 respectively. This needs to be reconciled. (ii) PDUNASS charged depreciation on leasehold land during 2018-19 whereas there is nil balance of leasehold land at the beginning of the year as well as during the period, resulting in negative balance of Rs. 16720 in the fixed assets. Also, no depreciation is deleted from the books of account for fixed assets deleted during the year. (iii) The fixed assets schedule has not been prepared by PDUNASS in the prescribed format. The gross value of the assets as well as the accumulated depreciation (Rs. 2.15 crore) has not been shown in the Schedule. Instead the closing balance of Net Block of fixed assets for 2017-18 was shown as value of Gross Block in the accounts for the year 2018-19. It is not clear as to how this Schedule of Fixed Assets have been merged with the Schedule of Fixed Assets of the other units of EPFO for preparation of the consolidated accounts of EPFO as there is no uniformity. The impact of this aberration on the consolidated accounts could not be worked out.	(12) Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security) Janakpuri, New Delhi (i) The opening balance of Suspense A/c on Liabilities side is Rs (-) 84,850.00 which has already been rectified in the Balance Sheet for the year 2018-19. The opening balance of Suspense A/c on Asset side is Rs. (-) 3,37,161.00 is being carried over from previous years and shall be rectified in current year i.e. 2019-20. (ii) The negative balance of Rs.16,720.00 is shown in depreciation head in the Fixed Assets for the year 2018-19, shall be rectified in the current year i.e. 2019-20. (iii) The same shall be rectified in the current year i.e. 2019-20.
13. Zonal Office Pune (i) Two SBI saving bank accounts nos. 11099461513 and 11099461499 are non-operative and the balance was shown as NIL.	13. Zonal Office Pune (i) The Zonal Office, Pune has submitted bank certificate showing both the accounts as inoperative since 2013. These

No bank statement/pass book/online bank statements were shown to audit. Information like date from which the accounts were in-operative, purpose of opening account and reasons for remaining in-operative was not furnished during audit

EPFO in their reply stated that both the accounts are inoperative since 2013 and these accounts are not operative as per the policy of Employees' Provident Fund Organisation. These inoperative accounts should be closed to prevent their misuse.

(ii) Fixed Assets include Building with Net value of Rs. 1.96 lakh. As the premises on which Naroda office is working is on rent, this has resulted in overstatement of Fixed Assets and Capital Fund by Rs. 1.96 lakh.

EPFO replied that the value of Rs. 1.96 Lakh is for the cost of Air Conditioner. The same is wrongly booked under the head of Building in place of Furniture & Fixture. In the current year i.e. 2019-20 this amount shall be transferred in correct head i.e. Furniture and Fixture.

14. Zonal Office Thane

(i) Differences were observed between the figures of Receipts & Payments Accounts of the five ROs under the Zonal Office, the figures of the accounts compiled by the Zonal Office

Sl. No.	Head of Account	(Amount in crore)		
		Amount as per the accounts of Zonal Office	Amount as per Receipts & Payments Accounts of three ROs	Differences
1.	EPF Contribution received (Account No. 1)	8140.91	8139.99	0.92

accounts are saving bank accounts, which are not operative as per the policy of Employees' Provident Fund Organisation to maintain Current Accounts at field offices.

Zonal Office pune is being directed to close these accounts permanently.

(ii) The Regional Office, Naroda has informed the value of Rs.1.96 Lakh is for the cost of Air Conditioner. The same is wrongly booked under the head of Building in place of Furniture & Fixture. In the current year i.e. 2019-20 this amount shall be transferred in correct head i.e. Furniture and Fixture.

14. Zonal Office Thane

(i) The instructions have been issued to verify the difference in the figures of Zonal Office and Regional Offices and rectify the same in current financial year i.e. 2019-20, if any difference is there.

2.	EPS received (Account No. 10)	2739.70	2739.46	0.24
3.	EDLI Contribution received (Account No. 21)	140.63	140.62	0.01

These differences needs to be reconciled.

(ii) The outstanding expenses in respect of Board's share towards NPS exhibits negative balance of Rs. 9.82 lakh as on 31.3.19 whereas the Boards share toward NPS should not be in negative. Further, as per the accounts of all five ROs under the Zonal Office the Board share toward NPS is (-) Rs. 4.57 lakh whereas in the accounts of Zonal Office it has been taken as (-) Rs. 9.81 lakh resulting in a difference of Rs. 5.24 lakh. This needs to be reconciled.

(iii) Minus balance of Conveyance Advance of Rs. 4.45 lakh as on 31.3.2019 has been shown in the accounts which need to be reconciled.

(iv) Income Tax Department, Circle Thane raised demand of Rs. 8.73 lakh from the Zonal Office, Thane but the said amount was not shown in their accounts.

15. Zonal Office Ahmedabad

Zonal Office Ahmedabad receives the annual accounts from 8 Regional Offices spread across Gujarat and compiles the accounts of Gujarat Zone for onward submission to EPFO Hqrs. During the course of audit the working papers, accounts and other records pertaining to the compilation of Zonal Financial statements were not made available to audit. Hence in the absence of the same the audit is not able to verify the compilation part of accounts of Zonal Office Ahmedabad.

(ii) The outstanding liability of 'Board's share towards N.P.S.' is equal to the closing balance of N.P.S. shown in liability side of Balance Sheet. There is the possibility of negative N.P.S. liability in one office because of non transfer of liability of transferred officials. The difference, if any will be adjusted after reconciliation in the current year i.e. 2019-20.

(iii) All the offices showing negative balances of advance have been instructed to reconcile the balances and reflect the correct amount in next accounting year.

(iv) The pending payment is related to TDS amounts of contractor, which is still pending for reconciliation. As soon as the reconciliation is done, the payment will be transferred to Income Tax Office. Necessary instructions have been issued to Regional Office Thane to expedite the issue.

15. Zonal Office Ahmedabad

The Zonal Office, Ahmedabad is being directed to produce all the excel sheets and any other records before the audit team (during the audit of Accounts of 2019-20) submitted by Regional Offices under its jurisdiction, for the compilation of Annual Accounts of Zonal Office.

EPFo replied that the Zonal Offices are preparing the Balance Sheet of their Zones through an excel programme provided by Head Office in soft version. The fundamental function of the Zonal office, Ahmedabad is compilation of data received from different Regional Offices falling under its jurisdiction. In the present manner of things the Zonal Office has no scope for maintaining of working papers and records in details at its level.

The reply is not tenable because during the period of four days audit neither the excel sheet in which the compilation of the accounts was done nor the accounts of the Regional Offices under the ZO's were furnished to audit due to which the compilation could not be verified.

16. Regional Office Bhopal

(i) Differences were observed between the amount of Fixed Assets shown in the Balance Sheet and the amount shown in the Schedule of Fixed Assets as detailed below:

Particulars	Figure as per the Balance Sheet	Figure as per the Schedule of Fixed Assets	Difference
Opening balance of Fixed Assets	9,61,87,795	10,12,44,378	(-) 50,56,583
Closing Balance of fixed Assets	9,87,52,179	10,38,08,762	(-) 50,56,583

EPFo replied that as per final Balance Sheet dated 13-08-2019, there is no difference in figures of opening balance and closing balance of fixed assets shown in Balance Sheet and Schedule of Fixed Assets.

16. Regional Office Bhopal

(i) All the accounting units under EPFO have already been instructed to submit the finalized version of Annual Accounts before the Audit team. Now, Regional Office, Bhopal is being instructed again to follow the directions strictly.

In the Balance Sheet as well as Proforma of Details of Fixed Assets, figures of opening balance of fixed assets is shown as Rs.10,12,44,378/-. The final Balance Sheet dated 13.08.2019 has been considered for compilation at Head office level. From the reply it appears that some pre revised Balance Sheet was submitted for audit by the Regional Office Bhopal. Instructions may be issued to Regional Office to furnish only finalised accounts approved by EPFO Hqrs. for audit. (ii) Bank reconciliation statement was not prepared by RO Bhopal in respect of its five bank accounts.	
17. Regional Office Barkatpura The opening balance of Fixed Assets as per Balance Sheet is Rs. 4.68 crore whereas as per the Schedule of Fixed Assets the opening balance is Rs. 5.62 crore resulting in a difference of Rs. 94 lakh which need to be reconciled and rectified. EPFO replied that the opening balance of Fixed Assets as per Balance Sheet is Rs.5.62 crore as against the mentioned figures of Rs. 4.68 crore. Further the opening figure of Rs. 5.68 crore as against the mentioned figures of Rs.5.62 crore by the audit team. The actual opening balance as per schedule of fixed assets was Rs.5.68 crore which appears to have been erroneously mentioned as Rs.4.68 crore by audit team. The difference of Rs.6 Lakh will be adjusted in current year i.e. 2019-20 The reply is not acceptable because as per the accounts submitted for audit by RO Barkatpura the figures are the same as mentioned in the above audit objection. The issue needs to be further clarified by EPFO.	17. Regional Office Barkatpura The Regional Office Barkatpura is being instructed to reconcile the opening and closing balances of Fixed Assets and in case of any mismatch rectify the same during the current Financial Year i.e. 2019-20.

18. Regional Office Salem (i) Cheques issued up to December 2018 for an amount of Rs.9.14 lakh of Account No. 2 remained un-encashed at the end of March 2019. As the validity of the cheques had expired the same needs to be written back into the accounts. (ii) According to available records, an amount of Rs. 7.53 crore was paid to CPWD Civil Division for construction of office building till 31.03.2019. As per details (vide Form-65) furnished by CPWD for the month ending March 2019, Rs. 6.53 crore was spent by them. Instead of showing the amount of Rs. 6.53 crore under Capital work-in-progress and unspent advance of Rs. 1.00 crore under Current Assets, Loans & Advances, expenditure incurred by CPWD till Feb 2019 amounting to Rs. 5.91 crore was only considered and the same was incorrectly added to fixed assets. The unutilized amount with CPWD was also shown under Capital work-in-progress instead of under advances. This has resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Capital-work-in progress and Current Assets, Loans & Advances. (iii) Details of the following suspense account shown in the Balance Sheet were not produced to audit due to which audit could not verify these amounts. <table><tr><th>Liabilities</th><th>Rs.</th><th>Assets</th><th>Rs.</th></tr><tr><td>Suspense Account (EPF)</td><td>5,10,044.39</td><td>Suspense Account (EPF)</td><td>13,39,645</td></tr><tr><td>Suspense account (Admn. Fund)</td><td>4,16,44,318.27</td><td>Suspense account (Admn. Fund)</td><td>14,94,503</td></tr></table>	Liabilities	Rs.	Assets	Rs.	Suspense Account (EPF)	5,10,044.39	Suspense Account (EPF)	13,39,645	Suspense account (Admn. Fund)	4,16,44,318.27	Suspense account (Admn. Fund)	14,94,503	18. Regional Office Salem (i) The un-cashed cheques which are time barred have been written back in April,2019 (ii) Regional Office. Salem has been directed to correct the wrong booking of amount in Fixed Assets and Capital Work in Progress in the current year i.e. 2019-20 (iii) The instructions have been issued to the field offices to maintain proper records of un-classified suspense account and produce the records to Audit Team.
Liabilities	Rs.	Assets	Rs.										
Suspense Account (EPF)	5,10,044.39	Suspense Account (EPF)	13,39,645										
Suspense account (Admn. Fund)	4,16,44,318.27	Suspense account (Admn. Fund)	14,94,503										
19. Regional Office Trichy (i) The closing balance of Conveyance advance, House building advance, Pay Advance disclose negative figures of Rs. 3.38 lakh, Rs. 28.04 lakh and Rs.0.26 lakh respectively for the year 2018-19. (ii) Certain figures such as contributions receipts (Central Office) are	19. Regional Office Trichy (i) All the offices showing negative balances of advance have been instructed to reconcile the balances and reflect the correct amount in current year i.e. 2019-20.												



adopted in the Balance Sheet based on the inputs provided by their Zonal Office. These figures were at huge variations with the figures shown in the MIS returns submitted by the Regional office.

In the accounts for the year 2018-19 the EPF contributions received during the year along with refund of withdrawal was shown as Rs. 73046.99 lakh. However, as per the MIS -105 of the year 2018-19, the contribution received under the three schemes during the year was Rs. 1,38,282.34 lakh as shown below:

(Rupees in lakh)			
Scheme	Employees share	Employers share	Total receipts
EPF	77158.81	34573.62	111732.43
EPS	0	25350.34	25350.34
EDLI	0	1199.587	1199.57
Total	77158.81	61123.547	138282.34

20. Regional Office Tirunelveli

Security Deposits of Rs. 2.99 lakh with the Tamil Nadu Electricity Board has not been shown under Current Assets resulting in understatement of Current Assets and Capital Fund by Rs. 2.99 lakh.

(ii) EPFO has adopted Centralised System of Receipts of Contributions at Centralised Bank Account maintained at Head Office. Accordingly, receipts are reconciled and contribution is recorded at Head Office level. On the basis of Region/ Zone wise reconciled figures provided by Information Service Division, field offices are intimated the amount of receipts in Centralised Accounts. Therefore, there is no chance of anomaly in the figures of receipts. The Accounts are prepared on the basis of actual receipts and payments in bank accounts of EPFO, while the MIS reports may have been prepared on different logic and for different period.

20. Regional Office Tirunelveli

The amount of Security Deposits has wrongly been added in Fixed Assets by the Regional Office. The Office has been instructed to rectify the same in the current year i.e. 2019-20

21. Regional Office Coimbatore

(i) Bank Reconciliation Statement (BRS) of Account No.1, 2, 10 & 21 as of 31.3.2019 showed that cheques issued up to December 2018 amounting to Rs. 8.69 lakh remained un-cashed at the end of March 2019. As the validity of these cheques had already expired the same needs to be written back in the accounts.

(ii) Advances to Agencies/Contractors for capital works as on 31.03.2019 amounting to Rs. 2.72 crore disclosed under assets side in Balance sheet includes an amount of Rs. 1.95 crore paid as advance for RO, Salem office construction when Salem office was functioning as SRO. Now SRO, Salem had become Regional Office and advance paid

21. Regional Office Coimbatore

(i) The Regional Office, Coimbatore has informed that the stale cheques were cancelled and necessary action has been taken to update the Cash Book during the current year i.e. 2019-20

(ii) The office has taken note of this and this will be rectified in the Balance Sheet of current year i.e. 2019-20.

for capital works of Salem office were included in the exclusive accounts prepared for RO, Salem for the year 2018-2019. Thus, the same advance amount of Rs. 1.95 crore paid to CPWD for Salem office construction had been disclosed in Balance Sheet of RO, Coimbatore & RO, Salem. (iii) Security Deposits of Rs. 5.77 lakh with the Tamil Nadu Electricity Board has not been shown under Current Assets resulting in understatement of Current Assets and Capital Fund by Rs. 5.77 lakh (iv) The correctness of Rs. (-) 40,98,987 & Rs. 1,18,46,002 disclosed as Suspense Account (Admn Fund) under both Assets/Liabilities respectively in Balance Sheet could not be ensured for want of details.	(iii) Regional Office, Coimbatore has informed that the omitted amount of Security Deposit will be included in the Balance Sheet. of current year i.e. 2019-20. (iv) The office has been instructed to maintain and reconcile details of un-classified suspense amount and present the same before the Audit Team at the time of their next visit.
22. Zonal Office Bengaluru was selected for audit but it did not submit the accounts for audit due to which the accounts of Zonal Office Bengaluru could not be verified. EPFO replied that the audit of Zonal Office has been completed during 04-12-2019 to 12-12-2019 and all the relevant records available at Zonal Office have been provided to the Audit Team. The reply is not acceptable as the consolidated accounts of EPFO were submitted for audit on 16.9.2019 and therefore the accounts of all the units of EPFO should have been furnished for audit as soon as these accounts were finalised by EPFO Hqrs. The audit of the units of EPFO on time is critical for deriving an assurance on the accounts of EPFO as a whole	22. The observation has been noted for future compliance.

23. The following irregularities noticed during the previous years and continued in current year. The Management has not taken any action in this regard:				23. EPFO will ensure compliance of assurance given as per remarks.
Accounts	Amount of variation(Rs. in crore)	Details of irregularities	Remarks	
1.EPF Administration Fund Investment (Schedule 25) - Rs. 23286.19 crore\	7.63	There was variation in these investment accounts, between the value as intimated by the Pay & Accounts Office of Ministry and as per EPFO books. These difference were due to non reconciliation of old items. These irregularities though pointed out since 2014-15, EPFO has not taken any remedial action.	EPFO has stated that The matter is being perused with Ministry of Labour & Employment, New Delhi for the reconciliation of amount. The un-reconciled amount of EDLI Administration Charges Fund will be disclosed in Notes to Accounts in the next financial year , if remain unreconciled.	
2. EDLI Administration Fund Investment (Schedule 29) - Rs. 3033.23 crore	2.33			
24. The Regional Offices of EPFO are not preparing their accounts in the Uniform Format. They are preparing their accounts in a specific format designed by EPFO Hqrs. which include five Receipts & Payments Accounts (EPF contribution Account (Account No. 1), EPF				24. It has been assured vide this office letter dated 05.06.2020 that from the financial year 2020-21 the ledgers and the annual accounts of Zonal and Regional Offices will be prepared in the

Administration Fund (Account No. 2), EPS Account (Account No. 10), EDLI Contribution Account (Account No.21) and EDLI Administration Fund (Account No. 22) and one Income & Expenditure (EPF Administration Account) and one Balance Sheet (combined for EPF Contribution Account and EPF Administration Fund Account). Regional Offices of the EPFO should prepare their accounts in the Uniform format in which the consolidated accounts of EPFO are being maintained. Further EPFO and its ROs did not maintain Head-wise ledger account of Receipts & Payments Accounts which is essential as per accounting principle. The accounts of ROs are being prepared based on the excel sheet provided by the Zonal Office of the organization. In absence of Head-wise Ledger Accounts, the figures exhibited in the Annual Accounts of EPFO were verified only with reference to the consolidated monthly Receipts & Payments Accounts, Budget/Expenditure Control Register, Cash Book & Bank Statement. EPFO has assured that from the financial year 2020-21 the ledgers and the annual accounts of Zonal and Regional Offices will be prepared in the Uniform format of Accounts	Uniform format of Accounts.
---	------------------------------------

वर्ष 2018-2019 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

विषय-सूची

क्रम सं	विषय	पृष्ठ
1.	समेकित तुलन पत्र.....	67
2.	तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां.....	69
3.	समेकित आय एवं व्यय लेखा.....	81
4.	आय एवं व्यय लेखे में शामिल अनुसूचियां.....	84
5.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (अंशदान लेखा).....	90
6.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.स.बी., 1976 (अंशदान लेखा).....	91
7.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.स.बी., 1976 (प्रशासकीय लेखा).....	92
8.	लेखों में शामिल अनुसूचियां.....	93
9.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	107
10.	लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र.....	113
11.	प्रबंधन पत्र.....	116

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2019 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि - रुपये में
पूजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	64402064,19,430.79	50070923,69,582.36
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	163836,65,325.00	5465786,67,858.45
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	37418,90,992.53	34444,58,771.67
व्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	2659015,63,838.12	2700683,12,307.99
निवेश अस्थिरता खाता		27007,98,358.13	27007,98,358.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	6792031,17,662.55	5557180,20,715.25
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		74081374,55,607.12	63856026,27,593.85
<u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u>			
क.पें.यो. अंशदान निधि	6	45435817,10,682.08	39311304,38,910.28
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	126533,19,353.50	49135,98,188.96
उप जोड़ - पेंशन निधि		45562350,30,035.58	39360440,37,099.24
<u>कर्मचारी निक्षेप सहवर्द्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	2721802,34,626.98	2402923,24,184.92
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	1664,03,853.74	1613,24,235.68
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		2723466,38,480.72	2404536,48,420.60
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	2411515,82,327.64	2228472,51,258.00
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - व्याज खाता	11	27441,16,520.00	22991,52,655.91
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	88725,41,897.04	88725,41,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	149011,94,336.62	107769,45,963.80
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	849693,46,174.62	668899,82,403.82
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	34229,67,098.18	33586,15,490.05
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		3560617,48,354.11	3150444,89,668.62
<u>कर्मचारी निक्षेप सहवर्द्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	313262,67,220.65	290638,78,672.78
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	5900,34,526.48	4932,31,588.47
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		319163,01,747.13	295571,10,261.25
कुल जोड़		126246971,74,224.70	109067019,13,043.60

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2019 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि - रुपये में
	अनुसूची	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
परिसम्पत्तियां			
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	72343421,52,194.79	62451465,10,480.52
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	19	1737953,03,412.32	1404561,17,113.33
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		74081374,55,607.11	63856026,27,593.85
<u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u>			
क.पें.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	43776254,33,646.33	37767437,18,923.40
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	21	1786095,96,389.25	1593003,18,175.84
उप जोड़ - पेंशन निधि		45562350,30,035.58	39360440,37,099.24
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि - निवेश	22	2675496,66,933.53	2359154,14,156.47
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	23	47969,71,547.19	45382,34,264.13
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		2723466,38,480.72	2404536,48,420.60
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
अचल परिसंपत्तियां	24	46138,84,118.11	40836,52,051.42
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		78417,45,235.40	1744,85,209.40
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	2349619,35,438.53	2181085,09,245.10
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	171374,94,479.57	156280,13,290.03
पेंशन - सह - ग्रेजुटी निधि - निवेश	27	830595,00,428.24	655094,88,346.93
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	28	84471,88,654.26	115403,41,525.74
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		3560617,48,354.11	3150444,89,668.62
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	303323,14,301.48	281394,12,147.16
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	30	15839,87,445.65	14176,98,114.09
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		319163,01,747.13	295571,10,261.25
कुल जोड़		126246971,74,224.70	109067019,13,043.60

ह0
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या 1		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	50070923,69,582.36	43111525,20,655.86
जोड़े :		
1. प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)		
	10512632,67,725.65	9322341,68,766.00
2. प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्टा.)		
	17426,80,704.40	12329,52,212.33
3 सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	4197114,01,073.10	3400134,18,257.00
4 वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	5291979,90,114.45	0.00
5 अन्य प्राप्तियां	611035,71,489.66	497458,40,181.42
6 पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)	50365,60,852.17	12201,82,789.14
जोड़	70751478,41,541.79	56355990,82,861.75
घटाएं :		
1. छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर		
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	3524353,35,985.24	3470063,68,335.61
2. सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा प्रीमियम	1690,82,467.00	1405,92,640.00
3. सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	2341686,27,767.00	1223522,33,580.00
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	278182,50,370.00	1318301,69,148.00
5. प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि छूट प्राप्त स्थापनाओं में वापिस अंतरित		
	203501,25,521.76	271773,49,575.78
जोड़	6349414,22,111.00	6285067,13,279.39
31 मार्च को शेष	64402064,19,430.79	50070923,69,582.36
अनुसूची संख्या 2		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	5465786,67,858.45	4509341,44,840.45
जोड़े :		
1. वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	278182,50,370.00	1318301,69,148.00
2 सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
जोड़	5743969,18,228.45	5827643,13,988.45
घटाएं :		
1 वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि	5291979,90,114.45	0.00
2 निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	288152,62,789.00	361856,46,130.00
जोड़	5580132,52,903.45	361856,46,130.00
31 मार्च को शेष	163836,65,325.00	5465786,67,858.45
अनुसूची संख्या -3		
विशेष आरक्षित निधि :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	34444,58,771.67	31732,55,700.95
जोड़े :		
1. नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2. एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	2979,45,683.75	2713,13,362.43
जोड़	37424,04,455.42	34445,69,063.38
घटाएं :		
1. विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	4,19,569.89	1,10,291.71
2. मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	93,893.00	0.00
जोड़	5,13,462.89	1,10,291.71
31 मार्च को शेष	37418,90,992.53	34444,58,771.67

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या - 4			
व्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	2700683,12,307.99	2055302,52,035.90
जोड़े :			
1.	क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अंग्रेषित व्यय से अधिक आय	-41667,48,469.87	645380,60,272.09
	31 मार्च को शेष	2659015,63,838.12	2700683,12,307.99
अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	2527,68,603.00	2083,99,123.00
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय :		
क	उच्चत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	-4164,55,986.26	9624,54,812.81
ख	अनियमित भुगतान	736,47,819.06	588,22,330.22
ग	अधिक भुगतान	310,11,924.01	635,12,425.91
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नाम नहीं हुई	1213,13,339.00	1213,13,339.00
ख	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	13975,48,338.09	14085,57,910.55
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	-63,66,142.99
घ	अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	44,06,975.00	50,52,729.00
3	रोकड़ बही में शेष :		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	147309,77,810.39	105411,88,059.74
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	90583,57,996.54	47372,44,211.19
4	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	252535,76,818.83	181001,78,798.43
II - प्रावधान			
अ	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय व्याज का प्रावधान	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
ब	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय व्याज का प्रावधान	1179064,40,843.72	774544,41,916.82
	जोड़	6539495,40,843.72	5376178,41,916.82
	31 मार्च को शेष	6792031,17,662.55	5557180,20,715.25
कर्मचारी पेशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
क.पें.यो. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	39311304,38,910.28	33684531,58,636.61
जोड़े :	क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अंग्रेषित व्यय से अधिक आय	6124512,71,771.80	5626772,80,273.67
	31 मार्च को शेष	45435817,10,682.08	39311304,38,910.28
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
	विविध क्रेडिट :		
1.	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	3201,74,397.63	3284,22,195.63
2.	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	17049,41,109.84	20574,24,477.84
3.	क.पें.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	-26,39,271.78
	रोकड़ बही में शेष		
4	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	35259,53,055.44	0.00
	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	4076,86,505.59	25303,90,787.27
6	क.भ. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि	66899,25,339.00	0.00
7	अन्य (पीएमआरपीवाई की अतिरिक्त जमा)	46,38,946.00	0.00
	31 मार्च को शेष	126533,19,353.50	49135,98,188.96

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976		
अनुसूची संख्या 8		
क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि		
प्रारंभिक शेष	2402923,24,184.92	2093593,99,381.99
जोड़ : क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेषित व्यय से अधिक आय	318879,10,442.06	309329,24,802.93
31 मार्च को शेष	2721802,34,626.98	2402923,24,184.92
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
विविध क्रेडिट :		
1. खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	393,06,658.99	386,63,800.59
2. खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	964,43,612.21	960,91,369.21
3. भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
4. क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	-40,84,516.66
5. क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	293,09,520.99	293,09,520.99
6. रोकड़ बही में शेष		
भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक में शेष	0.00	0.00
7. अन्य	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	1664,03,853.74	1613,24,235.68
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 10		
क.भ.नि.- प्रशासन निधि		
प्रारंभिक शेष	2228472,51,258.00	2080235,07,055.80
जोड़ :		
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	1587,53,398.72	1,33,032.56
2. क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित व्यय से अधिक आय	178543,43,209.95	148507,04,285.56
3. अन्य	0.00	0.00
जोड़	2408603,47,866.66	2228743,44,373.93
घटाएं		
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	-2912,34,460.98	270,93,115.93
2. वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय	0.00	0.00
3. अन्य	0.00	0.00
जोड़	-2912,34,460.98	270,93,115.93
31 मार्च को शेष	2411515,82,327.64	2228472,51,258.00

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या 11			
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता			
प्रारंभिक शेष		22991,52,655.91	16951,95,614.33
जोड़ें:			
1.	प्रतिभृतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	9112,46,152.40	10053,69,310.25
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3891,17,335.37	3954,83,108.36
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	4,36,500.00	0.00
4	बचत खाता पर ब्याज	27,804.00	46,380.00
5	ईटीएफ प्रतिभृतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
	जोड़	35999,80,447.68	30960,94,412.94
घटाएं			
1.	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	8523,58,445.00	7816,42,811.00
2.	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	35,05,482.68	152,98,946.03
3	ईटीएफ प्रतिभृतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	8558,63,927.68	7969,41,757.03
	31 मार्च को शेष	27441,16,520.00	22991,52,655.91
अनुसूची संख्या 12			
भवन निर्माण निधि:			
प्रारंभिक शेष		88725,41,897.04	88725,41,897.04
जोड़ें:			
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	88725,41,897.04	88725,41,897.04
अनुसूची संख्या 13			
क स्टाफ भविष्य निधि:			
प्रारंभिक शेष		105940,10,172.08	101051,00,974.93
जोड़ें:			
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	34387,22,930.00	34852,41,039.15
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	8523,58,445.00	7816,42,811.00
3.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00
	जोड़	148850,91,547.08	143719,84,825.08
घटाएं:			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	23554,52,494.00	22484,18,940.00
2.	सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	2958,81,646.00	2725,68,410.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	12174,57,277.00	12569,87,303.00
	जोड़	38687,91,417.00	37779,74,653.00
	31 मार्च को शेष	110163,00,130.08	105940,10,172.08
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :			
प्रारंभिक शेष		1829,35,791.72	1334,84,226.87
जोड़ें:	क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	12174,57,277.00	12569,87,303.00
	जोड़	14003,93,068.72	13904,71,529.87
घटाएं: अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि		11617,44,879.00	12075,35,738.15
	31 मार्च को शेष	2386,48,189.72	1829,35,791.72
ग. एसपीएफ खाता से कभनि प्रशा खाता में देय राशि			
जोड़ (क+ख+ग)		36462,46,016.82	
		149011,94,336.62	107769,45,963.80

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या. 14			
स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि			
	प्रारंभिक शेष	668899,82,403.82	448024,38,855.29
जोड़ें:			
1.	खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	125100,00,000.00	172880,02,352.03
2.	बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	18,19,318.00	24,63,652.00
3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	38012,91,508.59	35523,57,767.41
4.	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	17939,21,876.80	13780,72,390.63
5.	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	13,96,800.00	0.00
6.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
7.	क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	51395,63,061.98	49479,21,454.51
	जोड़	901379,74,969.19	719712,56,471.87
घटाएं:			
1.	क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	51395,63,061.98	49479,21,454.51
2.	वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	290,65,732.59	1333,52,613.54
3.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	51686,28,794.57	50812,74,068.05
	31 मार्च को शेष	849693,46,174.62	668899,82,403.82
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
I - वर्तमान दायित्व			
1	नई पेंशन योजना का देय अंशदान	397,04,592.01	382,50,373.51
2	देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
3	रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	182,77,807.39	182,91,614.39
4	ग्रुप बीमा योजना (नया)	40,62,348.22	29,41,384.22
5	विविध जमा:		
	क. क्षेत्रीय:		
क	उच्चत खाता (प्रशासन निधि)	2657,65,643.18	2057,71,343.07
	ख. केंद्रीय:		
क	खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	321,85,494.88	321,85,494.88
ख	खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता) में अतिरिक्त जमा	8,29,780.00	8,29,780.00
ग	क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	713,37,470.56	713,37,470.56
6	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	2803,65,422.03	2932,55,710.19
	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता)	0.00	0.00
	मुख्यालय	213,59,978.44	63,69,620.44
	पीडीनास	31,35,008.00	39,55,628.19
	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7	खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	15005,08,876.45	13342,24,451.05
8	अन्य (पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	-5,12,594.54
	जोड़	22375,32,421.16	20069,00,275.96

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चाल वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
II - प्रावधान		
क	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान	0.00
		0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान	0.00
ग	अन्य देय व्यय	11854,34,677.02
	जोड़	11854,34,677.02
	31 मार्च को शेष	34229,67,098.18
		33586,15,490.05
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 16		
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		
	प्रारंभिक शेष	290638,78,672.78
जोड़ें:		
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से व्यय पर आय की अधिकता को अंग्रेषित की गई राशि	22623,88,547.87
	31 मार्च को शेष	313262,67,220.65
		290638,78,672.78
अनुसूची संख्या.17- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
क.	विविध जमा:	
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	136,76,317.41
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	483,77,675.89
	खाता सं. 4 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00
ख.		0.00
ग.	रोकड बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)	
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,77,681.00
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	5273,02,852.18
घ.	अन्य	0.00
	31 मार्च को शेष	5900,34,526.48
		4932,31,588.47
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या. 18		
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश		
	72343421,52,194.79	62451465,10,480.52

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या. 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम)		
I - चालू परिसंपत्तियां		
1 मार्गस्थ राशि :		
खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	18412,03,034.43	2022,38,782.43
2 रोकड़ बही शेष		
भारतीय स्टेट बैंक		
खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	0.00
खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक :		
क.भ.नि. निवेश खाता	15625,18,760.51	7682,20,289.41
3 प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज		
निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1548826,78,859.65	1369486,47,290.60
निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	2469,97,761.50	26,48,918.43
एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	67,92,461.02	88,26,086.95
4 विविध नामें:		
क उचंत खाता (अवर्गीकृत)		
उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	10730,98,402.14	8776,07,376.04
ख अनियमित भुगतान	736,47,819.06	588,22,330.22
ग अधिक भुगतान	310,11,924.01	635,12,425.91
घ खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें :		
i क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	4080,96,451.70	4080,96,451.70
ii बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें	3805,15,879.55	3198,32,570.55
iii खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	1365,82,585.29	367,26,624.29
5 क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	713,37,470.56	713,37,470.56
6 क.पे.यो.फंड से प्राप्य राशि (पीएमआरपीवाई)	66899,25,339.00	0.00
7 सरकार से प्राप्य राशि। (पीएमआरपीवाई)	30612,07,405.00	0.00
8 अन्य	0.00	0.00
जोड़	1704656,14,153.42	1397665,16,617.09
II - ऋण एवं अशिम		
विशेष रिजर्व निधि (वसुलनीय) :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	6896,00,496.24	6892,48,681.24
जोड़ें: वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि	53,91,649.00	3,51,815.00
घटाएं: नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	(26346,97,113.66)	0.00
जोड़	33296,89,258.90	6896,00,496.24
31 मार्च को शेष	1737953,03,412.32	1404561,17,113.33
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995		
अनुसूची संख्या. 20		
कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश	43776254,33,646.33	37767437,18,923.40

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम			
क	रोकड बही शेष:		
1.	खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00	40809,27,535.17
2.	खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के पास शेष	5803,49,894.09	3367,00,057.00
ख	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	13686,34,041.32	12953,66,387.37
2.	खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	695,28,578.98	1074,15,950.98
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	2017,63,057.60	2017,63,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	2049,18,000.20 6290,05,444.68	578,92,982.20 6290,05,444.68
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि		
घ	प्राप्त्य क.पें.यो. निवेश निधि पर ब्याज	688134,85,845.19	606512,94,608.83
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	805,88,310.40	5,08,204.40
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त्य ब्याज	49,36,245.67	64,14,130.43
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	155056,37,921.02	166376,07,826.00
	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्त्य ब्याज	30425,94,724.10	22062,86,163.18
	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त्य ब्याज	881081,54,326.00	730891,35,828.00
इ	केंद्र सरकार से प्राप्त्य पेंशन अंशदान	0.00	0.00
च	अन्य	1786095,96,389.25	1593003,18,175.84
	31 मार्च को शेष		
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या. 22			
	क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश	2675496,66,933.53	2359154,14,156.47
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम			
क	रोकड बही शेष:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1325,94,304.54	2583,19,928.46
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	107,83,501.80	366,34,563.22
3.	भारतीय स्टेट बैंक के पास शेष	480,54,421.66	111,36,485.36
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1.	खाता सं. 21 से 25	974,96,579.96	974,96,579.96
2.	बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1149,57,113.86	1049,75,206.01
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	165,96,337.50	165,96,337.50
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	129,32,466.14	129,32,466.14
घ	प्राप्त्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	37116,94,451.93	33492,15,180.81
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त्य ब्याज	26,19,000.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	64,411.27	92,565.03
	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्त्य ब्याज	6486,46,734.38	6503,02,727.49
इ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	47969,71,547.19	45382,34,264.13

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 24		
अचल संपत्तियां	46138,84,118.11	40836,52,051.42
अनुसूची संख्या. 25		
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश		
विशेष जमा खाता	2328619,35,438.53	2160085,09,245.10
एफ.डी.आर.	21000,00,000.00	21000,00,000.00
31 मार्च को शेष	2349619,35,438.53	2181085,09,245.10
अनुसूची संख्या. 26		
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	171374,94,479.57	156280,13,290.03
अनुसूची संख्या. 27		
क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि - निवेश	830595,00,428.24	655094,88,346.93
अनुसूची संख्या. 28 -चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम		
1 मार्गस्थ राशि :		
क क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	518,03,113.18	518,03,113.18
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	122,68,499.25	122,68,499.25
जोड़	640,71,612.43	640,71,612.43
2 रोकड़ बही शेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक :		
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	3420,16,676.37	3076,33,433.43
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	76,39,584.82	5,895.82
घ खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी खाता)	937,07,057.88	5,492.88
ङ मुख्यालय	0.00	0.00
च पीडीनास	0.00	0.00
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	3491,15,160.57	224,48,715.62
जोड़	7924,78,479.64	3300,93,537.75
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :		
क स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	1,95,740.42	72,93,151.88
ख स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी निवेश खाता	211,16,906.19	22,00,473.33
जोड़	213,12,646.61	94,93,625.21
(ग) अग्रदाय लेखा	61,895.40	67,289.70
3 विविध नामें:		
उचत खाता (अवर्गीकृत)		
क उचत खाता (प्रशासन निधि)	2386,68,019.07	2276,32,264.88
4 खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामें:		
क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	204,38,794.97	204,38,794.97
ख अंशदान खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) को किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	1,78,339.00	1,78,339.00
ग अंशदान खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी खाता) को किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	0.00	0.00
जोड़	206,17,133.97	206,17,133.97

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
5	वसुलीय अग्रिम (स्टाफ)		
क	वाहन अग्रिम	39,20,756.99	75,67,525.04
ख	गृह निर्माण अग्रिम	1569,05,301.39	605,46,599.39
ग	पंखा अग्रिम	70,369.80	74,744.80
घ	गरम कपडा अग्रिम	1,234.75	1,234.75
ङ	त्योहार अग्रिम	21,12,135.30	21,39,814.30
च	प्राकृतिक विपदा अग्रिम	1,60,603.45	1,87,607.45
छ	वेतन का अग्रिम	7,98,943.00	24,90,794.00
ज	डी.ए./ टी.ए. अग्रिम	176,76,409.54	180,54,433.54
झ	अनाज अग्रिम	1,216.75	1,216.75
ञ	स्टाफ सहकारी कैंटीन/स्टोर हेतु अग्रिम	1,61,805.00	2,18,574.00
ट	कंप्यूटर अग्रिम	299,30,024.55	300,41,430.55
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड	विविध भुगतान	58,52,530.32	57,01,620.12
	जोड़	2175,91,330.84	1270,25,594.69
6	पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0	0.00
7	प्राप्य क.अ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	11,98,370.00	710,42,345.00
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3891,17,335.37	3954,83,108.36
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	4,36,500.00	0.00
9	प्राप्य पेंशन सह-ग्रेजुएटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	17939,21,876.80	13780,72,390.63
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	13,96,800.00	0.00
10	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानपातिक (1%)	0.00	0.00
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अग्रिम)	312,58,226.20	305,54,082.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)	136,56,505.00	136,56,505.00
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (पूजी कार्य)	12074,40,467.92	88725,32,035.92
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य उपार्जित ब्याज	77,15,438.19	0.00
15	एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि	36462,46,016.82	
	31 मार्च को शेष	84471,88,654.26	115403,41,525.74

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि</u>			
अनुसूची संख्या- 29			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश			
विशेष जमा खाते		303323,14,301.48	281394,12,147.16
अनुसूची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम			
क	रोकड़ बही शेष :		
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	0.00	0.00
ख	मार्गस्थ प्रेषण :		
1.	लेखा संख्या 22 से 24	154,34,043.77	154,32,020.07
ग	विविध नामे :		
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	102,87,125.08	102,91,652.62
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	118,39,758.32	118,32,348.32
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त	166,08,121.04	166,08,121.04
घ	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
ङ	क.नि.स.बी. अंशदान लेखे से प्राप्ति योग्य राशि	293,09,520.99	293,09,520.99
च	जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.अ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	15005,08,876.45	13342,24,451.05
छ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	15839,87,445.65	14176,98,114.09

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
		राशि (रूपए)	
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान व्याज से आय	31	5281418,96,301.33	5233773,54,185.32
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	70261,45,693.08	69073,41,428.96
कुल आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		5351680,41,994.41	5302846,95,614.28
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	4666164,35,565.19	4237565,42,068.61
वर्ष के दौरान व्याज से आय	34	3312730,67,861.34	3049087,27,602.03
अन्य आय	35	53264,37,635.93	46634,74,935.62
कुल आय- पेंशन निधि (ख)		8032159,41,062.46	7333287,44,606.26
कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		194256,29,631.90	173115,88,878.61
वर्ष के दौरान व्याज से आय	36	200540,04,671.82	193496,70,024.03
अन्य आय	37	2757,51,938.78	2672,72,063.76
कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग)		397553,86,242.50	369285,30,966.40
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू व्याज से आय	38	359294,94,988.93	386468,12,989.86
वर्ष के दौरान व्याज से आय	39	168583,11,681.43	155835,02,420.35
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		3541,15,574.60	3991,64,290.14
अन्य आय-विविध प्राप्ति		1239,78,424.70	1376,53,599.45
कुल आय-क.भ.नि.प्रशासन निधि (घ)		532659,00,669.66	547671,33,299.80
कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू व्याज से आय	40	4237,97,896.94	7235,28,926.31
वर्ष के दौरान व्याज से आय	41	21924,87,442.67	20287,58,630.28
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्ति		3,27,025.94	8,362.00
अन्य आय -लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा -केन्द्रीय) से प्राप्ति		-	-
कुल आय-क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (ङ)		26166,12,365.55	27522,95,918.59

राशि (रूपए)			
व्यय	वस्तुसूची	वर्तमान वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु बिक्रेताओं को ब्याज भुगतान		21698,01,295.88	49598,20,184.15
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर तुकसान		-	-
विशेष आरक्षित निधि पर उपाजित ब्याज		2979,45,683.75	2713,13,362.43
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		8239,43,484.65	3521,01,795.61
विविध- जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी		-	-
कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		5393347,90,464.28	4657466,35,342.19
I-अधिक आय(क) अधिक व्यय (क-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		(41667,48,469.87)	645380,60,272.09
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभायियों को भुगतान की गई राशि	43	1884374,56,028.04	1659703,89,956.24
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन		8710,61,705.75	5467,96,555.67
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान		14462,60,318.87	23020,94,149.68
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर तुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-10 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		98,91,238.00	18321,83,671.00
लेखा सं-11 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		-	-
कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1)		1907646,69,290.66	1706514,64,332.59
II-अधिक आय(ख) अधिक व्यय (ख-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		6124512,71,771.80	5626772,80,273.67
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		77769,46,115.50	57943,34,727.02
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान		900,38,359.28	2008,98,537.70
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर तुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		4,91,325.66	3,72,898.75
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		-	-
कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1)		78674,75,800.44	59956,06,163.47

III-अधिक आय(ग) अधिक व्यय (ग-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		318879,10,442.06	309329,24,802.93
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय)			
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		107486,62,476.92	113693,49,145.25
भत्ते तथा मानदेय		28529,29,027.76	27338,87,816.64
अनुदान - कल्याण निधि आदि		805,54,999.00	672,23,157.00
स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटि निधि में अंशदान		176495,63,061.98	222359,23,806.54
स्टाफ भ.नि., डी.एल.आई. लाभ		17,40,000.00	9,97,674.00
टी.ए. तथा एल.टी.सी		3472,17,060.00	2711,69,882.00
जोड़ क		316806,66,625.66	366785,51,481.43
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च		2556,05,044.90	2699,90,596.09
डाक पर खर्च		831,93,025.00	830,14,109.00
मृदण एवं लेखन सामग्री		1292,31,092.39	1239,69,076.79
किराया, दर तथा कर		2817,92,602.00	2591,96,336.95
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		123,69,812.00	146,05,693.00
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार		522,90,355.00	550,12,842.00
बीमा खर्च		0.00	0.00
जल प्रभार		98,60,520.00	176,28,196.00
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		8577,09,238.00	7014,26,471.00
विज्ञापन एवं प्रचार		126,38,410.00	235,48,529.00
ए.एम.सी - कंप्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		4160,80,632.83	4496,30,704.22
यात्रा खर्च		620,24,377.00	530,51,681.00
अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती)		5335,52,967.76	7165,20,809.49
बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार		5297,66,147.83	0.00
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव		2113,35,121.88	1771,43,963.40
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		2838,19,436.46	2925,87,310.87
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ		-3,77,949.00	5,51,214.00
भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		0.00	0.00
देय एन.पी.एस. हेतु बोर्ड के अंशदान का प्रावधान		0.00	0.00
जोड़ ख		37308,90,834.05	32378,77,532.81
कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1)		354115,57,459.71	399164,29,014.24
IV-अधिक आय(घ) अधिक व्यय (घ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		178543,43,209.95	148507,04,285.56
<i>कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि			
क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)		3541,15,574.60	3991,64,290.14
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22		1,08,243.08	41,196.15
लेखा सं-24		-	-
कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (ङ-1)		3542,23,817.68	3992,05,486.29
V- अधिक आय(ङ) अधिक व्यय (ङ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		22623,88,547.87	23530,90,432.30
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)		6602891,65,501.81	6753520,60,066.55

ह0
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		वर्तमान वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
क.भ.नि.अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 31			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	3730053,17,437.60	3762940,83,355.27
2	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1548826,78,859.65	1369486,47,290.60
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	2469,97,761.50	26,48,918.43
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	101183,32,562.60
5	एफडीआर पर उपाजित ब्याज	67,92,461.02	88,26,086.95
6	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,09,781.56	48,15,971.47
7	क.भ.नि. व्यामों से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	0.00
8	ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापिस लिखा गया	0.00	0.00
जोड़		5281418,96,301.33	5233773,54,185.32
अनुसूची संख्या. 32			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	40307,07,849.34	39060,88,311.88
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	30076,38,070.74	29904,32,698.08
3	अन्य प्राप्ति (क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज)	-122,00,227.00	108,20,419.00
जोड़		70261,45,693.08	69073,41,428.96
क.पं.यो. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	4025974,17,067.19	3661823,32,452.61
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	-240891,35,828.00	-155149,26,212.00
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	881081,54,326.00	730891,35,828.00
जोड़		4666164,35,565.19	4237565,42,068.61
अनुसूची संख्या.34			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	1570479,71,122.86	1460989,37,809.41
2	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	688134,85,845.19	606512,94,608.83
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	805,88,310.40	5,08,204.40
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपाजित ब्याज	49,36,245.67	64,14,130.43
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	890429,92,174.00	792569,92,174.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	155056,37,921.02	166376,07,826.00
8	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	-22062,86,163.18	0.00
9	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज	30425,94,724.10	22062,86,163.18
10	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	-588,52,318.72	506,86,685.78
जोड़		3312730,67,861.34	3049087,27,602.03
अनुसूची संख्या.35			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	21834,78,597.11	18618,76,382.14
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	17630,44,662.89	13601,18,354.76
3	अन्य प्राप्ति- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	13799,14,375.93	14414,80,198.72
4	अन्य प्राप्ति- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
जोड़		53264,37,635.93	46634,74,935.62

अनुसूचिया जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
क.नि.स.बी. अंशदान निधि		वर्तमान वर्ष (2018-19)
अनसूची संख्या.36		पिछला वर्ष (2017-18)
वर्ष के दौरान ब्याज से आय		
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	82061,81,148.93
2	निवेश पर उपाजित परंतु अवेय ब्याज	37116,94,451.93
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	26,19,000.00
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00
5	एफडीआर पर उपाजित ब्याज	64,411.27
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	74847,97,272.51
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	6486,46,734.38
8	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,652.80
जोड़		200540,04,671.82
अनसूची संख्या.37		193496,70,024.03
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय		
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1178,74,036.18
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	770,99,798.60
3	लेखा संख्या 21 में अन्य प्राप्ति	807,78,104.00
4	लेखा संख्या 25 में अन्य प्राप्ति	0.00
जोड़		2757,51,938.78
क.भ.नि.प्रशासन निधि		2672,72,063.76
अनसूची संख्या.38		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय		
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार	332499,07,142.18
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	21614,35,579.00
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	2879,42,176.52
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	2302,10,091.23
जोड़		359294,94,988.93
अनसूची संख्या.39		386468,12,989.86
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	168571,13,311.43
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	11,98,370.00
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	0.00
जोड़		168583,11,681.43
घटाएँ:	भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज	0.00
जोड़		168583,11,681.43
क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि		155835,02,420.35
अनसूची संख्या.40		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय		
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	3445,20,032.27
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	560,58,618.15
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	139,17,625.79
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	93,01,620.73
जोड़		4237,97,896.94
		7235,28,926.31

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		वर्तमान वर्ष (2018-19)	पिछला वर्ष (2017-18)
अनुसूची संख्या.41			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	21929,02,154.32	20283,24,925.86
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	वचत बैंक खाते पर ब्याज	-4,14,711.65	4,33,704.42
जोड़		21924,87,442.67	20287,58,630.28
क.भ.नि.अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या.42			
सदस्यों को ब्याज का भुगतान			
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	0.00	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00	0.00
जोड़		5360431,00,000.00	4601634,00,000.00
क.पे.यो. अंशदान निधि			
अनुसूची सं- 43			
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि			
1	प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	763640,57,507.51	698344,60,321.75
2	जीवन बीमा लाभ	0.00	0.00
3	पेंशन	1120733,98,520.53	961359,29,634.49
जोड़		1884374,56,028.04	1659703,89,956.24

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

क्र.सं.		सकल ब्लॉक					मूल्यहास			राशि (रुपये में)	
		वर्ष के आरंभ में लागतमूल्यवहन	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागतमूल्यवहन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	शुद्ध ब्लॉक चिह्ने वर्ष के अंत में
1	निधि										
a	जी होल्ड भूखे	6272,39,531.63	-	-	6272,39,531.63	8,541.00	1,75,211.00	-	1,83,752.00	6272,30,990.63	
b	सीव होल्ड भूखे	2590,65,298.50	23,05,519.00	-	2613,70,817.50	407,77,849.16	(25,27,217.67)	-	382,50,631.49	2182,87,449.34	
2	अचल										
a	भवन-कार्यालय	17694,12,021.60	5105,91,729.00	110,63,710.00	22659,40,040.60	3174,73,009.66	457,64,639.62	-	3632,37,649.28	14489,39,011.94	
b	सीव होल्ड भवन-कार्यालय	8119,05,700.47	-	-	8119,05,700.47	1971,90,183.67	128,28,117.46	-	2100,18,301.13	6147,15,516.80	
c	भवन-आवासीय	7658,03,370.90	295,66,883.00	-	7953,70,053.90	2126,55,499.64	211,27,574.79	-	2337,83,074.43	5531,47,871.26	
d	सीव होल्ड भवन-आवासीय	1532,06,000.00	-	-	1532,06,000.00	509,06,672.00	15,36,172.00	-	524,42,844.00	1022,99,328.00	
3	संयुक्त मशीनरी एवं उपकरण	64,14,399.77	34,92,604.00	9,05,581.00	90,01,422.77	14,22,878.75	8,44,662.89	-	22,67,541.64	67,33,881.13	
4	वाहन एवं मोटर कार	125,91,728.89	28,86,525.44	20,897.00	154,57,357.33	52,83,430.50	15,58,690.05	3,782.35	68,38,338.20	86,19,019.13	
5	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	1349,54,746.14	587,97,340.89	2,42,760.00	1935,09,327.03	223,50,091.41	185,14,613.24	61,416.00	408,03,288.65	1527,06,038.38	
6	कार्यालय उपकरण	442,82,155.88	259,80,256.55	4,06,540.20	698,55,863.23	119,93,455.14	112,64,290.11	2,84,327.00	229,73,418.25	468,82,444.98	
7	कंप्यूटर/पैरिफेरल	5569,07,133.79	1683,98,301.00	259.00	7253,05,175.79	2505,41,583.25	1631,43,883.80	-	4136,85,467.05	3116,19,708.74	
8	इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	243,28,652.29	188,38,469.62	11,52,656.00	420,14,465.91	33,41,358.33	43,68,418.08	5,07,153.09	72,22,623.32	347,91,842.59	
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	16,80,002.78	10,25,484.00	-	27,05,486.78	36,115.30	60,542.35	-	96,657.65	26,08,829.13	
10	टयूबवेल एवं ड्रज आपूर्ति	12,51,978.00	5,42,044.00	-	17,94,022.00	1,57,414.62	4,69,022.96	2.21	6,26,435.37	11,67,586.63	
11	अन्य अचल परिसंपत्तियां	240,95,238.38	3,23,126.20	14,544.00	244,03,720.58	9,46,914.17	37,03,101.17	-	46,50,015.34	197,53,705.24	
	कुल	5190,137,959.02	8227,48,082.70	138,07,056.20	59990,78,985.52	11150,84,996.60	2828,51,721.85	8,56,680.65	13970,80,037.80	46019,98,947.72	40750,52,962.42
		सकल ब्लॉक					मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक	
क्र.सं.	अचल परिसंपत्तियां (अन्य)	वर्ष के आरंभ में लागतमूल्यवहन	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागतमूल्यवहन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	चिह्ने वर्ष के अंत में
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	87,51,802.00	42,53,796.00	-	130,05,598.00	1,52,713.00	9,67,714.61	-	11,20,427.61	118,85,170.39	85,99,089.00
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	87,51,802.00	42,53,796.00	-	130,05,598.00	1,52,713.00	9,67,714.61	-	11,20,427.61	118,85,170.39	85,99,089.00
	कुल योग	51988,89,761.02	8270,01,878.70	138,07,056.20	60120,84,583.52	11152,37,709.60	2838,19,436.46	8,56,680.65	13982,00,465.41	46138,84,118.11	40836,52,051.42

01-04-2017 से पूर्व यदि अचल परिसंपत्तियां कोई हैं तो वो इसमें शामिल हैं।

B:\Govt\Bom Office\BES

अनुसूची सं. 18		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य					परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी.	11910760.01,640.00	12098636.96,663.36	657666.60,000.00	18950.16,000.00	81836.39,000.00	-10004.97,175.16	12678359.92,622.18	12505540.38,640.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	15276753.89,382.22	12382188.42,625.16	1788910.00,000.00	-	1187817.62,066.50	-783.59,151.06	15719082.57,061.32	15855038.53,912.83
3	निजी प्रतिभूतियां	4701761.69,800.00	4703838.60,371.61	1183750.00,000.00	-	-	515.31,771.66	5324829.24,640.69	532421.1,38,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	20803055.96,500.00	20880841.38,160.31	6844871.70,000.00	12010.05,000.00	581303.31,800.00	14193.92,695.71	27132497.40,429.35	27041635.13,300.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी.	1306785.42,919.33	1318713.67,307.12	40000.00,000.00	916.02,551.00	618302.58,200.00	1449.09,175.67	1356653.24,906.48	1345825.65,524.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	5300097.01,849.60	5300097.01,849.60	-	10930.04,433.78	1845.11,774.67	-	5300097.01,849.60	5311027.06,283.38
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ.	3128856.46,576.19	3126856.46,576.19	1847728.18,336.81	-	-	-	4974584.64,913.00	4974584.64,913.00
9	एल.एस.एफ.	1073.63,747.00	1073.63,747.00	1647399.24,686.00	-	1652308.48,321.96	-	437.43,849.95	437.43,849.95
10	एफ.डी.आर.	116000.00,000.00	116000.00,000.00	124359.49,282.00	-	116000.00,000.00	-	124359.49,282.00	124359.49,282.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	2523218.93,180.17	-	-	-	-	-267479.47,359.78	-
जोड़		62543144.12,414.34	62451465.10,480.52	14134685.22,304.81	42806.27,984.78	4219413.51,163.13	5359.77,316.82	72343421.52,194.79	72482659.73,705.16

अनुसूची सं. 20		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य					परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी.	6235316.03,700.00	6190682.45,585.38	316514.60,000.00	-	100772.03,000.00	-946.59,303.33	6394079.68,642.32	6451058.60,700.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	6725731.11,304.32	6382713.95,834.08	833850.00,000.00	-	650198.10,000.00	-182.84,497.18	6860307.44,959.95	6910039.35,998.58
3	निजी प्रतिभूतियां	2098864.97,000.00	2099201.08,886.45	560500.00,000.00	-	265339.05,000.00	103.80,894.64	2394277.41,214.10	2394025.92,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	9153695.23,700.00	9193999.82,826.96	3315639.20,000.00	-	299121.45,000.00	5525.23,997.87	12207174.96,194.42	12170212.98,700.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी.	567890.00,000.00	567890.00,000.00	-	-	1700.00,000.00	357.31,800.95	568901.17,099.68	566190.00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	140052.28,022.64	140052.28,022.64	-	-	-	-	140052.28,022.64	140052.28,022.64
7	लोक लेखा	11390413.12,415.86	11390413.12,415.86	12837219.12,415.86	-	-	-	24227632.24,831.72	24227632.24,831.72
8	ई.टी.एफ.	1366258.34,375.88	1366258.34,375.88	875073.07,753.12	-	-	-	2241331.42,129.00	2241331.42,129.00
9	एल.एस.एफ.	13406.61,810.51	13406.61,810.51	762038.57,804.00	-	796309.59,976.81	-	1331.21,167.41	1331.21,167.41
10	एफ.डी.आर.	84300.00,000.00	84300.00,000.00	90375.04,521.00	-	84300.00,000.00	-	90375.04,521.00	90375.04,521.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	337151.00,285.02	-	-	-	-	-11349208.55,135.91	-
जोड़		37775927.72,329.21	37767437.18,933.40	19611209.62,493.98	-	2197740.22,976.81	4856.92,892.95	43776254.33,646.33	55192249.08,070.35

अनुसूची सं. 22		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य					परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी.	310489.82,000.00	307503.16,975.87	16250.00,000.00	-	2126.05,000.00	-220.09,262.29	321159.44,977.12	324613.77,000.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	374682.55,521.90	371554.27,846.25	47400.00,000.00	-	29691.70,000.00	-20.23,631.86	389263.48,966.90	390381.41,445.71
3	निजी प्रतिभूतियां	109689.51,000.00	109978.89,819.97	27900.00,000.00	-	15549.17,000.00	15,19,273.52	122318.34,154.44	122240.34,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	500103.62,800.00	502631.09,471.91	166594.30,000.00	-	15101.81,800.00	277.61,160.55	653334.95,111.35	651596.11,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी.	33770.00,000.00	34222.35,550.36	-	-	-	53.99,260.99	34168.36,289.38	33770.00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	249.76,309.05	249.76,309.05	-	-	-	-	249.76,309.05	249.76,309.05
7	लोक लेखा	950372.73,824.14	950372.73,824.14	81351.00,000.00	-	-	-	1031723.73,824.14	1031723.73,824.14
8	ई.टी.एफ.	77355.12,204.60	77355.12,204.60	43346.09,902.40	-	-	-	120701.22,107.00	120701.22,107.00
9	एल.एस.एफ.	786.64,457.25	786.64,457.25	38564.68,719.00	-	39410.55,467.22	-	71.19,669.82	71.19,669.82
10	एफ.डी.आर.	1101.14,767.00	1101.14,767.00	-	-	-	-	1101.14,767.00	1101.14,767.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	3398.92,930.07	-	-	-	-	-	-
जोड़		2358800.92,883.94	2359154.14,156.47	421426.08,621.40	-	101879.29,267.22	106.46,800.91	2675496.66,933.53	2676448.70,122.72

अनुसूची सं.26

क.अ.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	40484.81,000.00	40138.55,992.03	1699.20,000.00	744.85,000.00	-30.38,907.50	41067.85,305.49	41439.36,000.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	41884.66,968.61	41476.47,021.92	5300.00,000.00	7409.80,000.00	-5,20,092.16	39351.56,977.44	39544.05,280.83
3	निजी प्रतिभूतियां	10700.64,000.00	10700.04,434.05	2800.00,000.00	1386.49,000.00	887.22	12113.70,234.84	12114.15,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	46106.50,000.00	46236.63,010.43	15940.40,000.00	2620.50,000.00	34.37,850.22	59540.53,157.91	59426.40,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	2460.00,000.00	2494.69,109.92	-	-	4,11,011.18	2490.58,098.74	2460.00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	8333.20,534.92	8333.20,534.92	-	-	-	8333.20,534.92	8333.20,534.92
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	5448.36,772.40	5448.36,772.40	1695.12,045.60	-	-	7143.48,818.80	7143.48,818.80
9	एल.एम.एफ	-	-	1516.64,321.00	1426.60,264.92	-	92.72,177.00	92.72,177.00
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	1452.16,414.36	-	-	-	1241.49,174.43	1241.49,174.43
जोड़		155418.19,275.93	156280.13,290.03	28951.36,366.60	13588.04,264.92	2,90,748.96	171374.94,479.57	171794.86,985.98

अनुसूची सं.27

क.अ.नि.स्टाफ पेंशन सह गैरव्यटि निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	102194.81,200.00	101747.01,263.14	11391.20,000.00	1033.70,000.00	-58.85,160.19	111373.25,968.92	112552.31,200.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	171047.69,810.18	169593.65,185.79	30800.00,000.00	15564.90,000.00	-43.51,919.54	184858.72,101.92	185491.37,215.34
3	निजी प्रतिभूतियां	41558.10,000.00	41617.13,635.01	19500.00,000.00	5851.60,000.00	5,36,011.81	55260.16,222.70	55206.50,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	260768.10,000.00	262967.38,020.79	115594.00,000.00	4308.00,000.00	236.21,013.05	374127.04,778.99	372064.10,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	4930.00,000.00	5000.07,456.85	-	-	8,33,357.56	4991.74,099.29	4930.00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	9179.27,326.87	9179.27,326.87	-	-	-	9179.27,326.87	9179.27,326.87
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	59056.16,548.40	59056.16,548.40	29582.94,932.60	-	-	88639.11,481.00	88639.11,481.00
9	एल.एम.एफ	3032.38,618.76	3032.38,618.76	24767.37,360.00	27835.31,828.93	-	41.94,348.16	41.94,348.16
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	2901.80,291.32	-	-	-	2123.74,100.39	2123.74,100.39
जोड़		651766.53,504.21	655094.88,346.93	231635.52,292.60	54593.51,828.93	147,73,302.69	830595.00,428.24	830218.35,671.76

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995							
वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे			रुपये
32588202,79,708.62	1.	01-04-2018 को आदि शेष	37785391,92,149.44		1.	जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:	
3661823,32,452.61	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	4025974,17,067.19			(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज	
511118,00,000.00		(ii) सरकार का अंशदान 2018-2019*	490000,00,000.00	0.00		सहित राशि	0.00
		(iii) वर्ष 2017-18 तक सरकार के अंशदान का बकाया				(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	763640,57,507.51
	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में शेष पर ब्याज	1056806,00,000.00	0.00		(ग) जीवन बीमा लाभ	0.00
792569,92,174.00						(घ) पेंशन	1120733,98,520.53
506,86,685.78	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	780,19,198.28		2.	पेंशन के सवितरण के लिए कमीशन के रूप में भुगतान की गई राशि	8710,61,705.75
1891050,90,525.40	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	2177061,88,066.52		3.	पेंशन निधि में दी गयी राशि	
32219,94,736.90	6.	शास्तिक नुकसानी	39465,23,260.00	0.00		प्रशासकीय व्यय	0.00
	7.	अन्य प्राप्तियां:			4.	छुट देने पर अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि	
14414,80,198.72		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	13799,14,375.93	0.00	5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	14462,60,318.87
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11			6.	अन्य भुगतान:	
						((क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	98,91,238.00
						(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	0.00
					7.	31-03-2019 को अंत शेष	43881631,84,826.70
39491906,56,482.03		जोड़	45589278,54,117.36	39491906,56,482.03		जोड़	45589278,54,117.36

*इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000.00 रु की प्रतिपूर्ति हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त रु. 10,00,00,00,000.00 की राशि शामिल है।

ह0
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0
(सुनील बड़वाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976							
वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे			रूपये
2074763,81,918.07	1.	01-04-2018 को आदि शेष	2362927,13,711.59	57943,34,727.02	1.	बीमा लाभ	77769,46,115.50
173115,88,878.61	2.	नियोक्ताओं का अंशदान	194256,29,631.90		2.	छुट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को	
68459,59,030.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	81351,00,000.00	0.00		वापिस की गई राशि	0.00
103864,57,028.20	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	115554,88,894.77		3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के	
6,60,956.42	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	1,652.80	2008,98,537.70		रूप में अदा की गई राशि	900,38,359.28
2004,34,515.76	6.	शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज	1949,73,834.78		4.	अन्य अदायगियां	
	7.	अन्य प्राप्तियां :		3,72,898.75		लेखा संख्या 21	4,91,325.66
668,37,548.00		लेखा संख्या 21	807,78,104.00	0.00		लेखा संख्या 25	0.00
0.00		लेखा संख्या 25	0.00	2362927,13,711.59	5.	31-03-2019 को अंत शेष	2678172,10,029.40
2422883,19,875.06		जोड़	2756846,85,829.84	2422883,19,875.06		जोड़	2756846,85,829.84

ह0
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976							
वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां							
(प्रशासनिक लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि
रूपये	पैसे		रूपये	पैसे	रूपये	पैसे	रूपये
267107,88,240.48	1.	01-04-2018 को आदि शेष	290638,78,672.78	3991,64,290.14	1	कर्मनिर्भर पर 1% अनुपातिक व्यय	3541,15,574.60
6308,98,956.34	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	3445,20,032.27		2	अन्य प्राप्तियां:	
755,25,257.00	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	560,58,618.15	41,196.15		लेखा संख्या 22	1,08,243.08
171,04,712.97	4	शास्तिक नुकसानों एवं 7क्यू ब्याज	232,19,246.52	0		लेखा संख्या 24	0.00
20283,24,925.86	5	निवेश पर प्राप्त ब्याज	21929,02,154.32	290638,78,672.78	3	31-03-2019 को अंतर्शेष	313262,67,220.66
4,33,704.42	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	4,14,711.65				
0.00	7.	अन्य प्राप्तियां:	0.00				
8,362.00		लेखा संख्या 22	3,27,025.94				
0.00		लेखा संख्या 24	0.00				
294630,84,159.07		जोड़	316804,91,038.33	294630,84,159.07		जोड़	316804,91,038.33

ह०
 (हेमंत जैन)
 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
 (सुनील बड़वाल)
 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अनुसूची जो 2018-19 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा पद्धति

वित्तीय विवरणियां संचित आधार पर तैयार की जाती हैं जब तक कि अन्यथा भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई लेखांकन हेतु आम प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत न कहा जाए।

2. निवेश

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि.एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है। ।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां :

3.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर व्यय रु. 5000/- से अधिक लागत वाले तथा जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, को अचल परिसंपत्ति के रूप में विचार किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है ।

3.4 भूमि, भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जो 01.04.2015 (लेखांकन के आकस्मिक आधार से नकद आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अर्जित की गई हैं, का मूल्यांकन रुपए 1/- प्रति मद के नाम मात्र मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति के रूप में माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले खरीदी गई और संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन रुपए 1/- प्रति

परिसंपत्ति और लेखांकन के लिए प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में किया जाएगा। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. मूल्यहास

- 4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 4.2 पूंजीकरण के वर्ष के दौरान अचल संपत्ति जिसे 180 दिन से ज्यादा उपयोग किया गया है पर पूरी दर से मूल्यहास दिया गया और यदि 180 दिन तक उपयोग किया गया है तो आधी दर से दिया गया।
- 4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे भवन जिनका सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के वर्ष की निर्धारित संख्या के लिए एकमुश्त भुगतान किया गया, पर मूल्यहास लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया गया।
- 4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि जो लीज़ अवधि पर प्रतिवर्ष उसी अनुपात में परिशोधित की गई।
- 4.5 पूर्ण स्वामित्व वाले भवन पर अर्जन की तिथि से दिनांक 01.04.2015 तक की अवधि के लिए मूल्यहास पहले लागू होगा। उसके पश्चात् दिए गए मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए संलग्न कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना में देय सरकारी अनुदान अंशदान को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

- 6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन, अदायगी की वास्तविक तिथि कोई भी हो, उपार्जन आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाएगा।
- 6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, ब्याज की वसूली अवधि कोई भी हो, वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज

- 7.1 लीज शर्तों के संदर्भ में लीज किराए खर्च किए जाते हैं।
- 7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा तथा इस सीमा तक प्रावधान किया जाएगा।

8. ब्याज से आय

- 8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।
- 8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।
- 8.3 निवेशों पर संचित और उपार्जित अप्राप्त ब्याज 2015-16 से संचित आधार (accrual basis) पर गिने जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

- 9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों को बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखाबद्ध किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव को क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, पिछले लेखाकरण पद्धति-15 के मानकों के अनुसार कर्मचारियों के लाभों को बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत को उसी अवधि के लिए लेखाबद्ध किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।
- 9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व पहचान

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से यदि कोई वसूली होती है तो राजस्व को रोकड़ आधार पर लिखा जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज का प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों में किया जाता है।

11. भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में माप के आधार पर जहां तक कार्य किया गया है, परंतु अभी पूरा नहीं किया है तब राशि को "पूंजी कार्य प्रगति में" हस्तांतरित किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक दायित्व एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक दायित्व

क्र.सं.	आकस्मिक दायित्व	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1.1	वे एनटाइटी जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, के विरुद्ध किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने वाले अनुबंधों के अनुमानित मूल्य का आकलन करना बाकी है तथा 29,328.04 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु यह उपलब्ध कराया जाना है। पिछले वर्ष के अंत में यह 31,773.99 लाख रुपये था।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II. पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि की 50.73 करोड़ रुपए की आय और 66.40 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

- धारा 7ए के अंतर्गत अप्राप्य श्रेणी (कोर्ट स्टे, समापन तथा बीआईएफआर मामले), 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को योजनावार दिखाया गया है।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	चालू वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अप्राप्य श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		पिछला वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अप्राप्य श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	2,49,990.71	2,11,906.81	2,19,543.43	1,81,360.06
	क.भ.नि. प्रशा. निधि	17,330.32	19,860.62	15,454.59	17,861.75
	कर्मचारी पेंशन निधि	1,24,859.71	98,926.44	1,08,850.06	82,231.21
	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि	12,334.89	9,339.26	9,686.75	7,707.78
	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	382.07	344.93	373.83	274.65
	कुल	4,04,897.70	3,40,378.06	3,53,908.66	2,89,435.45

(स्रोत एम.आई.एस.)

2. 7ए के अंतर्गत प्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।
3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि की मात्रा का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर।

IV कर्मचारी पेंशन निधि

31.03.2016 और 31.03.2017 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की अंतिम बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। ये रिपोर्ट अभी तक सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। तथापि प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:-

- i. योजना के उचित मूल्यांकन हेतु सभी प्रकार के लाभार्थियों के पूर्ण डाटा के एकीकरण के लिए एक अभियान चलाया जाए। चालू वर्ष में डाटा एकत्र करने के लिए प्रयास किया गया और हमें पेंशनभोक्ताओं तथा लाभार्थी पेंशनभोक्ताओं का 100% डाटा तथा सक्रिय सदस्यों के संबंध में अधिक संख्या में डाटा प्राप्त हुआ है। परंतु, सक्रिय सदस्यों के संबंध में साझा की गई जानकारी पूर्ववर्ती डाटा प्रावधान की तुलना में काफी ज्यादा है। सदस्यों की अन्य श्रेणियों के संबंध में डाटा तथा सक्रिय सदस्यों के लिए शेष डाटा को ठीक किया जाना चाहिए।
- ii. “क.पें.यो. वेतन” में इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कॉलम में डाटा और निवल देयताओं के मूल्यांकन हेतु घटकों को प्रस्तुत करते समय, हमने डाटा में दिए गए कर्मचारी पेंशन योजना पर विचार किया है। जैसा कि लाभों के लिए वेतन की पात्रता बनाता है।
- iii. मृत्यु दर, क्षयण तथा वेतन बढ़ोतरी से संबंधित विशेष योजना के सृजन हेतु क.भ.नि.सं. में सांख्यिकी प्रकोष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया जाए।
- iv. क.पें.यो. के लिए वेतन सीमा मुद्रा मुद्रास्फीति की गति से नहीं जुड़ी है और इसलिए मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण लाभ क्षरण हो जाते हैं, परंतु वेतन सीमा में बढ़ोतरी, जिसका योजना की वित्तीय सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति के लिए कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। क.पें.यो. के लिए वेतन सीमा में कोई भी बढ़ोतरी निधि पर प्रभाव को देखते हुए की जानी चाहिए। हमारे विचार में वेतन सीमा में यदि कोई भी वृद्धि की जाती है तो योजना में संशोधन की आवश्यकता होगी जिससे वेतन सीमा के विभिन्न स्तरों पर सेवा क्रेडिट दिया जा सके।
- v. कैश फ्लो पर विचार करते हुए उचित परिसंपत्ति दायित्व मिलान तथा धन का निवेश होने से समुचित निवेश तथा निधि की आय में सहायता मिलेगी। निवेश विभाग उच्च आय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाभ विभाग के साथ मिलकर कार्य करे। यह तभी संभव हो सकता है, जब कैश फ्लो अनुमान के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध हो।

- vi. पेंशन एक दीर्घावधि की देयता है तथा रियायत दर एवं आय दर आर्थिक अवयवों के अनुसार होती है। ऐसा संभव नहीं है कि आर्थिक अवयव इतने लंबे समय तक स्थिर रहें। स्थिर रियायत एवं आय दर पर विचार करने से वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में देयता आधारित परिदृश्य का पता चल सकेगा। चूंकि योजना लगातार चल रही है तथा लाभ एवं अंशदान परिभाषित हैं, बीमांकक पैरामीटरों में किसी अंतर को वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है जिसमें कि वर्ष-दर वर्ष योजना का परिप्रेक्ष्य मिल सके।
- vii. संवेदी विश्लेषण की सिफारिश तभी की जा सकती है जब ऐसा करने के लिए डाटा उपलब्ध हो। फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध डाटा एवं मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुसार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

मूल्यांकन परिणाम :

कुल देयता वर्गीकरण	रूपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	7,37,700.57
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	4,03,756.28
सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	3,33,944.29
31-03-2017 को संग्रह (घ)	3,18,412.38
कुल देयता (करोड़ में) (बीमांकक कमी)	15,531.91

v. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार 01.09.2014/वर्ष के लिए किया गया तथा इसकी विस्तृत निष्कर्ष रिपोर्ट निम्नानुसार है:

वर्तमान लाभों सहित क.नि.स.बी.यो. में शोधन-क्षमता की कोई तत्काल समस्या नहीं है, योजना का आधार मजबूत है तथा वर्तमान कोहार्ट(cohort) में लाभ संधारित कर सकती है।

- योजना की संधारिता का प्रमुख कारण 13,711 करोड़ रु. की वर्तमान संग्रह राशि की उपलब्धता है।
- योजना के वार्षिक मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।
- यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में योजना में कोई भी संशोधन औपचारिक मूल्यांकन के बाद ही किया जाए।
- योजना का मॉरटैलिटी अनुभव कुछ समय बाद बदल जाएगा, तथा योजना के लिए एक अनुभवी मॉरटैलिटी टेबल बनाया जाना उचित है।

VI. सदस्य खाते:

(क) निष्क्रिय खाते:

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, लेखा वर्ष 2018-19 के दौरान निष्क्रिय खातों की अंतर राशि को सक्रिय खातों (तुलन पत्र की अनुसूची-1) में हस्तांतरित किया गया है। दिनांक 31.03.2019 तक 'निष्क्रिय खातों' में 1,638.37 करोड़ रुपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 6,91,774 है।

(ख) अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान

दिनांक 31.03.19 को, क्रमशः रु 7.36 करोड़ और रु.3.10 करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतर्शेष थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -'क' पर संलग्न है

(ख) टी.डी.एस. का रिफंड

वर्ष 1997-1998 से 2005-2006 के दौरान टी.डी.एस. के रूप में 8.37 करोड़ की राशि की गलती से कटौती की गई और आयकर विभाग में जमा कराई गई। काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु मामले को यू-ओ नोट दिनांक 20.06.2018 द्वारा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिसमें यह प्रस्तावित है कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के स्तर पर मामला रु 8,36,98,105.70 की राशि ब्याज सहित शीघ्रतम लौटाने के लिए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ आयकर प्रधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु उठाया जाए। अवर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा अनुरोध किया है कि टैक्स कटौती का विवरण, काटे गए टैक्स, तिथिवार एवं टैक्सवार प्रमाणपत्र संख्या एवं प्रत्येक प्रमाणपत्र की तिथि सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

(ग) निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर

तुलनपत्र में दर्शाए गए निवेश आंकड़ों में तथा निवेश भाग के होल्डिंग आंकड़ों में अंतर का कारण यह है कि तुलनपत्र में ऋण परिशोधन के बाद निवेश आंकड़ों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है, वहीं निवेश रिकॉर्ड में इसे अंकित मूल्य पर रखा गया है। अतः ऋण परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अंतर, दिए गए प्रीमियम / लिए गए डिस्काउंट की सीमा पर निर्भर करता है तथा उस सीमा तक इसका ऋण परिशोधन कर दिया गया है। चूंकि प्रतिभूतियां नियमित रूप से खरीदी जाती हैं, ऋण परिशोधन की गणना एक अति सक्रिय एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा इसकी कंप्यूटिंग हेतु एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है।

(घ) 31.03.2019 तक ई.टी.एफ. में निवेशित राशि का बाज़ार मूल्य रु.85,363.29/- करोड़ रुपए था।

VIII. उंचत खाते

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	96,24,54,812.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	1,44,57,60,838.48
कुल	2,40,82,15,651.29
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,82,46,71,637.55
अंतशेष	(-) 41,64,55,986.26

उंचत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	20,57,71,343.07
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,11,78,77,977.13
कुल	2,32,36,49,320.20
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,05,78,83,677.02
अंतशेष	26,57,65,643.18

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	87,76,07,376.04
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,60,66,85,868.26
कुल	3,48,42,93,244.30
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,41,11,94,842.16
अंतशेष	1,07,30,98,402.14

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	22,76,32,264.88
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	11,10,19,973.02
कुल	33,86,52,237.90
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	9,99,84,218.83
अंतशेष	23,86,68,019.07

पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2016 के दौरान शुरू की गईं तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता-अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

भारत सरकार दिनांक 01.04.2018 से क.भ.नि.सं. के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए, समय-समय पर स्वीकार्य, नियोक्ताओं के पूरे अंशदान (क.भ.नि. और क.पें.यो. दोनों) का भुगतान करेगी। स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों को पंजीकृत करने की आवधिक तिथि 31 मार्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवाई में सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दिनांक 12.04.2018 के माध्यम से संशोधन किया गया था।)

पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए जैसा कि लेखा उद्देश्य के लिए विविध आय में दर्शाए गए अनुसार अनुरक्षित बैंक खातों में ब्याज जमा किया जाता है, जहां तक दोनों योजनाओं के अप्रयुक्त सहायता राशि की बात है इसे क्रमशः पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी पेंशन योजना में अग्रिम के रूप में माना जाएगा।

पीएमपीआरवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान खोले गए बैंक खाते पर अर्जित ब्याज की राशि के संबंध में मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विचाराधीन है मामले, में अंतिम निर्णय होने के पश्चात इस ब्याज की राशि पर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(IX) केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

- i. ड्रुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना खाते में दिखाया जाता है।
- ii. जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।

- iv. एकल एकत्रिकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाएं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

(X) अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

- (क) अन्य अचल परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियां जैसे बायोमैट्रिक मशीन, टेबल के शीशे, अग्निशमक, पानी के फिल्टर शामिल हैं।
- (ख) जमीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	हैदराबाद	आलविन कालोनी, कुकटपल्ली पर एसवाई सं. 276/2, जीओ एमएस सं. 166 दिनांक 17.06.2016
2	मुख्यालय	क.भ.न.सं. मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन में निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर लिया गया था, परन्तु आज तक लीज डीड क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2019 को इस भवन का बुक मूल्य केवल 21,23,90,281/- रुपये है।

(XI). स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक हस्तांतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले हस्तांतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

बीमांकक ने नवम्बर, 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल अनुमानित लाभ भार (पी.बी.ओ.) नीचे सारणीबद्ध है:

(रूपये करोड़ों में)

(i)	पेंशन	9,809.39
(ii)	ग्रेच्युटी	750.27
(iii)	कुल देयताएं (i) + (ii)	10,559.66
(iv)	31.03.2015 को प्राप्त बकाया	2,269.68
(v)	घाटा (iii) - (iv)	8,289.98
(vi)	31.03.2017 तक पेंशन- सह- ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,706.81
(vii)	01-04-2017 से 31-03-2018 तक पेंशन- सह- ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,728.80
(viii)	01.04.2018 से 31.03.2019 तक पेंशन सह- ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,251.00
	शेष घाटा [(v) - (vi)]	3,603.37

बीमांकक की रिपोर्ट केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा स्वीकार की गई और, उसके पश्चात् प्रशासनिक प्रभार की अतिरिक्त राशि निधि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्मचारी पेंशन सह- ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित की जा रही है। रु.4686.61 करोड़ की राशि कर्मचारी पेंशन सह- ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित की जा चुकी है।

(XII). एक कभनिस के हुडको विशाला भवन पर सितंबर, 2009 से सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए मासिक बिजली एवं पानी प्रभार तथा आमतौर पर साझा की जाने वाले सेवाओं के रखरखाव के लिए सीबीईसी (CBEC) एवं सीबीडीटी (CBDT) से रुपये 3.90 करोड़ राशि (सीबीईसी से रुपये 1.87 करोड़ तथा सीबीडीटी से रुपये 2.03 करोड़) प्राप्त हुए। कभनिस के लिए अलग से मीटर प्राप्त करने के लिए बिजली एवं जल आपूर्ति एजेंसियों के प्राधिकारियों के समक्ष मामला रखा गया है। तब तक सीबीईसी एवं सीबीडीटी से कभनिस पुराना बकाया सहित देयों का अपना हिस्सा को भुगतान करने के लिए कहा गया है।

(XIII). किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिस होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

ह0
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के संबंध में ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण- मार्च (31-03-2019)

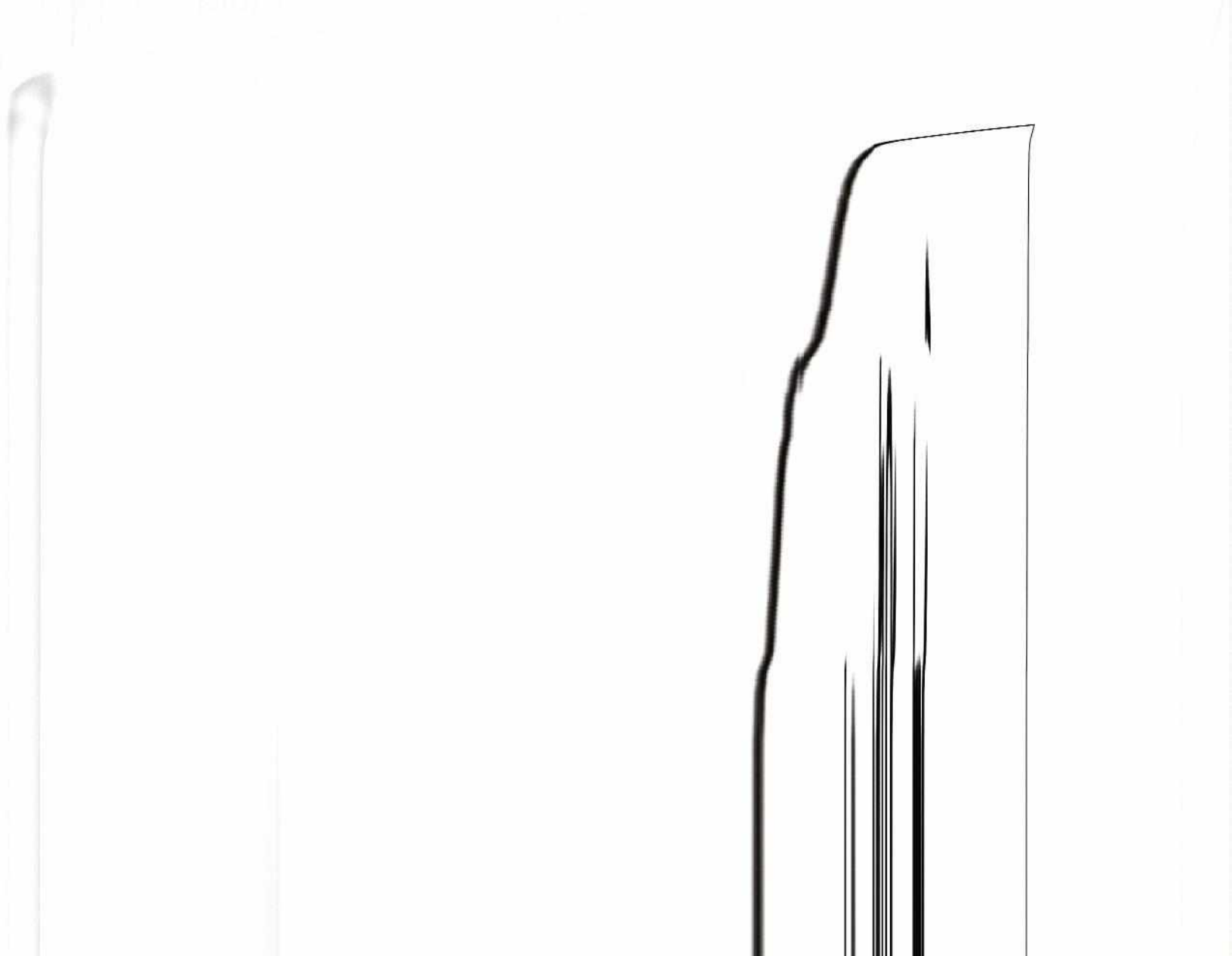
क्र.सं	स्थापना का नाम	मूल(प्रतिभूति का अंकित मूल्य)/आंशिक रूप से छुड़ाना	विलंबित ब्याज / ब्याज राशियों के देशी से भुगतान पर अर्जित ब्याज	वर्तमान स्थिति
1	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम (1 अप्रैल, 2004 से)	शून्य	6,49,29,863.02	यूपीएफसी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद में आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश में दिए निदेश का पालन करते हुए, यूपीएफसी ने 27.08.2018 को रुपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संरक्षक ने ईमेल दिनांक 07.09.2018 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने ईमेल दिनांक 10.09.2018 द्वारा पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूपीएफसी सिक््योरिटीज से संबंधित 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएफसी ने 05.12.2018 को रुपये 27,60,00,00,000/- केवल ब्याज के दावे के लिए प्राप्त किए हैं। इस संबंध में, प्रधान सचिव, अद्यसंरचना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.05.2019 द्वारा शेष अतिरिक्त देय ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। टिप्पणी- 27.08.2018 को यूपीएफसी से रुपये 25,00,00,000/- मूल राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। टिप्पणी - 05.12.2018. को यूपीएफसी से रुपये 27,60,00,000/- ब्याज राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं।
2.	मैसर्स प्रदेशीय इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (यूपी पीआईसीयूपी)(जुलाई, 2003 से)	शून्य	1,62,44,864.10	यूपी-पीआईसीयूपी माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच) के मूल भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1759 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच), इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1759) के आदेश में दिए गए निदेश का पालन करते हुए यूपी-पीआईसीयूपी ने रुपये 2,38,07,502/- के लिए दिनांक 26.10.2018 को डेडी अर्पणित किया है। प्रधान सचिव, अद्यसंरचना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.05.2019 द्वारा संचित किया गया है कि यूपी-पीआईसीयूपी 31.10.2018 को रुपये 2,38,07,502/- की ब्याज राशि का भुगतान कर दिया है और शेष अतिरिक्त ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निदेश जारी करने का अनुरोध किया है। टिप्पणी- 31.10.2018 को यूपी-पीआईसीयूपी से रुपये 2,38,07,502.00 ब्याज राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं।

3.	मैसर्स रिचर्ड एण्ड कूडस (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	शून्य	2,18,26,722.23	क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने क.भ.नि.सं. से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी बी की दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडस लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। इसके अलावा दिनांक 05.04.2019 को संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को बकाया देय ब्याज राशि के भुगतान के अनुरोध सहित एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया है जिसकी एक प्रति एस सी बी, सरंक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित की गई है।
4.	मैसर्स पीएसआईडीसी (2013 से* - वर्ष 2004 से देरी से परिपक्वता और ब्याज भुगतान पर अर्जित ब्याज लंबित हैं)	74,00,000.00	1,00,24,233.68	अध्यक्ष, पी एस आई डी सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 16.08.2016 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बॉड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 15.03.2017, 13.07.2017 तथा 05.02.2018 को तथा 21.05.2019 द्वारा अनुस्मारक जारी किया गया है और मुख्य सचिव, वित्त, पंजाब सरकार को 05.02.2018 तथा 21.05.2019 को अनुस्मारक जारी किया गया है।
5.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला(1996 से)	शून्य	440,976.82	सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर में वसूली मुकदमे दायर किए गए हैं। एच एम टी ने एस आई सी ए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्यवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। मामला अभी भी लंबित है। अधिवक्ता को बीआईएफ आर पर राय प्रस्तुत करने तथा स्टे ऑर्डर को चुनौती देने और स्थिति रिपोर्ट से अवगत करवाने के लिए दिनांक 09.05.2013, 16.08.2014, 27.03.2015 तथा 05.05.2016 को पत्र जारी किया गया है। पत्र दिनांक 29.05.2018 तथा 02.05.2019 द्वारा मामले की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर को भी अनुस्मारक जारी किया गया है।
6.	मैसर्स पंजाब फाईनेंशल कार्पोरेशन (2014 से)	42,20,000.00	6,12,711.97	अध्यक्ष, पी एफ सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक की राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा सभी लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 19.04.2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 16.08.2016 को पुनः अनुस्मारक भी जारी किया गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एफ सी द्वारा जारी बॉड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 27-04-2017,

				19-9-2017, 13-2-2018 तथा 4-12-2018, 08.05.2019 और मैसर्स पी एफ सी को 27.04.2017, 19.09.2017, 16.02.2018, पृष्ठांकन पत्र 08.05.2019 जारी किया गया है। पी.एफ.सी. के चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 27.05.2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें एस.सी.बी., संरक्षक के प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्मिक उपस्थित हुए थे, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे को मजबूती से रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि पी.एफ.सी. एक सचिव स्तर की बैठक मुनिश्चित करेगा और सभी बॉर्ड धारियों को इस संबंध में सूचित करेगा। पी.एफ.सी. के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।
7.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेशियल सर्विस	शून्य	21,79,59,000.00	अध्यक्ष, आई.एल. एंड एफ.एस. को 11.01.2019 को चूक की राशि का भुगतान करने के लिए एक अर्धशासकीय पत्र भेजा गया। इसके अलावा, अध्यक्ष, आई.एल. एंड एफ.एस. से इस कार्यालय के अनुस्मारक दिनांक 31.01.2019 द्वारा पुनः विषय वस्तु पर शीघ्र एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, निदेशक, एस.सी.बी. को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.02.2019 द्वारा यह मुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि ब्याज हेतु देय राशि का भुगतान समय पर केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. को किया जाए और अद्यतन स्थिति के संबंध में तुरंत इस कार्यालय को सूचित किया जाए। क.भ.नि.सं. सहित ऋणपत्रधारियों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा 8 फरवरी, 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष एक इंटरवेंशन आवेदन फाईल किया गया है। संरक्षक द्वारा इसे नियमित रूप से जारीकर्ता के साथ यह कहकर उठाया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश कामगारों के अंशदान की राशि है। आई एल एंड एफ एस के मामले में दावा प्रबंधन सलाहकार द्वारा मांगे गए दावा प्रपत्र को डिबेंचर ट्रस्टी को भली भांति प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को आईबीसी के अंतर्गत समुचित फोरम के समक्ष एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
हमने 31 मार्च, 2019 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ. नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), पीडीनास तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (नई दिल्ली एवं बंगलूरु) के क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण सहित 21 आंचलिक कार्यालयों के लेख शामिल हैं। इनमें से मुख्यालय, 04 आंचलिक कार्यालय, पीडीनास तथा 12 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में उचित प्रकार से शामिल किया गया है। ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित	3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।



करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

(i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था;

(ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मट के अनुसार तैयार किया गया है।

(iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इनका क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार रख-रखाव किया जा रहा है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. तुलन पत्र

ए.1 परिसंपत्तियां

निवेश (अनुसूची 18, 20, 22, 26, 27) - 1197971.43 करोड़ रुपये

महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 2 (बी) के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन परिशोधन मूल्य पर किया गया है। क.भ.नि.सं. अपने विभिन्न प्रकार के निवेश को तुलनपत्र में दर्शाए गए कुल निवेश के परिशोधन मूल्य को वर्गीकृत नहीं कर सकता। 'परिशोधन मूल्य' के कॉलम में, 31 मार्च, 2019 को समाशोधन के अंतर्गत 116214 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण निवेश राशि को दर्शाया गया है, अतः निवेश के प्रकार के अनुसार परिशोधन मूल्य के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

4. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

ए. तुलन पत्र

ए.1 परिसंपत्तियां

क.भ.नि.सं. के निवेश के अंकित मूल्य में कोई अंतर नहीं है जिसका समाशोधन किया गया है। परिशोधन मूल्य के अंतर्गत, 'समाशोधन के अंतर्गत राशि' है, जिसका समाशोधन इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। इस कार्य को 30 सितंबर, 2020 तक पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

समाशोधन के अंतर्गत पर्याप्त राशि होने के कारण लेखों में दर्शाए गए निवेश के परिशोधन मूल्य को लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। क.भ.नि.सं. ने आश्वासन दिया कि निवेश के परिशोधन मूल्य का समाशोधन 30 सितंबर, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा 2019-20 के वार्षिक लेखों में दर्शाया जाएगा।	
ए.2 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 32 के अनुसार, संघ सरकार के लिए एक मूल्यांकन नियुक्त करके कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाया जाना अपेक्षित है। हालांकि 2015-16 तथा 2016-17 के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम तथा प्रभाव को लेखों पर टिप्पणी में दर्शाया गया है पर लेखा-पुस्तकों में 15531.91 करोड़ ₹. की बीमांकक कमी का लेखांकन नहीं किया गया तथा वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए मूल्यांकन किया जाना शेष है। लेखा-पुस्तकों में 2015 तथा 2016 के मूल्यांकन के प्रभाव का लेखांकन न होने तथा क.पै.यो. के समवर्ती मूल्यांकन के अभाव के कारण, लेखा परीक्षा क.पै.यो. के सही होने को सत्यापित करने में असमर्थ है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिवर्ष क.पै.यो. के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करने की समय-सीमा पर मंत्रालय, आईएफडी, श्रम एवं रोजगार तथा क.भ.नि.सं. के साथ परामर्श करके विचार कर रहा है तथा एक बार समय-सीमा तय हो जाने के बाद क.पै.यो. के मूल्यांकन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी तथा समय पर की जाएगी। क.पै.यो. के मूल्यांकन का अनुमोदन होने/लंबितता का कारण नहीं बताया गया।	ए.2 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन निधि की क्रमशः 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को 20वीं एवं 21वीं बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्टों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सरकार के अनुमोदन के बाद, पत्र सं. पेंशन-1/18(6)/18/22वां मूल्यांकन/11171 दिनांक 11.02.2020 द्वारा 31.03.2018 तथा 31.03.2019 को बीमांकक मूल्यांकन के लिए बीमांकक की नियुक्ति की गई।
बी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) बी.1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 9.1 में कहा गया है कि स्टॉफ पेंशन-सह-ग्रैजुटी निधि की देयताओं का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। क.भ.नि.सं. ने उक्त निधि का नवंबर, 2015 के बाद से बीमांकक मूल्यांकन नहीं किया है। वर्ष के दौरान उक्त निधि में 1251 करोड़ ₹. जमा हुए तथा 3603.37 करोड़ रुपये के घाटे (स्टॉफ पेंशन-सह-ग्रैजुटी) निधि पर लेखा टिप्पणी का संदर्भ लें) को नवंबर, 2015 की मूल्यांकन रिपोर्ट के	बी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) बी.1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 9.1 के अनुसार ग्रैजुटी-सह-पेंशन निधि में कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का चालू वर्ष के व्यय के रूप में लिया जाना चाहिए। 31.03.2019 को स्टॉफ पेंशन-सह-ग्रैजुटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया तथा रिपोर्ट को के.न्या.बोर्ड, क.भ.नि. की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए रखा

आधार पर उक्त निधि में अंतरित किया जाना शेष है। महत्वपूर्ण लेखा नीति 9.1 के अनुसार अपेक्षित 2017-18 तथा 2018-19 का बीमांकक मूल्यांकन नहीं किया गया।	जाएगा। तदनुसार, इसकी देयता को चालू वर्ष के लेखों में उपलब्ध कराया जाएगा।			
बी.2 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 9.2 में कहा गया है कि अवकाश रियायत को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाए। यह लेखा नीति एएस-15 के पैरा 127 का उल्लंघन है जिसमें उल्लेख है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश रियायत का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाए।	बी.2 यह सीएजी द्वारा अनुमोदित तथा के.न्या.बोर्ड द्वारा स्वीकृत लेखनीति के अनुसार है। अवकाश रियायत व्यय को अनुमोदित 'लेखों का सामान्य फॉर्मेट एवं उसकी अनुसूचियां' के अनुसार उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है। अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, (बिंदु 10.2) में उल्लिखित है कि वर्ष के दौरान किए गए अवकाश रियायत को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में लिया जाए।			
सी. सामान्य टिप्पणियां सी.1 क.भ.नि. अंशदान निधि सदस्य लेखा सदस्य निष्क्रिय लेखा (अनुसूची 2) - 1638.37 करोड़ रु. परीक्षण के रूप में जांचे गए क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का., नरोड़ा, क्षेत्र, सेलम तथा क्षेत्र, कोयंबटूर) की लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए विभिन्न दस्तावेजों में अंतर है। अतः इन शेष के सही होने को सत्यापित नहीं किया जा सका। अन्य क्षेत्रों में भी इन शेष में इसी प्रकार के अंतर से इंकार नहीं किया जा सकता।	सी. सामान्य टिप्पणियां सी.1 क.भ.नि. अंशदान निधि सदस्य लेखा सदस्य निष्क्रिय लेखा (अनुसूची 2) - 1638.37 करोड़ रु. सदस्य निष्क्रिय लेखे, सदस्यों की क.भ.नि.सं. के प्रति भ.नि. देयता का हिस्सा है। क्षेत्र. ने निष्क्रिय लेखों के भुगतान को सदस्य लेखों (सक्रिय) में भुगतान के रूप में दर्शाया है अन्यथा उनकी रोकड़ पुस्तिका का समाशोधन नहीं होता। यह केवल सदस्यों के लेखों के भीतर लेखों का गलत वर्गीकरण है। अतः सदस्य लेखों की देयताओं में कोई ओवर-स्टेटमेंट नहीं है।			
(राशि करोड़ों में)				
क्षे.का. /आं.का.	लेखा शीर्ष	लेखों निष्क्रिय लेखों में दर्शाई गई राशि	एम.आई.एस. रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ईडीपी के अनुसार राशि	अंतर
क्षे.का. नरोड़ा	निष्क्रिय लेखे से किया गया भुगतान	4.29	14.62	10.33
क्षे.का. सेलम	निष्क्रिय लेखे से किया गया भुगतान	शून्य	43.05	43.05

क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अनुसार निष्क्रिय लेखों की परिभाषा में 11.11.2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय लेखों के रूप में वर्गीकृत तथा रिपोर्ट की गई राशि 11.11.2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय लेखों की राशि के अंतर को मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2018-19 के लेखा वर्ष के दौरान सक्रिय लेखों में अंतरित किया गया (तुलन पत्र की अनुसूची I)	
--	--

क्षे.का. कोयंबटूर	निष्क्रिय लेखे में अंतरित राशि	शून्य	687.97	687.97
-------------------	--------------------------------	-------	--------	--------

(ii) क्षे.का. में "निपटारा/भुगतान किया गया दावा" के तुलन-पत्र शीर्ष को 'शून्य' राशि दर्शाया गया हालांकि वर्ष के दौरान दावे का निपटान/भुगतान हुआ था। अतः 'शून्य' शेष को लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। हालांकि लेखा परीक्षा द्वारा ऐसा क्षे.का. तिरुनेलवेल्ली में देखा गया पर अन्य क्षे.का. में ऐसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

iii) तुलनपत्र तथा लेजर में दिखाई गई राशि के अनुसार क्षे.का., कांदिवली (पूर्वी एवं पश्चिमी) में निम्नलिखित अंतर देखा गया।

(रूप करोड़ों में)				
क्षे.का.	तुलनपत्र के अनुसार शेष	तुलनपत्र के अनुसार अंतशेष	लेजर के अनुसार आदिशेष	लेजर के अनुसार अंतशेष
कांदिवली (पूर्वी एवं पश्चिम)	2415.08	1192.04	2316.96	1093.93

31.03.2019 तक निष्क्रिय लेखों में "आदि" के साथ-साथ अंत शेष में 98.11 करोड़ रूपए का अंतर देखा गया।

तुलन-पत्र में निष्क्रिय लेखे में गलत राशि दर्शाए जाने के कारण उक्त क्षे.का. द्वारा निष्क्रिय लेखों में दर्शाई गई राशि को लेखा-परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

(i) से (ii) के उत्तर में क.भ.नि.सं. ने आश्वासन दिया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से, क.भ.नि.सं. के क्षे.का. द्वारा निष्क्रिय लेखों के लेन-देन की लेखा-प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा जिससे कि क्षे.का. के लेखों में गलतियों को कम किया जा सके।

(ii) सदस्य निष्क्रिय लेखे, सदस्यों की क.भ.नि.सं. के प्रति भ.नि. देयता का हिस्सा हैं। क्षे.का. ने निष्क्रिय लेखों के भुगतान को सदस्य लेखों (सक्रिय) में भुगतान के रूप में दर्शाया है अन्यथा उनकी रोकड़ पुस्तिका का समाशोधन नहीं होता। यह केवल सदस्यों के लेखों के भीतर लेखों का गलत वर्गीकरण है। अतः सदस्य लेखों की देयताओं में कोई ओवर-स्टेटमेंट नहीं है।

क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अनुसार निष्क्रिय लेखों की परिभाषा में 11.11.2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय लेखों के रूप में वर्गीकृत तथा रिपोर्ट की गई राशि 11.11.2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय लेखों की राशि के अंतर को मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2018-19 के लेखा वर्ष के दौरान सक्रिय लेखों में अंतरित किया गया (तुलन पत्र की अनुसूची 1)

(iii) सदस्य निष्क्रिय लेखे, सदस्यों की क.भ.नि.सं. के प्रति भ.नि. देयता का हिस्सा हैं। क्षे.का. ने निष्क्रिय लेखों के भुगतान को सदस्य लेखों (सक्रिय) में भुगतान के रूप में दर्शाया है अन्यथा उनकी रोकड़ पुस्तिका का समाशोधन नहीं होता। यह केवल सदस्यों के लेखों के भीतर लेखों का गलत वर्गीकरण है। अतः सदस्य लेखों की देयताओं में कोई ओवर-स्टेटमेंट नहीं है।

क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अनुसार निष्क्रिय लेखों की परिभाषा में 11.11.2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय लेखों के रूप में वर्गीकृत तथा रिपोर्ट की गई राशि 11.11.2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, निष्क्रिय लेखों की राशि के अंतर को मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2018-19 के लेखा वर्ष के दौरान सक्रिय लेखों में अंतरित किया गया (तुलन पत्र की अनुसूची 1)

सी. 2 निवेश अस्थिरता लेखा (अनुसूची 4) - 270.08 करोड़ रूपए निवेश अस्थिरता लेखे में उक्त 270.08 करोड़ रूपए की राशि 2006-07 से प्रचलन में नहीं है। इस अप्रचालित लेखे को जारी रखने तथा इसके कारण लेखों में किए जाने वाले आवश्यक लेखांकन व्यवस्था पर निर्णय लेना जरूरी है। इसे पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था किन्तु क.भ.नि.सं. ने कोई कार्रवाई नहीं की। क.भ.नि.सं. ने कहा कि इस संबंध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के समक्ष कार्यसूची मद रखी गई है।	सी. 2 निवेश अस्थिरता लेखा (अनुसूची 4) - 270.08 करोड़ रूपए प्रतिभूतियों की खरीद पर दिए गए प्रीमियम /प्राप्त छूट को निवेश अस्थिरता लेखे में अंतरित किया जाता है। परिशोधन नीति की शुरुआत होने के साथ, इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। इस लेखे की मूल राशि को ब्याज लेखे में अंतरित किया गया तथा 270.08 करोड़ रूपए का शेष रह गया। सीएजी के निदेशानुसार मामले को विचारार्थ तथा 270.08 करोड़ रूपए की शेष राशि को ब्याज लेखे में अंतरित करने के प्रस्ताव को के.न्या.बोर्ड, क.भ.नि. के समक्ष रखा गया जिसने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।
सी. 3 चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची 21, 23, 28 एवं 30) उपर्युक्त में 80.65 करोड़ रूपए चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत मार्गस्थ प्रेषण के रूप में दर्शाया गया है तो 2015-16 से पहले की अवधि का है। 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में कोई कार्रवाई नहीं की गई इन मदों का लेखों के अंतिम शीर्षों में लेखांकन नहीं किया गया।	सी. 3 चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची 21, 23, 28 एवं 30) मार्गस्थ राशि पिछली अवधि की है। भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने रिकॉर्ड देने में असमर्थता जाहिर की है। हालांकि, हम इसके समाशोधन के लिए इस मामले पर बात कर रहे हैं।
डी. अनुदान सहायता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वित्तपोषण मुख्य रूप से अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति से होता है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार से संगठन को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, केंद्र सरकार से क.पें.यो. 1995 के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन तथा पीएमआरपीवाई योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान पीएमपीआरपीवाई योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त अनुदान का शीर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:	डी. अनुदान सहायता तथ्यात्मक है, कोई टिप्पणी नहीं।

योजना का नाम	आदि (रूपये)	वर्ष के दौरान प्राप्त (रूपये)	वर्ष के दौरान व्यय (रूपये)	अंत शेष (रूपये)
क.पें.यो.	(-) 7309	4900	6402	(-) 8811
पीएमआरपीवाई योजना	150	3501(7.39 करोड़ रुपये ब्याज सहित)	3570	81
पीएमपीआरपीवाई योजना	25	1 (केवल ब्याज)	6	20

ई. प्रबंधन पत्र

ऐसी कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है को सुधारक / निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले पैरा में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते लेखा पुस्तिका के अनुसार सही हैं।

vi. हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर नोट्स, रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या ए.1 और ए.2 के अधीन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट और इस ऑडिट रिपोर्ट में अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले के साथ पठित, उक्त वित्तीय विवरण, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

ए. जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2019 तक के क्रियाकलापों को दर्शाता है।

बी. जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है।

ई. प्रबंधन पत्र

सीएजी द्वारा प्रकाश में लाई गई कमियों का संज्ञान लिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई अलग से की जा रही है।

भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता / -

महानिदेशक लेखा परीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 06.08.2020

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (परिशिष्ट) - अभ्युक्तियाँ	संगठन की अभ्युक्तियाँ
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता - वर्ष 2018-19 के दौरान क.भ.नि.सं की लेखापरीक्षा विंग द्वारा मुख्यालय सहित कुल 130 की आंतरिक लेखा परीक्षा योजना बनाकर की गयी। - आपत्तियों के निपटारे के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि 31.3.2019 को 16065 आंतरिक ऑडिट पैरा बकाया थे।	1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता - तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं। - ई-समीक्षा के माध्यम से उचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और निगरानी की जा रही है। इन पैरा को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता - क.भ.नि.सं ने मूल लेखांकन सिद्धांतों का पालन नहीं किया और वार्षिक खातों को एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित एमएस एक्सेल प्रोग्राम में तैयार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक खातों में ऋणात्मक प्रविष्टियां हुईं। - मुख्यालय सहित फील्ड कार्यालयों में परीक्षण शेष और शीर्ष वार बहियां तैयार नहीं किए जा रहे थे। - विविध डेबिट (अनुसूची 19) में 31 मार्च 2019 तक क्रमशः 3.10 करोड़ रुपये और 7.36 करोड़ रुपये का संचयी शेष और रुपये का अधिक भुगतान अनियमित भुगतान शामिल है। अनियमित भुगतान की राशि में एक वर्ष की अवधि में 1.48 करोड़ रुपये की हुई है, जो एक गंभीर प्रणाली चूक और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी को इंगित करता है। 2015-16 से सेवानिवृत्ति लाभ के बीमांकिक मूल्यांकन का संचालन न करना।	2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता - क.भ.नि.सं, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों, सिद्धांतों और प्रारूपों का अनुसरण कैग के परामर्श के पश्चात करता है। वार्षिक लेखों को कैग द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य प्रारूप (डबल एंटी सिस्टम ऑफ़ अकाउंटिंग पर आधारित) को तैयार किया जाता है। - फील्ड इकाइयों को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 से लेखा बही खाता रखने की सलाह दी गई है। - अधिक भुगतान और अनियमित भुगतानों की निगरानी आंचलिक कार्यालय स्तर पर एक अधिक भुगतान समिति और मुख्यालय के एक समर्पित विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य उपाय, जैसे कि सभी संदिग्ध भुगतानों की समवर्ती लेखा परीक्षा, मामलों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। 31.03.2019 को स्टाफ पेंशन सह ग्रेज्युटी निधि का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्ण हो गया है और रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए आगामी कैन्यासी बोर्ड, क.भ.नि में प्रस्तुत किया जाएगा।

• क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों को अग्रिमों का असंगत लेखा-जोखा 31/3/2019 को बहुत से क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों को अग्रिम के ऋणात्मक शेष का कारण बना।	• सभी लेखा इकाइयों को अग्रिमों के नकारात्मक शेष के समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है, हालांकि समीक्षित बैलेंस शीट में अग्रिमों की शेष राशि कोई नकारात्मक शेष नहीं दर्शा रही है।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय के संबंध में फर्नीचर और फिक्स्चर्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज तथा वाहनों के संबंध में भौतिक सत्यापन 2018-19 के दौरान किया गया। • वर्ष 2018-19 के दौरान के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, भोपाल, सेलम, कानपुर और चंडीगढ़ की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।	3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • तथ्यात्मक है, कोई टिप्पणी नहीं। • संबंधित कार्यालयों में अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए समितियों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, भोपाल, सेलम, कानपुर एवं चंडीगढ़ को नियमित अंतराल पर अचल संपत्तियों एवं इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन 3/09/2019 को किया गया है। • वर्ष के दौरान के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।	4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • तथ्यात्मक है, कोई टिप्पणी नहीं। • क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, भोपाल, सेलम, कानपुर एवं चंडीगढ़ को नियमित अंतराल पर एवं इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता • लेखों के अनुसार 31.03.2019 तक सांविधिक देयों के संबंध में पिछले 6 महीनों से कोई भुगतान बकाया नहीं है।	5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता • तथ्यात्मक है, कोई टिप्पणी नहीं।

प्रबंधन पत्र के लिए परिशिष्ट

1. निर्धारित/अक्षय निधियां (एन्डोमेंट फंड्स) स्टाफ भविष्य निधि (अनुसूची-13) 1490.12 करोड़ रुपये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ भविष्य निधि लेखे में 1764.53 करोड़ रुपये की देयता थी (स्टाफ भविष्य निधि लेखे (अनुसूची 13) : 1490.12 करोड़ रुपये तथा स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा (अनुसूची 11) : 274.41 करोड़ रुपये) जिसके लेखों में 1754.74 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति दर्शाई गई (स्टाफ भविष्य निधि निवेश (अनुसूची 26) : 1713.75 करोड़ रुपये, मार्गस्थ स्टाफ भविष्य निधि राशि (अनुसूची 28) : 1.23 करोड़ रुपये, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ भविष्य निधि निवेश लेखा (अनुसूची 28): 0.02 करोड़ रुपये, स्टाफ भविष्य निधि लेखे में गलत डेबिट (अनुसूची 28): 0.02 करोड़ रुपये, रोकड़ बही शेष (अनुसूची 28) 0.76 करोड़ रुपये, तथा उपार्जित किंतु निवेश पर देय न होने वाला ब्याज : 38.96 करोड़ रुपये}। 9.79 करोड़ रुपये के अंतर का समेकन किये जाने की आवश्यकता है।	1. निर्धारित/अक्षय निधियां (एन्डोमेंट फंड्स) स्टाफ भविष्य निधि (अनुसूची-13) 1490.12 करोड़ रुपये स्टाफ भविष्य निधि में परिसंपत्तियों एवं देयताओं में अंतर स्टाफ भविष्य निधि लेखे से क.भ.नि.प्रसाशन लेखे में देय राशि की गलत गणना के कारण है। रुपये 7.75 करोड़ का अंतर (एस ए आर की टिप्पणी में दर्शाए गए रुपये 9.79 करोड़) को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित कर लिया जायेगा।
2. वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15) - 342.29 करोड़ रुपये देय अन्य व्यय के लिए प्रावधान - ₹ 118.54 करोड़ रुपये उपरोक्त में वर्ष 2018-19 से संबंधित देय परन्तु भुगतान न किये गए खर्च हेतु देयताएं जिसकी राशि 88.17 लाख रुपये (आरओ दिल्ली (पूर्व) शामिल नहीं हैं, : मार्च 2019 के महीने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों (कुशल / अकुशल / अर्ध-कुशल) के संबंध में वेतन: ₹ 10.36 लाख, आईटी हार्डवेयर और पेरिफेरियल और सुरक्षा सेवा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर एएमसी सेवा शुल्क: ₹ 3.52 लाख, क्षेत्रीय कार्यालय सलेम: ₹ 14.14 लाख, क्षेत्रीय कार्यालय त्रिची ₹ 26.53 लाख, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुनेलवेली: ₹ 5.14 लाख और क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबटूर: रुपये 28.48 लाख), जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम एवं क.भ.नि. प्रशासन कोष 88.17 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है।	2. वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15)- 342.29 करोड़ रुपये देय अन्य व्यय के लिए प्रावधान - ₹ 118.54 करोड़ रुपये टिप्पणी में उल्लिखित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2018 -19 के दौरान संदर्भित देय परन्तु भुगतान न किये गए खर्च 15 अप्रैल, 2019 तक संसाधित नहीं किये जा सके थे क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आंचलिक कार्यालयों को वर्ष 2018 -19 के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की यह अंतिम तिथि थी। कुछ मामलों में, व्यय के बिल 15 अप्रैल, 2019 के बाद प्राप्त हुए थे। सभी शेष जो देय हैं, लेकिन भुगतान नहीं किए गए हैं, को चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, यानी इन खर्चों के भुगतान के वर्ष में लेखांकित कर लिया जायेगा।
3. अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची 24) - ₹ 461.39 करोड़ (i) उपरोक्त में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (पूर्व) के संबंध में 10.14 लाख रुपये के पूर्व वर्षों के पूंजीगत व्यय शामिल नहीं हैं। (डी जी सेट 801295 रुपये, स्टाफ कार 134120 रुपये, बायो-मीट्रिक	3. अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची 24) - ₹ 461.39 करोड़ (i) अचल परिसम्पत्तियों की अनुमोदित लेखांकन नीति के अनुसार, भूमि और भवन को छोड़कर, 01.04.2015 से पहले अधिग्रहित

78080 रुपये)। इन्हें प्रकट किये गए एसएपी के अनुसार लेखों में लेना होगा।

(ii) पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (PDUNASS) जनकपुरी (PDUNASS), जनकपुरी, ने 2018-19 के खातों में रुपये 51.32 लाख की लागत वाली अचल संपत्तियों के प्रारंभिक शेष को नकारात्मक शेष के रूप में दर्शाया है। जिसके परिणामस्वरूप समेकित खातों में अचल परिसम्पत्तियों के साथ-साथ इसी राशि के कैपिटल फंड को कम दर्शाया गया है।

(iii) आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद ने वटवा एवं नरोड़ा की भूमि पर कब्जे के संबंध में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को 6.24 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान का भुगतान अगस्त 2012 में किया गया था और कब्जे क्रमशः 8.11.12 और 26.4.13 को प्राप्त किए गए थे। यह राशि अचल परिसम्पत्ति लीज होल्ड लैंड के तहत दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन इसे वर्तमान परिसम्पत्ति अग्रिम के तहत दिखाया जा रहा है।

क.भ.नि.सं ने सूचित किया कि आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद वटवा और नरोड़ा में भूमि के संबंध में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के साथ पट्टे के समझौते को पूरा करने की प्रक्रिया में है। जैसे ही दोनों कार्यालयों यानी वटवा और नरोड़ा के संबंध में पट्टे के दस्तावेज प्राप्त होते हैं, संबंधित राशि को बैलेंस शीट में 'अचल परिसम्पत्ति' के रूप में दिखाया जाएगा।

की गई सभी संपत्तियां (लेखांकन के नकद आधार से प्रोद्घवन आधार में आने की तिथि) को नाममात्र मूल्य @ 1 प्रति वस्तु लगाया गया है। कार्यालय को चालू वर्ष यानी 2019-20 के दौरान अचल परिसम्पत्तियों की सूची में डीजी सेट और बायो-मेट्रिक मशीन आइटम दिखाने की सलाह दी गई है। क.भ. नि. अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली से संबंधित स्टाफ कार को गलत तरीके से क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व) इन्वेंट्री में लिया गया था। हालांकि उस का मूल्य खातों में नहीं लिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली पूर्व, को संदर्भित स्टाफ कार को इन्वेंट्री से हटाने की सलाह दी गई है।

(ii) ऋणात्मक शेष राशि पिछले जो वर्षों से आगे जोड़ी जा रही है, इसे वर्तमान वर्ष यानी 2019-20 में ठीक किया जाएगा।

(iii) आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद, वटवा और नरोड़ा में भूमि के संबंध में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के साथ पट्टा समझौता पूरा करने की प्रक्रिया में है। जैसे ही दोनों कार्यालयों यानी वटवा और नरोड़ा के संबंध में पट्टे के दस्तावेज प्राप्त होते हैं, संबंधित राशि को तुलन पत्र में अचल परिसम्पत्ति के रूप में दिखाया जाएगा।

4. क.पें.यो. अंशदान निधि (अनुसूची 33) - 46661.64 करोड़ रुपये क.भ.नि.सं. को 2018-19 के दौरान सरकार से 4900.00 करोड़ रुपये (क.पें.यो.-1995 के 1.16% शेयर के लिए 3900.00 करोड़ रुपये तथा 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए 1000.00 करोड़ रुपये) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। लेकिन उपरोक्त अनुसूची में केंद्रीय सरकार से प्राप्त पेंशन योगदान (-) 2408.91 करोड़ रुपये के रूप में दिखाया गया (पिछले वर्ष के प्राप्य और वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान का अंतर) जो प्रोद्घवन लेखांकन प्रणाली के रूप में है। चूंकि आय और व्यय खाते वर्ष 2018-19 से संबंधित हैं, वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त /प्राप्य पेंशन अंशदान इस अनुसूची के तहत दिखाया जाना चाहिए, यह राशि आकलन लगाने योग्य नहीं है।	4. क.पें.यो. अंशदान निधि (अनुसूची 33) - 46661.64 करोड़ रुपये हालांकि खाते का शुद्ध प्रभाव समान है लेकिन अधिक स्पष्टता के लिए खाते को अगले वित्तीय वर्ष में अवलोकन के अनुसार दिखाया जाएगा।
5. क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 43) - ₹ 373.09 करोड़ वर्षिक खातों के स्वीकृत सामान्य प्रारूप के अनुसार, खर्च के विभिन्न शीर्षों को 'अन्य शुल्क (आवर्ती / गैर-आवर्ती)' के अंतर्गत मिला दिया गया है। यह 'लेखांकन की भौतिकता अवधारणा' के अनुसार भी उचित है। यह समीक्षा के लिए विचाराधीन है।	5. क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 43) - ₹ 373.09 करोड़ वर्षिक खातों के स्वीकृत सामान्य प्रारूप के अनुसार, खर्च के विभिन्न शीर्षों को 'अन्य शुल्क (आवर्ती / गैर-आवर्ती)' के अंतर्गत मिला दिया गया है। यह 'लेखांकन की भौतिकता अवधारणा' के अनुसार भी उचित है। यह समीक्षा के लिए विचाराधीन है।
6. मूल्य हास (i) आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद द्वारा अचल परिसंपत्ति पर 11.16 करोड़ ₹ राशि का मूल्य हास का प्रभार डाला गया है जबकि अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कम्पनी अधिनियम 2003 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी कटौती कर (एस.एल.एम.) के अनुसार यह 15.19 लाख बनता है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास में कमी एवं क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार तथा अचल परिसंपत्तियों में 4.03 लाख ₹ की अधिकता आई है। (ii) आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद द्वारा फ्री होल्ड भूमि पर 1.75 लाख ₹ का मूल्यहास डाला गया है। क.भ.नि.सं. ने सूचित किया है की लीजहोल्ड भूमि को क्षेत्रीय कार्यालय सूत (आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद के तहत) द्वारा फ्रीहोल्ड भूमि के तहत गलत तरीके से दिखाया गया है और	6. मूल्य हास (i) नोट किया गया और अंतर चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 में समायोजित किया जाएगा। (ii) यह संपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय सूत से संबंधित है और संबंधित कार्यालय द्वारा लीज होल्ड भूमि के स्थान पर फ्री होल्ड भूमि के रूप में गलत तरीके से दर्शाई गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-

यह वर्ष 2019-20 के लिए खातों में सुधारा जाएगा।	20 में इसे ठीक कर लिया जाएगा। (iii) क्षेत्रीय कार्यालय सेलम द्वारा खरीदे गए अचल परिसंपत्तियों को आंचलिक कार्यालय को प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित किया गया था, तथापि, मूल्यहास की गणना केवल वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्ति के लिए की गई थी। गणना के लिए अपनाए गए मूल्यहास के दर भी प्रकट नहीं किए गए थे। (iv) क.भ.नि.सं. द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पर शुल्क, कंपनी अधिनियम 2003 में विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति में लिया जा रहा है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय त्रिची और क्षेत्रीय कार्यालय तिरुनेलवेली ने अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना के लिए, एस.एल.एम. (SLM) के स्थान पर लिखित डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) को अपनाया है। (v) क.भ.नि.सं. द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पर शुल्क, कंपनी अधिनियम 2003 में विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति में लिया जा रहा है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय ने अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना के लिए, एस.एल.एम. (SLM) के स्थान पर लिखित डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) को अपनाया है। (vi) क.भ.नि.सं. मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) के तहत विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति (SLM) का पालन किया जाए और अचल परिसंपत्तियां, जो 180 दिनों से अधिक के लिए उपयोग किए गए हो, के लिए मूल्यहास की पूर्ण दर पर और यदि 180 दिनों तक उपयोग की जाती है तो, आधे दर पर प्रदान की जाएगी। हालांकि, क्ष. का. तिरुनेलवेली ने वर्ष के आरम्भ में केवल अचल परिसंपत्तियों की लागत / मूल्यांकन प्रदान किया है और वर्ष के दौरान रुपये 35.45 लाख के अचल परिसंपत्तियों को जोड़ने के लिए कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास में कमी आयी है। खरीद की तिथि लुप्त होने के कारण राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।
---	---

7. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) लेखांकन नीति क्रमांक 4.4 (अनुसूची 44) के अनुसार, लीज होल्ड भूमि और भवन पर भुगतान की गई एकमुश्त लीज राशि को होल्डिंग की लीज अवधि के अनुपात में संशोधित किया जाता है। हालाँकि, इस लेखांकन नीति को क.सं.नि.भ. के सभी आंचलिक कार्यालयों द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है जिनके विवरण निम्नलिखित हैं: <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन किया गया है</th><th>आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है</th></tr><tr><td>1.</td><td>हबली</td><td>बेंगलुरु</td></tr><tr><td>2.</td><td>दिल्ली और उत्तराखंड</td><td>कोयंबतूर</td></tr><tr><td>3.</td><td>अहमदाबाद</td><td>भुवनेश्वर</td></tr><tr><td>4.</td><td>भोपाल</td><td>जयपुर</td></tr><tr><td>5.</td><td>पुणे</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>कानपुर</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>कोलकाता</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>मुख्यालय</td><td></td></tr></table> लीज पर लिए गए परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण जैसे कि लीज की अवधि, लीज राशि और लीज की प्रभावी तिथि आदि लेखा परीक्षा के लिए प्रदान नहीं किया गया। अतः अचल संपत्ति अनुसूची शीर्ष के तहत दिखाए गए परिशोधन राशि तथा वर्ष के दौरान प्रभार किए गए मूल्यहास की गणना की सटीकता को सत्यापित करने में लेखा परीक्षा असमर्थ है।	क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन किया गया है	आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है	1.	हबली	बेंगलुरु	2.	दिल्ली और उत्तराखंड	कोयंबतूर	3.	अहमदाबाद	भुवनेश्वर	4.	भोपाल	जयपुर	5.	पुणे		6.	कानपुर		7.	कोलकाता		8.	मुख्यालय		7. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) सभी कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि लीज होल्ड भूमि एवं भवन के लेखांकन के प्रयोग के संबंध में लेखांकन नीतियों का सख्ती से पालन करें।
क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन किया गया है	आंचलिक कार्यालय जहां लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है																										
1.	हबली	बेंगलुरु																										
2.	दिल्ली और उत्तराखंड	कोयंबतूर																										
3.	अहमदाबाद	भुवनेश्वर																										
4.	भोपाल	जयपुर																										
5.	पुणे																											
6.	कानपुर																											
7.	कोलकाता																											
8.	मुख्यालय																											
8. आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट (45 अनुसूची) रुपये 1308.04 करोड़ के लिए माल एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) की मांग आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची -45 के तहत का प्रकट किया गया था, लेकिन जिस अवधि से यह बकाया था वह लेखों पर नोट में उल्लिखित नहीं था।	8. आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट (45 अनुसूची) अगले लेखा वर्ष में अनुपालन के लिए नोट किया गया। हालाँकि,																											

	अवधिवार विवरण निम्नानुसार दिया गया है: - <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th><th>राशि (करोड़ों में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009 - 10</td><td>174.75</td></tr> <tr> <td>2010 - 11</td><td>216.32</td></tr> <tr> <td>2011 - 12</td><td>273.05</td></tr> <tr> <td>2012 - 13</td><td>341.89</td></tr> <tr> <td>2013 - 14</td><td>302.01</td></tr> </tbody> </table>	वर्ष	राशि (करोड़ों में)	2009 - 10	174.75	2010 - 11	216.32	2011 - 12	273.05	2012 - 13	341.89	2013 - 14	302.01
वर्ष	राशि (करोड़ों में)												
2009 - 10	174.75												
2010 - 11	216.32												
2011 - 12	273.05												
2012 - 13	341.89												
2013 - 14	302.01												
9. क.भ.नि.सं. की इकाइयों के बैंक शेष का विवरण क.भ.नि.सं. मुख्यालय द्वारा ऑडिट करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। तुलन पत्र के एक महत्वपूर्ण मद होने के नाते सहायक दस्तावेज (बैंक बैलेंस के समर्थन में बैंक प्रमाण पत्र और बैंक पुनर्विचार वक्तव्य) के साथ अपनी इकाइयों के बैंक खातों के संबंध में विवरण क.भ.नि.सं. मुख्यालय में सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	9. ऑडिट टीम द्वारा पूछे गए सभी विवरण संबंधित ऑडिट पार्टी को प्रस्तुत किए गए थे जिन्होंने उस विशेष लेखा इकाई का लेखा परीक्षा की थी। यू.ओ. नोट 30-09-2019 और 04-10-2019 के द्वारा दो बार मुख्यालय के खातों के बैंक प्रमाणपत्र दिए गए थे।												

10. बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार है: -

क्र सं	लेखा शीर्ष	अनुसूची	उत्तर
1	केंद्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	33	वर्ष के दौरान प्राप्त पेंशन अंशदान, पिछले वर्ष के लिए सरकार से प्राप्त क.पें.यो. का अंशदान राशि से कम था।
2	न्यूनतम पेंशन योजना के तहत प्राप्त ब्याज	34	वर्ष के दौरान न्यूनतम पेंशन योजना पर प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष की प्राप्य राशि से कम था।
6	उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	05	अवर्गीकृत डेबिट की राशि को गलती से आंचलिक कार्यालय, भुवनेश्वर और बांद्रा द्वारा देयता पक्ष में दिखाया गया था। सुलह के बाद इसे ठीक कर लिया जाएगा।

10. निम्नलिखित शेष राशि को 2018-19 के दौरान क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों के उल्लिखित अनुसूची के तहत नकारात्मक शेष के रूप में दिखाया गया है जो आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ है:

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	अनुसूची	नकारात्मक के रूप में दिखाई गई राशि (करोड़ में)
1	केंद्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	33	2408.91
2	न्यूनतम पेंशन योजना के तहत प्राप्त ब्याज	34	220.63
3	उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	05	41.65

11. सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग (2016-17) से त्रैवार अग्रिम का अनुदान बंद कर दिया गया है, हालांकि, त्रैवार अग्रिम रु. 21.12 लाख खातों में 31/3/2019 तक दिखाए गए हैं। इसका समाशोधन करने की आवश्यकता है।	(11) त्रैवार अग्रिम के शेष दिखाने वाले सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे शेष राशि का मिलान करें और यदि कोई हो, तो उसके कारण सहित अगले लेखा वर्ष में सही मात्रा को प्रतिबिंबित करें । 12. पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी) जनकपुरी, नई दिल्ली (i) पीडीनास के तुलनपत्र में नकारात्मक राशि क्रमशः रु. (-) 3,37,161 एवं रु. (-) 84,850 सहित उचित खाता (प्रशा.) का प्रारंभिक शेष परिसम्पत्तियों के साथ-साथ देयताओं, दोनों पक्ष में दर्शाया गया है । इसका समाशोधन करने की आवश्यकता है। (ii) पीडीनास ने वर्ष 2018-19 के दौरान लीजहोल्ड भूमि पर मूल्यहास का प्रभार लगाया जबकि वर्तमान अवधि के साथ-साथ वर्ष के आरम्भ में लीजहोल्ड भूमि का शून्य शेष है, जिसके परिणामस्वरूप, अचल संपत्तियों में रुपये 16720 का नकारात्मक शेष रहा । इसके अलावा, वर्ष के दौरान हटाए गए अचल संपत्तियों के लिए किसी भी मूल्यहास को लेखा बही से नहीं हटाया जाता है। (iii) पीडीनास द्वारा निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति अनुसूची तैयार नहीं की गई है। अनुसूची में संपत्ति के सकल मूल्य के साथ-साथ संचित मूल्यहास (2.15 करोड़) को भी नहीं दिखाया गया है। इसके बजाय 2017-18 के लिए अचल संपत्तियों के नेट ब्लॉक के समापन संतुलन को वर्ष 2018-19 के खातों में सकल ब्लॉक के मूल्य के रूप में दिखाया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि क.सं.नि.भ. के समेकित खातों को तैयार करने के लिए क.सं.नि.भ. की अन्य इकाइयों के फिक्स्ड एसेट्स की अनुसूची के साथ एकरूपता नहीं होने के कारण इस अनुसूची के विलीन कैसे किया गया है। समेकित खातों पर इस विचलन के प्रभाव पर समाधान नहीं किया जा सकता है।
13. आंचलिक कार्यालय पुणे (i) दो एस.बी.आई. बैंक बचत खाता संख्या 11099461513 और 11099461499 निष्क्रिय हैं और शेष राशि को शून्य दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के लिए कोई बैंक विवरणी / पासबुक /	13. आंचलिक कार्यालय पुणे (i) आंचलिक कार्यालय, पुणे ने 2013 से दोनों खातों को निष्क्रिय दिखाते हुए बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। ये खाते, बचत बैंक खाते

के संबंध में
टव नहीं है।
क कार्यालय,

कंडीशनर
कन्सिचर और
बुक किया
शीर्ष यानी

आंकड़ों में अंतर
आंको 2019-20 में,
आशे किए गए हैं।

हैं, जो फील्ड कार्यालयों में चालू खातों को बनाए रखने के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नीति के अनुसार ऑपरेटिव नहीं हैं। इन खातों को स्थाई रूप से बंद करने के लिए आंचलिक कार्यालय, पुणे को निर्देशित किया जा रहा है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, नरोदा ने सूचित किया है कि एयर कंडीशनर की लागत के लिए 1.96 लाख रुपये का मूल्य है। फर्नीचर और फ्रिज के स्थान पर बिलडिंग शीर्ष के तहत त्रुटिपूर्वक बुक किया गया है। चालू वर्ष यानी 2019-20 में यह राशि सही शीर्ष यानी फर्नीचर और फ्रिज में अंतर्भूत की जाएगी।

14. आंचलिक कार्यालय ठाणे

(i) आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों में अंतर को सत्यापित करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में, यदि कोई अंतर है, तो इसे ठीक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

ऑनलाइन बैंक विवरणी नहीं दिखाए गए थे। जिस तिथि से खाते निष्क्रिय थे, खाता खोलने का उद्देश्य और निष्क्रिय रहने के कारण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में कहा कि दोनों खाते 2013 से निष्क्रिय हैं और ये खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नीति के अनुसार संचालित नहीं हैं। दुरुपयोग होने से रोकने के लिए इन निष्क्रिय खातों को बंद किया जाना चाहिए।

(ii) अचल परिसंपत्तियों में रुपये 1.96 लाख के शुद्ध मूल्य वाले भवन शामिल हैं। चूंकि नरोदा कार्यालय जिस परिसर में काम कर रहा है, वह किराए पर है, इसके परिणामस्वरूप, अचल परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत निधि का विवरण रु 1.96 लाख अधिक हो गया।

क.सं.नि.भ. ने उत्तर दिया कि 1.96 लाख रुपये का मूल्य एयर कंडीशनर की लागत के लिए है। फर्नीचर और फ्रिज के स्थान पर बिलडिंग शीर्ष के तहत गलत तरीके से बुक किया गया है। चालू वर्ष यानी 2019-20 में यह राशि सही शीर्ष यानी फर्नीचर और फ्रिज में अंतर्भूत की जाएगी।

14. आंचलिक कार्यालय ठाणे

(i) आंचलिक कार्यालय के तहत पांच क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्राप्त एवं भुगतान खातों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालय द्वारा समेकित खातों के आंकड़े के बीच अंतर पाया गया:

(करोड़ों में राशि)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आंचलिक कार्यालय के खातों के अनुसार राशि	तीन क्षेत्रों के प्राप्त एवं भुगतान खातों के अनुसार राशि	अंतर
1	क.भ.नि. अंशदान प्राप्त (खाता संख्या 1)	8140.91	8139.99	0.92
2	क.पै.यो. अंशदान प्राप्त (खाता संख्या 10)	2739.70	2739.46	0.24
3	क.नि.स.बी. अंशदान प्राप्त (खाता संख्या 21)	140.63	140.62	0.01

इन अंतर के समाशोधन करने की आवश्यकता है।

(iii) एन.पी.एस. के प्रति बोर्ड के हिस्से के संबंध में बकाया खर्च दिनांक 31.3.19 को रुपये 9.82 लाख का नकारात्मक शेष दर्शाता है, जबकि एन.पी.एस. के प्रति बोर्ड का हिस्सा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, आंचलिक कार्यालय के तहत सभी पांच आरओ के खातों के अनुसार एनपीएस की ओर बोर्ड का शेयर रुपये (-) 4.57 लाख है, जबकि आंचलिक कार्यालय के खातों में इसे रुपये (-) 9.81 लाख के रूप में लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये 5.24 लाख का अंतर आया है। इसके समाशोधन करने की आवश्यकता है।

(iii) दिनांक 31.3.2019 को इन खातों में वाहन अग्रिम का ऋण शेष ₹. 4.45 लाख दिखाया गया है, जिन्हें समाशोधन करने की आवश्यकता है।

(iv) आयकर विभाग, सर्कल ठाणे ने आंचलिक कार्यालय, ठाणे से रुपये 8.73 लाख की मांग को उठाया, लेकिन उक्त राशि उनके खातों में नहीं दर्शायी गई।

(ii) बोर्ड के एन. पी. एस. हिस्से के प्रति बकाया देयता, तुलन पत्र की देयता पक्ष में दर्शाए जाने वाले एन. पी. एस. के अंत शेष के समान है। स्थानांतरित अधिकारियों के दायित्व का अंतरण न होने के कारण किसी एक कार्यालय में नकारात्मक एन.पी.एस. देयता होने की संभावना है। अंतर, यदि कोई हो, चालू वर्ष यानी 2019-20 में सुल्ह के बाद समायोजित किया जाएगा।

(iii) अग्रिम के नकारात्मक शेष दिखाने वाले सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे शेष राशि को समेट लें और अगले लेखा वर्ष में सही मात्रा को प्रतिबिंबित करें।

(iv) लंबित भुगतान ठेकेदार के टीडीएस राशियों से संबंधित है, जो अभी भी समझौते के लिए लंबित है। जैसे ही सुल्ह हो जाएगी, भुगतान आयकर कार्यालय में अंतरित कर दिया जाएगा। इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय ठाणे को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

15. आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद

आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद को गुजरात में फैले 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से वार्षिक लेखे प्राप्त होते हैं और यह गुजरात अंचल के लेखों को समेकित करके क.भ.नि.सं मुख्यालय को प्रेषित करता है। ऑडिट के दौरान आंचलिक वित्तीय विवरणों के समेकन से संबंधित वर्किंग पेपर, लेखे तथा अन्य रिकॉर्ड ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उक्त के अभाव में ऑडिट आंचलिक कार्यालय अहमदाबाद के लेखों के समेकन भाग की जांच करने में सक्षम नहीं है।

15. आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद

आंचलिक कार्यालय के वार्षिक लेखों के समेकन के लिए आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद को इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत एक्सेल शीट्स तथा अन्य रिकॉर्ड को ऑडिट दल के समक्ष (वर्ष 2019-20 के लेखों के ऑडिट के दौरान) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि आंचलिक कार्यालय मुख्यालय द्वारा सॉफ्ट प्रारूप में उपलब्ध कराए गए एक एक्सेल प्रोग्राम में अपने अंचल के तुलन पत्र तैयार कर रहे हैं। आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद का मूलभूत कार्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त डाटा का समेकन करना है। वर्तमान में आंचलिक कार्यालय का अपने स्तर पर वर्किंग पेपर तथा रिकॉर्ड का रखरखाव करना इसके विषय क्षेत्र में नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चार दिनों के ऑडिट के दौरान न तो एक्सेल शीट जिसमें लेखों का समेकन किया गया और न ही आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के लेख ही ऑडिट को प्रस्तुत किए गए जिसके कारण समेकन की जांच/सत्यापन नहीं किए जा सके।	16. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल i. तुलन पत्र में दिखाए गई अंचल परिसंपत्ति की राशि तथा अंचल परिसंपत्ति की अनुसूची में दिखाई गई राशि में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंतर पाए गए : <table><tr><th>विवरण</th><th>तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े</th><th>अंचल परिसंपत्ति अनुसूची के अनुसार आंकड़े</th><th>अंतर</th></tr><tr><td>अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष</td><td>9,61,87,795</td><td>10,12,44,378</td><td>(-) 50,56,583</td></tr><tr><td>अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष</td><td>9,87,52,179</td><td>10,38,08,762</td><td>(-) 50,56,583</td></tr></table>	विवरण	तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े	अंचल परिसंपत्ति अनुसूची के अनुसार आंकड़े	अंतर	अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष	9,61,87,795	10,12,44,378	(-) 50,56,583	अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष	9,87,52,179	10,38,08,762	(-) 50,56,583
विवरण	तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े	अंचल परिसंपत्ति अनुसूची के अनुसार आंकड़े	अंतर										
अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष	9,61,87,795	10,12,44,378	(-) 50,56,583										
अंचल परिसंपत्ति का आदि शेष	9,87,52,179	10,38,08,762	(-) 50,56,583										
	16. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल i. क.भ.नि.सं. के अंतर्गत सभी लेखांकन यूनिटों को वार्षिक लेखों के अंतिम प्रारूप को ऑडिट दल के समक्ष प्रस्तुत करने के अनुरोध दिए जा चुके हैं। अब क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को निदेशों का कड़ाई से पालन करने के अनुरोध पुनः दिए जा रहे हैं।												

क.भ.नि.सं. में उत्तर दिया कि तुलनपत्र दिनांक 13.08.2019 के अनुसार, तुलनपत्र तथा अंचल परिसंपत्तियों की अनुसूची में दिखाए गए अंचल परिसंपत्तियों के आदि शेष तथा अंतर्शेष के

आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। तुलनपत्र तथा अंचल परिसंपत्ति विवरण प्रोफार्मा में, अंचल पर परिसंपत्तियों के आदि शेष के आंकड़े को रु. 10,12,44,378/- दिखाया गया है। अंतिम तुलनपत्र दिनांक 13.08.2019 को मुख्यालय स्तर पर समेकन हेतु विचारार्थ लिया गया है। उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा संशोधनपूर्ण तुलनपत्र ऑडिट हेतु प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय को केवल क.भ.नि.सं. मुख्यालय द्वारा अनुमोदित अंतिम लेखों को ही ऑडिट के लिए प्रस्तुत करने के अन्देष्ट दिए जाएं। ii. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा इसके पांच बैंक खातों के संबंध में बैंक समाशोधन विवरणी (बी.आर.एस.) तैयार नहीं की गई थी।	17. क्षेत्रीय कार्यालय, बरकतपुरा तुलनपत्र के अनुसार अंचल परिसंपत्तियों का आदि शेष रु. 4.68 करोड़ है जबकि अंचल परिसंपत्ति अनुसूची के अनुसार आदि शेष रु. 5.62 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप रु. 94 लाख का अंतर उत्पन्न हुआ है जिसे समाशोधित तथा संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि तुलन पत्र के अनुसार अंचल परिसंपत्तियों का आदि शेष 4.68 करोड़ के उल्लिखित आंकड़े के स्थान पर रु. 5.62 करोड़ है। इसके अलावा, ऑडिट दल द्वारा उल्लिखित आंकड़े 5.62 करोड़ के स्थान पर रु. 5.68 करोड़ आंशिक आंकड़ा है। अंचल परिसंपत्तियों की अनुसूची के अनुसार वास्तविक आदि शेष रु. 5.68 करोड़ था जिसे ऑडिट दल द्वारा गलती से रु. 4.68 करोड़ उल्लिखित किया गया है। रु. 6 लाख के अंतर को चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2019-20 में समायोजित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षे.का. बरकतपुरा द्वारा ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, आंकड़े वही हैं जैसा कि ऑडिट की आपत्ति में बताया गया है। मामले को क.भ.नि.सं. द्वारा अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।	17. क्षेत्रीय कार्यालय, बरकतपुरा क्षेत्रीय कार्यालय, बरकतपुरा को अंचल परिसंपत्तियों के आदि शेष तथा अंत शेष का समाशोधन करने और किसी भी प्रकार के अंतर होने की स्थिति में इसे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान संशोधित किए जाने के अन्देष्ट दिए जा रहे हैं।
18. क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम i. लेखा संख्या 2 के रु. 9.14 लाख की राशि के दिसंबर, 2018 तक जारी चैकों को मार्च, 2019 के अंत तक भुनाया नहीं गया था। चूंकि चैकों की वैधता समाप्त हो चुकी है, इन्हें लेखों में पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है।	18. क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम i. भुनाये न गये चैकों को जो समयवाधित हैं को अप्रैल, 2019 में पुनः लिख लिया गया है।	18. क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम i. भुनाये न गये चैकों को जो समयवाधित हैं को अप्रैल, 2019 में पुनः लिख लिया गया है।

ii. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 31.03.2019 तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यालय भवन निर्माण हेतु रु. 7.53 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। मार्च, 2019 को समाप्त माह हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरण (फार्म 65 द्वारा) के अनुसार उनके द्वारा 6.53 करोड़ रु. व्यय किए गए। रु. 6.53 करोड़ की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दिखाने के स्थान पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के अंतर्गत खर्च न किए गए रु. 1.00 करोड़ जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी, 2019 तक खर्च किया गया जो कि 5.91 करोड़ था पर ही विचार किया गया और इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से अंचल परिसंपत्तियों में जोड़ा गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास उपयोग न हुई राशि को भी अग्रिमों के स्थान पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप अंचल परिसंपत्तियों को बढ़ाकर दिखाया गया है और चल रहे पूंजीगत कार्य तथा वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों को कम करके दिखाया गया है।	iii. तुलनपत्र में दर्शाए गए निम्नलिखित उचित खाते का विवरण ऑडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण ऑडिट इन राशियों की जांच नहीं कर सका। <table><tr><th>दायित्व</th><th>रु.</th><th>परिसंपत्तियां</th><th>रु.</th></tr><tr><td>उचित खाता (क.भ.नि.)</td><td>5,10,044.39</td><td>उचित खाता (क.भ.नि.)</td><td>13,39,645</td></tr><tr><td>उचित खाता (प्रशा. निधि)</td><td>4,16,44,318.27</td><td>उचित खाता (प्रशा. निधि)</td><td>14,94,503</td></tr></table>	दायित्व	रु.	परिसंपत्तियां	रु.	उचित खाता (क.भ.नि.)	5,10,044.39	उचित खाता (क.भ.नि.)	13,39,645	उचित खाता (प्रशा. निधि)	4,16,44,318.27	उचित खाता (प्रशा. निधि)	14,94,503
दायित्व	रु.	परिसंपत्तियां	रु.										
उचित खाता (क.भ.नि.)	5,10,044.39	उचित खाता (क.भ.नि.)	13,39,645										
उचित खाता (प्रशा. निधि)	4,16,44,318.27	उचित खाता (प्रशा. निधि)	14,94,503										
ii. क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम को चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 में अंचल परिसंपत्तियों तथा चल रहे पूंजीगत कार्य में त्रुटिपूर्ण ढंग से बुक की गई राशि को सही करने के निदेश दिए गए हैं।	iii. फील्ड कार्यालयों को अवर्गीकृत उचित खाते के उचित रखरखाव तथा रिकॉर्ड को ऑडिट दल के समक्ष प्रस्तुत करने के अनुरोध जारी किए गए हैं।												
19. क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिची (i) वर्ष 2018-19 के लिए वाहन अग्रिम, भवन निर्माण अग्रिम, वेतन अग्रिम का अंश रु. 3.38 लाख, रु. 28.04 लाख तथा रु. 0.26 लाख क्रमशः के ऋणात्मक आंकड़े दिखा रहा है। (ii) कुछ आंकड़ों जैसे कि अंशदान प्राप्तियों (केंद्रीय कार्यालय) को उनके आंचलिक कार्यालय	19. क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिची (i) अग्रिम का ऋणात्मक शेष दर्शाने वाले सभी कार्यालयों को चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 में शेष को समायोजित करने तथा सही राशि दर्शाने के अनुरोध जारी किए गए हैं। (ii) क.भ.नि.सं. ने मुख्यालय में रख रखाव किए जा रहे केंद्रीकृत												

द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट्स के आधार पर तुलनपत्र में अंगीकार कर लिया जाता है। इन आंकड़ों तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एम.आई.एस. आंकड़ों में बहुत अंतर था।

वर्ष 2018-19 के लेखों में निकासी के रिफंड सहित वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. अंशदान को ₹. 73046.99 लाख दिखाया गया है। परंतु वर्ष 2018-19 की एम.आई.एस.-105 के अनुसार, वर्ष के दौरान तीन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अंशदान ₹. 1,38,282.34 लाख था जैसा कि दिखाया गया है:

(₹. लाख में)				
योजना	कर्मचारी का भाग	नियोक्ता का भाग	कुल प्राप्ति (₹. लाख में)	
क.भ.नि.	77158.81	34573.62	111732.43	
क.पे.यो.	0	25350.34	25350.34	
क.नि.सह. बीमा योजना	0	1199.587	1199.587	
कुल	77,158.81	61123.547	138282.34	

20. क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के पास ₹. 2.99 लाख की सिक्योरिटी जमाओं को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप चालू परिसंपत्तियों तथा पूंजी फंड को ₹. 2.99 लाख ₹. कम करके दिखाया गया है।

21. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर

(i) 31.03.2019 को लेखा संख्या 1,2,10, एवं 21 की बैंक समाशोधन विवरणी (पी.आर.एस.) से पता चला कि दिसंबर, 2018 तक जारी ₹. 8.69 लाख ₹. राशि के चैकों को मार्च, 2019 तक भुनाया नहीं गया था। चूंकि इन चैकों की वैधता समाप्त हो चुकी है इन्हें लेखों में पुनः लिखने की आवश्यकता है।

(ii) तुलनपत्र के परिसंपत्तियां पक्ष के अंतर्गत दिखाई गई 2.72 करोड़ की राशि जो पूंजी कार्यों हेतु एजेंसियों/ठेकेदारों को 31.01.2019 तक अग्रिम रूप में दी गई थी, में 1.95 करोड़ की राशि शामिल है जिसे क्षे. का. सेलम के निर्माण हेतु दिया गया था जब सेलम कार्यालय उप क्षे.का. के

बैंक खाते में अंशदान की प्राप्ति की केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया है। तदनुसार, प्राप्ति को समाशोधित तथा अंशदान को मुख्यालय स्तर पर रिकॉर्ड किया जाता है। सूचना सेवा प्रभाग द्वारा प्रदान किए गए अंचल/क्षेत्रवार समाशोधित आंकड़ों के आधार पर फील्ड कार्यालयों को केंद्रीकृत खातों में प्राप्ति की राशि के संबंध में सूचित किया जाता है। अतः प्राप्ति के आंकड़ों में विसंगति की कोई संभावना नहीं है। लेखों को क.भ.नि.सं. के बैंक खातों में वास्तविक प्राप्ति तत्ता भुगतान के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि एम.आई.एस. रिपोर्ट अलग तर्क पर अलग अवधि हेतु तैयार की गई है।

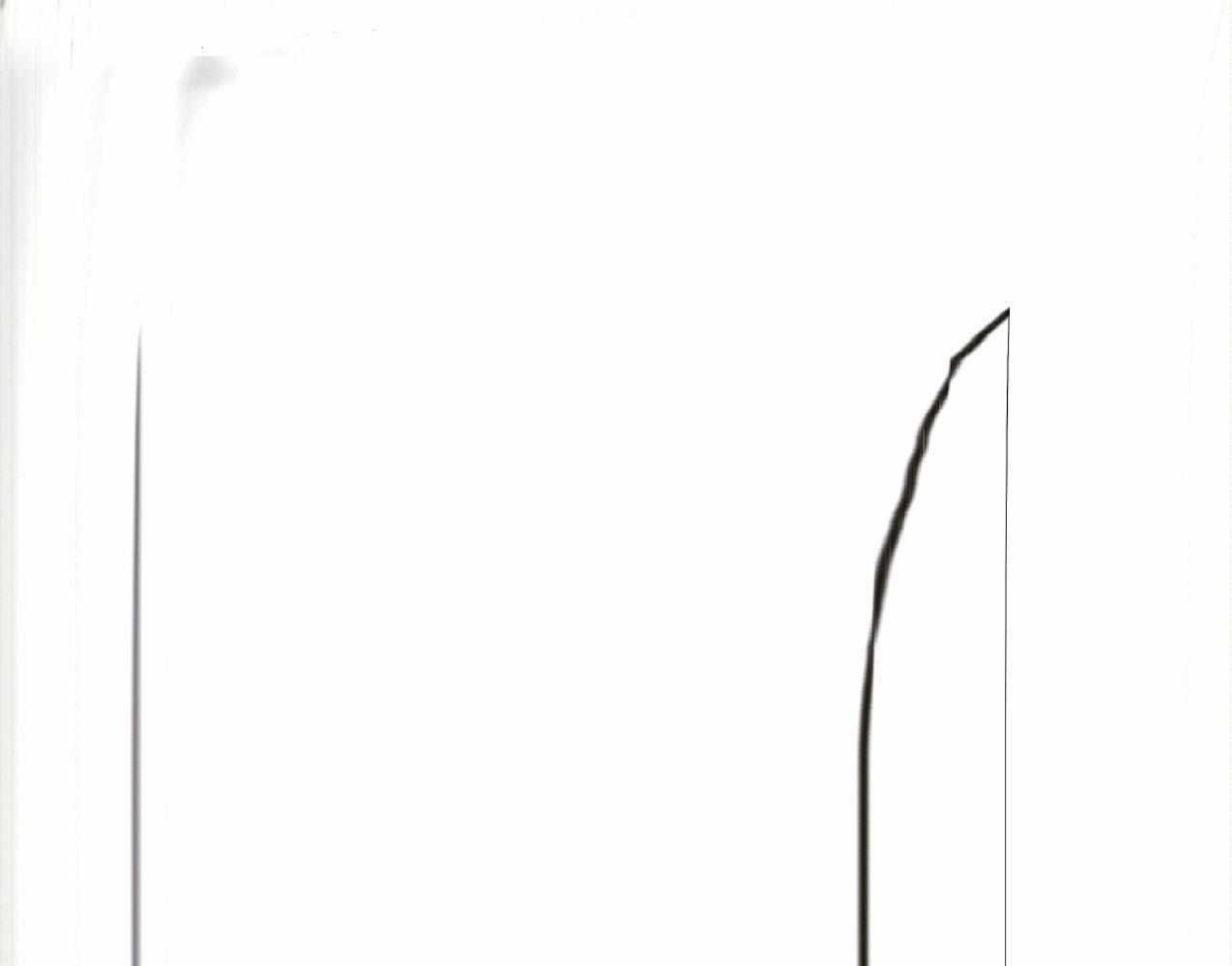
20. क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सिक्योरिटी जमा राशि को त्रुटिपूर्ण अंचल परिसंपत्तियों में जोड़ दिया गया है। तिरुनेलवेली कार्यालय को इसे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2019-20 में संशोधित करने के अनुरोध दिए गए हैं।

21. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर द्वारा सूचित किया गया है कि पुराने चैकों को रद्द कर दिया गया और चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान रोकड़ बही को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ii) कार्यालय ने इसे नोट कर लिया है और इसे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2019-20 के तुलनपत्र में सुधार लिया जाएगा।



रूप में कार्य कर रहा था। अब उप क्षेत्र. सेलम क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है और सेलम कार्यालय के पूंजीगत कार्यों हेतु भुगतान किए गए अग्रिम को वर्ष 2018-19 हेतु क्षेत्र.का. सेलम के लिए तैयार किए गए विशेष लेखों में शामिल किया गया है। अतः क्षेत्र.लोक निर्माण विभाग को सेलम कार्यालय भवन निर्माण हेतु भुगतान की गई 1.95 करोड़ की अग्रिम राशि को क्षेत्र.का. कोयंबतूर तथा क्षेत्र.का. सेलम के तुलनपत्र में दर्शाया गया है। (iii) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के पास ₹. 5.77 लाख की सिक्क्योरिटी जमाओं को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है जिसके कारण चालू परिसंपत्तियों तथा पूंजी फंड को ₹. 5.77 लाख कम करके दिखाया गया है। (iv) तुलनपत्र के परिसंपत्तियों/दायित्व दोनों पक्षों के अंतर्गत उचित लेखा (प्रशा निधि) के रूप में दिखाई गई ₹. (-) 40,98,987 तथा ₹. 1,18,46,002 क्रमशः की राशि की तुलनपत्र में सटीकता विवरण न होने के कारण सुनिश्चित नहीं की जा सकी।	(iii) क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर ने सूचित किया है कि सिक्क्योरिटी जमा की हटाई गई राशि को चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 के तुलनपत्र में शामिल किया जाएगा। (iv) कार्यालय को अवगीकृत उचित राशि के विवरण के रखरखाव तथा समायोजन करने तथा ऑडिट दल के आगामी दौर के दौरान प्रस्तुत करने के अनुरोध दिए गए हैं।
22. आंचलिक कार्यालय बंगलूरु का ऑडिट हेतु चयन किया गया था परंतु इसके द्वारा ऑडिट हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण आंचलिक कार्यालय बंगलूरु के लेखों की जांच नहीं की जा सकी। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि आंचलिक कार्यालय का ऑडिट दिनांक 04.12.2019 से 12.12.2019 के दौरान पूर्ण किया गया है और आंचलिक कार्यालय में उपलब्ध सभी संबंधित रिकॉर्ड को ऑडिट दल को उपलब्ध कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क.भ.नि.सं. के समेकित लेखों को 16.09.2019 को ऑडिट हेतु प्रस्तुत किया गया था और अतः क.भ.नि.सं. के सभी यूनिटों के लेखों को इन्हें क.भ.नि.सं. के मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप देते ही ऑडिट हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। क.भ.नि.सं. के लेखों पर संपूर्णतः एक आश्वासन प्राप्त करने के लिए इसकी यूनिटों का समय पर ऑडिट महत्वपूर्ण है।	22. टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

लेखे	अंतर राशि	अनियमितताओं का विवरण	अभ्युक्ति
1. क.भ.नि. प्रशा. निधि निवेश (अनुसूची 25) रु. 23286.19 करोड़	7.63	इन निवेश लेखों में अदायगी एवं लेका कार्यालय, मंत्रालय तथा क.भ.नि.सं. के खातों के अनुसार मूल्य में अंतर था। यह अंतर पुरानी मदों में समायोजन न किए जाने के कारण था। इन अनियमितताओं को 2014-15 से इंगित किया गया था, परंतु क.भ.नि.सं. कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई।	क.भ.नि.सं. ने कहा है कि राशि के समाशोधन हेतु मामले पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है। एस.डी.ए. के अंतर्गत ई.डी.एस.आई. प्रशासन प्रभार की असमाशोधित राशि को, यदि यह असमाशोधित रहती है, तो आगामी वित्तीय वर्ष के लेखों पर नोटिस में दर्शाया जाएगा।
2. ई.डी.एल. आई. प्रशासन निधि निवेश (अनुसूची 29) रु. 3033.23 करोड़	2.33		

23. पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं और यह वर्तमान वर्ष में भी जारी रही। प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है:

23. क.भ.नि.सं. अभ्युक्ति के अनुसार आश्वासन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

24. क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने लेखों को एकसमान प्रारूप में तैयार नहीं कर रहे हैं। वे अपने लेखों को क.भ.नि.सं. मुख्यालय द्वारा डिजाइन किए गए एक विशेष प्रारूप में तैयार कर रहे हैं जिसमें पांच प्राप्तिपत्रों एवं अदायगी लेखों (क.भ.नि. अंशदान लेखा (लेखा संख्या 1), क.भ.नि. प्रशासन निधि (लेखा संख्या 2) क.पै.यों लेखा (लेखा संख्या 10), ई.डी.एल.आई. अंशदान लेखा (लेखा संख्या 21) तथा ई.डी.एल.आई. प्रशासन निधि (लेखा संख्या 22) तथा एक आय एवं व्यय (क.भ.नि.प्रशासन लेखा) तथा एक तुलनपत्र (क.भ.नि. अंशदान लेखा तथा क.भ.नि. प्रशा. निधि लेखा के लिए संयुक्त) शामिल है। क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालयों को उसी एकसमान प्रारूप में अपने लेख तैयार करने चाहिए जिसमें क.भ.नि.सं. के समेकित लेखों का रखरखाव किया जाता है।	24. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से आंचलिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लेजर तथा वार्षिक लेखों को एकसमान प्रारूप में तैयार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त क.भ.नि.सं. तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्तिपत्रों एवं भुगतान लेखों का शीर्ष वार लेजर खाते का रखरखाव नहीं किया गया जो लेखांकन सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है। क्षेत्रीय कार्यालयों के लेख संगठन के आंचलिक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल शीट के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। शीर्षवार लेजर खातों के अभाव में, क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को समेकित मासिक प्राप्तिपत्रों एवं अदायगी लेखों, बजट/व्यय नियंत्रण रजिस्टर, रोकड़ बही तथा बैंक विवरण के संदर्भ में ही सत्यापित किया जा सका।	क.भ.नि.सं. ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2020-21 से लेजर तथा आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के वार्षिक लेखों को लेखों के एकसमान प्रारूप में तैयार किया जाएगा।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय : भविष्य निधि भवन
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Website: www.epfindia.com : www.epfindia.gov.in : www.epfindia.org